खण्ड-255, अंक-2
बुधवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1886
(10 मार्च, 1965 ई0)

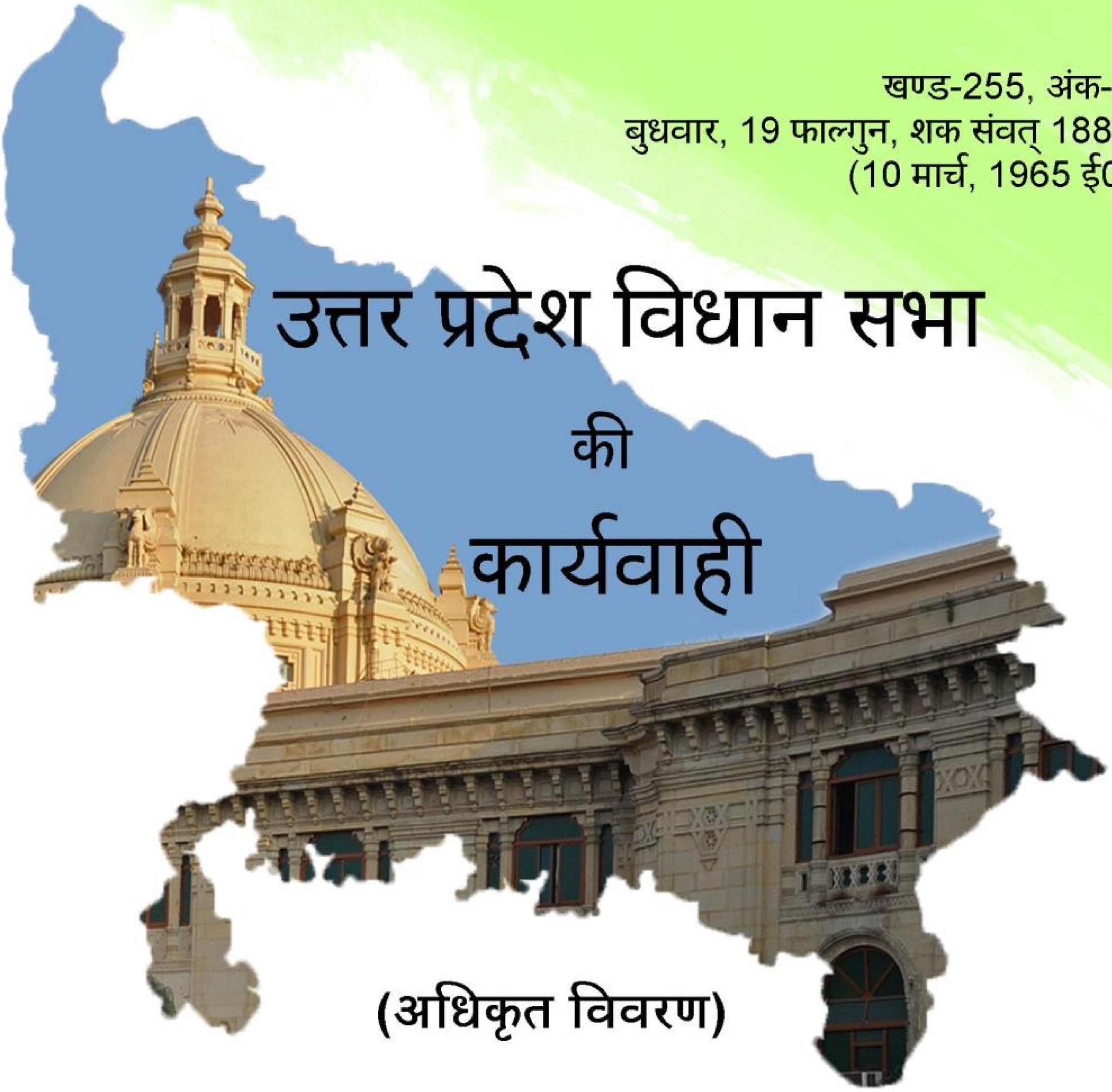

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 255 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१२५–१२९
प्रश्नोत्तर	१२९–१६३
भूतपूर्व सदस्य, श्री मोहनसिंह के निधन पर शोकोद्गार	१६३–१६४
शिक्षकों के प्रतिनिधियों एवं शिक्षा मंत्री के बीच हुई वार्ता के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	१६४–१६७
श्री रघुवीर की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना एवं उनके प्रति दारोगा द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	१६७–१६८
हाई स्कूल व इन्टर परीक्षा के परीक्षार्थियों से प्रमाणित फोटोग्राफ की मांग करने के सरकारी आदेश के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१६९–१७१
लेजिस्लेचर ग्रुप की बैठक के सम्बन्ध में सूचना	१७[illegible]
श्री रघुवीरसिंह का नाम गलत छापने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों को श्री अध्यक्ष का निर्देश	१७१–१७२
श्री अधिष्ठाता द्वारा दी गयी व्यवस्था के पुनरीक्षण की प्रार्थना ..	१७२–१७३
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान] संख्या १४––पुलिस (स्वीकृत)	१७३–२०४
अनुदान संख्या ४६––राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय (स्वीकृत) ..	२०४–२२२
नत्थियां	२२३–२२७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १० मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३५३

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्र मान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्न गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुण कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीसिंह, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री

फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (श्री टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधरमिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद,, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुन्नीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेडीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री,
राधेश्याम शर्मा, श्री

रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रताप सिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बन लाल सक्सेना श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री

सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उपमन्त्री डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १० मार्च, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

देवरिया जिले में लघु सिंचाई योजनान्तर्गत कार्य

*१---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत १९६३-६४ और १९६४-६५ में कौन-कौन से कार्य देवरिया जिले में सम्पादित किये गये और उन पर कितना खर्च पड़ा ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)---

देवरिया जिले में निजी लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत १९६३-६४ और १९६४-६५ में कूप निर्माण एवं मरम्मत, बोरिंग, रहट, पम्पिंग सेट तथा नलकूप के कार्य सम्पादित किये गये। कार्यों पर क्रमशः १७,६३,५६७ तथा १९,००,६०६ रुपया (३१-१२-६४ तक) व्यय हुआ है।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, मंत्री जी का उत्तर बड़ा गोल मोल है। इनका उत्तर है कूप निर्माण, अब कितने कूप निर्माण हुए, कितने की मरम्मत हुई, बोरिंग कितने हुए, रहट कितने लगे, पम्पिग सेट कितने लगे, और कुछ थोड़ा बहुत २, ३ तालाबों के लिये नहर निकासी की योजना है, तो इसका विवरण मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य-मुख्य कौन से काम हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

१९६३-६४ में ८५६ कूप निर्माण अधिक अन्न उपजाओ मद द्वारा तथा ७६८ विकास मद द्वारा, योग दोनों का १६२४, स्वीकृत कार्य था, कूप मरम्मत २२९, बोरिंग के लिये ८०७, पम्पिग

सेट ११२, रहट १४४ और व्यक्तिगत नलकूप ३६७। १९६४–६५ के लिये २००३ कूप निर्माण, ६० कूप मरम्मत, बोरिंग ७४८, पम्पिंग सेट २८५, रहट ३८७, और व्यक्तिगत नलकूप ४८९। यह स्वीकृत कार्य था। इसमें जो कार्य किये जा चुके हैं ३१–१२–६४ तक वे हैं:—

कूप निर्माण १४८८, कूप मरम्मत ४९०, बोरिंग ४९९, रहट २९८, पम्पिंग सेट १३२, और नलकूप १४७।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस रकम के अन्तर्गत क्या कोई ताल से निकालने वाली योजना भी सम्पादित हुई है? यदि हां, तो कौन-कौन?

श्री बंशीधर पांडेय—

जितना काम हुआ है वह मैंने पढ़ कर सुना दिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मंत्री जी बतायेंगे कि जो रुपया खर्च नहीं हुआ या योजनायें अधूरी रह गयी हैं उनके अधूरे रहने का कारण क्या है?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह तो सारी बातें माननीय विकास मंत्री कई बार सदन में कह चुके हैं कि कभी-कभी सामान की कमी होती है, कहीं-कहीं सीमेंट नहीं मिलता समय से। लेकिन ३१–१२–६४ के बाद की मेरे पास रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि वर्ष के अन्त तक यानी ३१–३–६५ की अवधि तक द्वारा कार्यक्रम पूरा कर लेने की आशा है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मंत्री जी बतायेंगे कि सुकरौरी और मोती चक ब्लाक्स में १९६४–६५ में कितने नलकूप बनवाने की योजना है?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि देवरिया जिले में जो लघु सिंचाई योजना है और पूर्वी अंचल के जिलों में भी ऐसी योजना चल रही है, क्या सरकार ने कोई जांच करा कर इस बात का निर्णय कर लिया है कि अब जो सिंचाई की बड़ी योजनायें हैं वे समाप्त कर दी जायं और उनको आगे कार्यान्वित न किया जाय और लघु सिंचाई योजनायें चालू की जायं या दोनों को चला कर समन्वय किया जाय?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

जी नहीं। जहां तक बड़ी योजनाओं का ताल्लुक है, वह अपनी जगह पर चल रही हैं और छोटी योजनायें अपनी जगह पर चल रही हैं। लेकिन सरकार यह जरूर चाहती है कि छोटी योजनाओं के लिये प्राथमिकता दी जाय क्योंकि उनका रिजल्ट बहुत शीघ्र आ जाता है और लोगों को तत्काल फायदा पहुंचता है। बड़ी योजनाएं अपनी जगह बन रही हैं, उनके लिये ज्यादा समय चाहिये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

पिछले वर्ष ४८७ पम्पिग सेट्स लगाये गये और उनकी कीमत ३ हजार रुपये की करीब बैठती है और रूस से जो ट्रैक्टर आ रहे हैं जिनके साथ में ये सेट्स लगे हुये हैं उनकी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में ३ हजार रुपये कीमत है ट्रैक्टर समेत तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस तरह के ट्रैक्टर मंगा कर सस्ती कीमत पर लोगों को पम्पिग सेट्स दिये जायं ?

श्री राममूर्ति—

वैसे तो अच्छा यह है कि माननीय सदस्य यह बात सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर कर दें। उनका सुझाव अच्छा है, केन्द्रीय सरकार से बातचीत की जा सकती है।

श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पश्चिमी गंडक नहर है उसके क्षेत्र में भी पम्पिग सेट्स लगाये गये हैं ? यदि लगाये गये हैं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

नहरी क्षेत्र में भी हमने नलकूपों की इजाजत दे दी है। पालिसी यह है कि एक खास दूरी पर वह होना चाहिये। अक्सर यह होता है कि नहरों से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता और चूंकि सघन खेती के लिये ज्यादा पानी की जरूरत होती है इसलिये नहरी क्षेत्र में भी नलकूप तथा छोटे सिंचाई कूपों की इजाजत दे दी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह हुक्म हुआ है कि मार्च, ६४ तक लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत पक्के कुवें बन जायेंगे तो आधी छूट मिल जायगी। लेकिन सबको ज्ञात होगा कि कुवां गरमी में बना करता है तो सरकार इस बात की इजाजत देगी कि जून तक की मियाद बढ़ा दे जिससे रुपया भी खर्च हो सके और साधनों का ठीक तरह से इस्तेमाल हो सके ?

श्री राममूर्ति—

यह बात रामसुन्दर जी ने बहुत अच्छी फरमाई। मैं समझता हूं कि इसके बारे में देख लिया जायगा।

डाक्टरों की कमी

*२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के लगभग ३०० औषधालयों में डाक्टरों के अभाव को दूर करने के लिये विचारार्थ जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी वह कब बनी और उसकी अब तक कब-कब बैठकें हुई ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

अन्य मसलों के साथ औषधालयों में डाक्टरों की कमी को दूर करने के संबंध में जो हाई पावर कमेटी १५ जून, १९६२ को नियुक्ति हुई उसकी बैठकें निम्नलिखि तारीखों को हुईं:

२१-९-१९६२	..	५-३-१९६३
२४-९-१९६२	..	९-७-१९६३
२९-९-१९६२	..	२०-१२-१९६३
८-१२-१९६२	..	१५-४-१९६४

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या इस कमेटी ने अपने इस कार्यकाल में कोई समस्या के हल के लिये अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को दी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कमेटी ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं दी है । किन्तु कुछ सुझाव दिये हैं और उन्हीं के अनुसार करीब १०० एलोपैथिक चिकित्सालयों में जहां डाक्टर नहीं है वहां आयुर्वेदिक व एलोपैथिक के मिश्रित पाठ्यक्रम द्वारा आयुर्वेदिक कालेजों में शिक्षित स्नातकों की नियुक्ति की जा रही है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुये कि सन् ६२ में ४ मीटिंग्स हुई हैं कमेटी की, ६३ में ३ और ६४ में १ और इसके बावजूद भी कमेटी आज तक न कोई अन्तरिम रिपोर्ट अथवा पूरी रिपोर्ट देने में सफल हुई है तो इसका क्या कारण है और क्या माननीय मंत्री इसकी जगह कोई और तरीका निकालेंगे जिससे कमी पूरी की जा सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उसमें स्थिति यह थी कि कुछ मामलों के लिये एक इसके अन्दर सब-कमेटी का निर्माण हुआ था । उसकी उसको रिपोर्ट देनी थी शिक्षा के पाठ्य-क्रम के सम्बन्ध में, जो उन्होंने भेज दी है । बहुत ही शीघ्र उम्मीद है कि अगले महीने मीटिंग हों और कुछ फाइनल कार्यवाही उस पर की जा सके ।

श्री झारखण्डे राय—

यह सही है कि इस हाई पावर कमेटी की बैठकों में इस बात पर भी विचार हुआ था कि हमारे देश व प्रदेश के बहुत से डाक्टर अधिक तनख्वाह के लालच से विदेशों में बस गये हैं और पढ़ाई की सुविधाओं के सिलसिले में प्रदेश का जो खर्च हुआ उन पर वह बेकार हो गया है ? उनको बुलाने के लिये कोई बात सोची गयी कि किसी तरह से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्य करके उनको वापस बुलाया जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वापस बुलाने के लिये तो उसमें विचार नहीं हुआ था लेकिन कुछ तनख्वाहें कम है उनको ठीक किया जाय इस पर विचार हुआ था ताकि लोग मिल सकें ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद कालेज, बनारस के जो डाक्टर हैं जिनकी पढ़ाई भी ५ साल की होती है उनमें से नियुक्त करने की सरकार कृपा करेगी कि जिन अपस्तालों में डाक्टर नहीं हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

बिलकुल सही है, यही करेंगे । दूसरे प्रश्न के उत्तर में जो निवेदन किया है वह उन्हीं डाक्टरों से सम्बन्धित है जिन्होंने मिश्रित सिस्टम से पढ़ाई की है, उनको नियुक्त करने का विचार है ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

प्रदेश में काफी अस्पताल ऐसे हैं जिनमें डाक्टरों की जरूरत है, बिल्डिंगें तो बन रही हैं लेकिन डाक्टर नहीं हैं और वे दो, दो साल से खाली हैं तो क्या सरकार वहां के लिये डाक्टरों को नियुक्ति करेगी ताकि जनता को उनकी सेवायें उपलब्ध हो सकें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह प्रयत्न है कि सब जगह डाक्टर पहुंच जायं, लेकिन जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, डाक्टरों की कमी है और इसलिये उनकी सब जगह पोस्टिंग करने में हम असमर्थ हैं ।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या कमेटी ने सरकार से यह सिफारिश की है कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में जो भरती होती है उसमें शहर के छात्रों का अनुपात अधिक रहता है और देहात के छात्रो का कम इस कारण पास होने के बाद उनका रुचि देहात में जाकर काम करने की नहीं होती, इसलिये भरती होने वाले छात्रों में देहात के छात्रों का अनुपात बढ़ाया जाय क्या इसकी सिफारिश कमेटी ने की ?

श्री अध्यक्ष—

मेरा खयाल है कि जो कमेटी बनी है वह शायद इसलिये बनी है कि वह देखे कि कौन से तरीके अपनाये जायं जिनसे यह कठिनाई दूर हो ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जैसा उस समिति ने एक सुझाव दिया है कि उन अस्पतालों में वैद्यों को भेज दिया जाय तकि वे बन्द न रहें, क्या इस तरह के और अंतरिम सुझाव भी उसने दिये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उनमें सिफारिश है कि एम०बी०-बी० एस० कोर्स में भरती होने वाले १० प्रतिशत छात्रों को १०० रुपया प्रति मास की दर से बिना ब्याज का ऋण दिया जाय । यह ऋण उन छात्रों को देय होगा जिन के अभिभावकों की आय ३०० रुपये प्रति मास से अधिक न हो और इस शर्त पर दिया जायगा कि कर्ज पाने वाले छात्र इस बात को लिखित रूप में दे कि वह एम० बी०-बी० एस० कोर्स पास करने के बाद राज्य सरकार की सेवा में कम से कम ५ वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करेगा । ऐसा न करने पर उन्हें पूरा कर्ज सूद तथा जुर्माने सहित एक ही किश्त में वापस करना होगा ।

मेडिकल कालेज में भरती होने वाले १० प्रतिशत छात्रों को १०० रुपया प्रति मास का वजीफा दिया जाय । यह वजीफा उन्हीं छात्रों को देय होगा जो अच्छे विद्यार्थी रहें और जिनके अभिभावकों की आय ३०० रुपये प्रति मास से अधिक न हो । वजीफा पाने वाले छात्रों को लिखित रूप में देना होगा जिसके अनुसार राज्य सरकार की सेवा में कम से कम ५ वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना होगा । ऐसा न करने पर उन्हें वजीफे का पूरा धन सूद तथा जुर्माने सहित एक ही किस्त में वापस करना होगा ।

राज्य के मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या २५ प्रतिशत से लेकर ५० प्रतिशत तक बढ़ा दी जाय । इन कालेजो के भवन निर्माण आदि कार्यों को भविष्य में इस प्रकार नियोजित किया जाय कि उनमें विद्यार्थियों की संख्या शत प्रतिशत बढ़ाई जा सके ।

भारत सरकार का ध्यान इस प्रकार की नीति निर्मित करने की ओर आकृष्ट किया जाय जिसके अनुसार सीधे मेडिकल कालेजों द्वारा नये पास किये गये ।....

श्री अध्यक्ष—

यह कितना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अभी तीन पेज और हैं ।

श्री अध्यक्ष—

तो रहने दीजिये।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जिस कमेटी ने ये सुझाव दिये हैं कि नये पास किये हुए डाक्टरों को ५ साल देहात में काम करना होगा, उसके सिलसिले में क्या मंत्री जी इस बात की भी व्यवस्था करेंगे कि उनको डिप्लोमा तभी दिया जाय कि जब वे देहात में जाकर ५ साल प्रैक्टिस कर लें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

डिप्लोमा तो नहीं रोका जा सकता।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, डाक्टरों की कमी है, लेकिन ५४ जिलों में ४४ के ग्रेड्स रिवाइज कर दिये गये, १० जिलों को छोड़ दिया गया। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह वाकई में डाक्टर्स की सुविधा देने के लिये तैयार हैं जिसकी बिना पर वह देहातों में जा सकें ? मैं तो समझता हूं, माननीय मंत्री जी क्षमा करेंगे, कि यह उनके साथ लफ्जी हमदर्दी है जिससे वह देहातों में नहीं पहुंच रहे हैं।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ऐसी बात कतई नहीं है। उनके साथ दिली हमदर्दी है।

वाराणसी में डिपथीरिया एवं टिटनेस से मत्युएं तथा बाल चिकित्सालय की स्थापना

*४—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६४ से १० सितम्बर, १९६४ तक वाराणसी में डिप्थीरिया एवं टिटनेस के प्रकोप से कितने बच्चों की मौतें हुईं और क्या इनसेफेलाइटिस का भी प्रकोप रहा ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वाराणसी में जुलाई, ६४ से १० सितम्बर, ६४ तक डिप्थीरिया एवं टिटनेस से बच्चों की मत्यु की निम्नलिखित संख्या है:

डिप्थीरिया	५
टिटनेस	४

इनसेफेलाइटिस से केवल एक बच्चे की मौत हुई है। वाराणसी नगर में भी ट्रिपिल वैक्सीन बच्चों के लगायी जा रही है।

*५—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी के लिये एक सर्वसाधनसम्पन्न बाल अस्पताल की स्थापना की योजना वर्षों से विचाराधीन है ? और दुर्गाकुंड के पास जमीन भी देख ली गयी थी ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और बाल अस्पताल के निर्माण में क्या-क्या कठिनाइयां हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां । द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सरकार द्वारा वाराणसी में एक बाल चिकित्सालय की स्थापना की योजना थी और इसके लिये आवश्यक भूमि भी प्राप्त कर ली गई थी । परन्तु बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल कालेज के अंग के रूप में बाल चिकित्सालय की स्थापना की योजना के कारण सरकार की अपनी योजना समाप्त कर दी गई । अतः बाल चिकित्सालय की स्थापना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है ।

श्री ऊदल--

यह हिन्दू विश्वविद्यालय, बाल चिकित्सालय के संबंध में जो आवश्यक कार्यवाही कर रहा है यह योजना कब तक पूरी होगी और प्रदेशीय सरकार ने उसके लिये कितना रुपया दिया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

५०,००० रुपया हमने दिया है और जहां तक मेरी सूचना है जल्द ही यह कार्य पूरा हो जायगा ।

श्री ऊदल--

यह दुर्गाकुंड के पास जो जमीन पहले ही प्राप्त कर ली गई थी और सरकार ने रुपया भी दे दिया था तो अब उस भूमि का क्या इस्तेमाल सरकार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

उसमें अब टी० बी० अस्पताल बनाने का विचार है ।

मैनपुरी जिले में नलकूप नालियां बनाने के लिए अनुदान

*६--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या यह सत्य है कि प्राइवेट ट्यूबवेल की नालियों के बनाने के लिये जनता को सरकार की तरफ से जो अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है वह मैनपुरी जिले में कई साल से नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो वह कब तक भेज दिया जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय--

वर्ष १९६३-६४ में ४१,७०० रुपया तथा वर्ष १९६४-६५ में १०,४०० रुपया ट्यूबवेल की नालियां बनाने हेतु अनुदान देने के लिये उपलब्ध किया गया है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह रुपया जिले में कब तक पहुंच जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय--

वह तो जिले में पहुंच भी गया ।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह रुपया नालियों के बनाने के लिये कौन देता है और किस हिसाब से दिया जाता है ?

श्री राममूर्ति--

वह विकास विभाग से दिया जाता है और इसलिये दिया जाता है कि लोग अपने कुओं पर पक्की नाली बनायें ताकि पानी की बरबादी न हो, पानी जल्दी पहुंच जाय और खेतों की उपज बढ़े ।

श्री बयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

नालियों के बनाने के लिये जो अनुदान दिया जाता है क्या विभिन्न जिलों में उसके संबंध में विकास क्षेत्रों में विभिन्न नीति हैं ?

श्री राममूर्ति—

नीति तो एक ही है कि १ मील के लिये ६,००० रुपया दिया जाता है और जो नाली बनाकर पूरा कर लेता है तो उसमें ३३ प्रतिशत अनुदान मिल जाया करता है ।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

जिस तरह से नलकूपों के लिये सहकारी समिति द्वारा सबसीडी दी जाती है और जिस तरह से कि मथुरा आदि में कई जगह नलकूप योजना असफल हो गई ऐसे स्थानों पर क्या सरकार दस या पांच हार्स पावर के पंपिंग सेट के लिये कुछ सबसिडी इस हेड में देने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

नौगढ़ अस्पताल में डाक्टर न होना

*७—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नौगढ़ अस्पताल, जिला वाराणसी में ५ माह से कोई डाक्टर नहीं है और मिडवाइफ भी नहीं है । यदि हां, तो यहां डाक्टर इतने दिनों से क्यों नहीं है ? क्या सरकार को मालूम है कि यहां से चकिया अस्पताल २४ मील दूर है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जिला वाराणसी के नौगढ़ अस्पताल में दिनांक १३-७-६४ से चिकित्सक तथा दिनांक ८-५-५४ से मिडवाइफ नहीं हैं ।

उचित मात्रा में डाक्टर और मिडवाईफ उपलब्ध न होने के कारण वहां इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी है । अब वहां पर एक मिडवाइफ की तैनाती के आदेश स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा जारी कर दिये गये हैं । डाक्टरों के अभीष्ट संख्या में उपलब्धि होने पर उक्त चिकित्सालय में डाक्टर भेजने की व्यवस्था की जायेगी ।

नौगढ़ से चकिया अस्पताल की दूरी पक्की सड़क द्वारा लगभग २४ मील है ।

श्री ऊदल—

इस बात को देखते हुये कि नौगढ़ का जो अस्पताल है वह वाराणसी से ५४ मील है और चकिया से २४ मील दूर है और पूरे इलाके में जंगल है और जिस इलाके में लगभग १५ हजार लोग रहते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी को जो डाक्टर मिलेंगे उनको वहां पर लगाने का कष्ट करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि जैसे ही डाक्टर उपलब्ध होंगे, भेजने पर विचार किया जायगा ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

इस बात को देखते हुए कि डाक्टरों की कमी है तो उन शफाखानों में, जहां पर कोई डाक्टर नहीं है, उन वैद्यों को जो कि बी०एम०आई०एस० पास है या और दूसरी परीक्षायें पास हैं, उनको नियुक्त करने पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, उस पर तो कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, हमारे नियमों में साफ लिखा हुआ है कि उत्तर साफ और निश्चित हो, तो क्या माननीय मंत्री जी जैसा उन्होंने कहा कि जैसे ही उपलब्ध होंगे, भेजने पर विचार किया जायगा, उन ३६० अस्पतालों में जहां पर डाक्टर नहीं हैं, डाक्टर भेजने की आपकी कोई निश्चित योजना है ? यदि हां, तो आपकी योजना के अन्तर्गत कब तक डाक्टर उपलब्ध होंगे, जहां पर आप अभी तक नहीं भेज पाये हैं ?

डक्टर रामनारायण पांडेय--

निश्चित अवधि तो इसमें नहीं बतायी जा सकती है । जैसे ही डाक्टर उपलब्ध होंग, भेज दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

उनका कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से हम कहते हैं कि अनिश्चित काल में हमें डाक्टर मिलेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, आपने तो भाष्य कर दिया ।

*८-९--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

[पांचवें गुरुवार के लिये प्रश्न १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

अनक्वालीफाइड चिकित्सक एवं विकास खंड, प्रतापपुर में डाक्टर न होना

*१०--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उग्रसेनपुर उर्फ बीबीपुर बाजार, जिला इलाहाबाद में कौन-कौन ऐसे मेडिकल चिकित्सक हैं (होम्योपैथ, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक) जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है किन्तु दवाई करते हैं ?

डाक्टर राम नारायण पांडेय--

ऐसे चिकित्सकों की जिनका रजिस्ट्रेशन यू० पी० मेडिकल कौंसिल, बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन अथवा बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिसिन में नहीं हुआ है, की सूची नहीं रक्खी जाती है ।

*११--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापपुर विकास खंड, जिला इलाहाबाद के एलोपैथिक अस्पताल का निर्माण कब हुआ और डाक्टर कब से नहीं हैं और उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की देखभाल तथा उपचार किस विकास के जरिये हो रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

विकास खंड प्रतापपुर, जिला इलाहाबाद में एलोपैथिक अस्पताल के भवन का निर्माण मार्च, १९६२ में पूर्ण हो गया था किन्तु चिकित्सकों के अभाव के कारण अस्पताल के स्थापना के समय से ही चिकित्सक नियुक्त नहीं किया जा सका है । उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की देखभाल जिला स्वास्थ्य अधिकारी के नियंत्रण में विकास क्षेत्र अधिकारी प्रतापपुर के द्वारा हो रहा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो डाक्टर या वैद्य रजिस्टर्ड नहीं हुये हैं वे चिकित्सा किस आधार पर करते हैं और उनको रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ? उनको ऐसा करने से रोकने के लिये क्या नियम हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

अगर सदस्य गण कष्ट करें तो उन पर कुछ कार्यवाही की जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस स्थान पर जो बिना रजिस्ट्रेशन के वैद्य या डाक्टर दवाई करते हैं, उनके खिलाफ कौन-सी कार्यवाही की जायगी ?

डाक्टर राम नारायण पांडेय---

श्रीमन्, मैं तो निवेदन कर चुका हूं कि अगर माननीय सदस्य उनके नाम बता देंगे तो मैं कार्यवाही कराऊंगा ।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस प्रश्न को देखने के बाद उनकी ओर से इस स्थान की जांच पड़ताल की गयी और यदि जांच पड़ताल की गयी तो क्या उनको कोई ऐसे व्यक्ति मिलें कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के कार्य करते हैं ?

डाक्टर राम नारायण पांडेय---

इस संबंध में इस प्रकार से तो कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

बहुत से व्यक्ति हैं कि जिनको अधिकार नहीं है, वे ऐसा पेशा करते हैं तो क्या सरकार व्यापक पैमाने पर इसकी जांच करायेगी और उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इसके संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूं ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

ऐसे लोग इन्जेक्शन भी लगा देते हैं तो जन स्वास्थ्य को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान देंगे ?

डाक्टर राम नारायण पांडेय---

आप हमें उदाहरण दे दें तो हम अन्वेषण करवा लेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस अस्पताल में ६२ से कोई डाक्टर नहीं है वहां पर निदान करने और दवाई वितरण करने का कार्य कौन करता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

हमारे होशियार कम्पाउन्डर होते हैं, वे ही करते हैं ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि प्रदेश में बिना पंजीकृत किये और बिना लाइसेंस प्राप्त या डिग्री रखे हुये ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जो आयुर्वेदिक, अंग्रेजी चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा कर रहे हैं और कोई-कोई तो इन्जेक्शन भी लगाते हैं तो जहां आपने ए-बी सी लाइसेंस रखे हैं वहां उनकी चिकित्सा पर कोई ऐसी जांच करवायेंगे और जांच करके रिपोर्ट करेंगे कि जिससे जनता के ऊपर असर न पड़े ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, सरकार के नोटिस में तो नहीं है यदि माननीय सदस्य के नोटिस में हो तो वह मेरे नोटिस में ले आयें मैं उसकी जांच कराऊंगा ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में निलम्बित कर्मचारी

*१२—श्री नवलकिशोर (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक ऐसे कोई नान-गजटेड कर्मचारी हैं जो सस्पेंड कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कौन (नाम व पद सहित) और कब से ?

*१३—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक ऐसे कोई गजटेड अफसर हैं जो सस्पेंड कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कौन (नाम व पद सहित) और कब से ? इनमें से कितनों को कोई भी चार्जशीट नहीं दिया गया है और क्यों नहीं ?

*१४—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ऐसे गजटेड अफसर हैं जिनको अस्थायी तौर से दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक कार्य करते हुये एक वर्ष से ऊपर हो गया है परन्तु नियमानुसार उनकी स्वीकृति लोक सेवा आयोग से अभी तक नहीं मांगी गई है ? यदि हां, तो कौन (नाम व पद सहित) और कब से ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में मेडिकल अटेंडेंट के लिये इंटरव्यू

*१५—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ और डफरिन अस्पताल, लखनऊ में नवम्बर, १९६४ में मेडिकल अटेंडेंट के लिये जो एडवरटाइजमेंट हुआ था उसमें जिन लोगों को इन्टरव्यू में नहीं बुलाया गया उनकी दरख्वास्तों में क्या कमी थी ? क्या ऐसे उम्मेदवारों को कोई सूचना दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि स्थानीय क्लर्कों के भ्रष्टाचार के कारण सही एप्लीकेशनें भी रद्द कर दी गईं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

डफरिन अस्पताल, लखनऊ में सभी उम्मेदवारों के प्रार्थना पत्र सही थे, अतः उन सभी को चुनाव के लिये बुलाया गया । बलरामपुर अस्पताल में ऐसे उम्मेदवारों को, जिनके प्रार्थना पत्रों में किसी प्रकार की भी कमी थी, जैसे उम्मेदवार का कम या अधिक आयु का होना या प्रार्थना पत्र में मांगे गये विभिन्न प्रमाण-पत्रों का न होना, परीक्षा के लिये नहीं बुलाया गया । जिन उम्मेदवारों के प्रार्थना पत्र सही नहीं थे उनको इसकी सूचना देना आवश्यक नहीं समझा गया । यह सत्य नहीं है कि स्थानीय क्लर्कों के भ्रष्टाचार के कारण सही प्रार्थना पत्र भी रद्द किये गये ।

*१६—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इस गड़बड़ी को दूर करने के लिये दुबारा इंटरव्यू का मौका उन उम्मेदवारों को देगी जिनकी दरख्वास्तें अकारण रिजेक्ट कर दी गई हैं ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना—

कोई भी प्रार्थना-पत्र अकारण रद्द नहीं किया गया । अतः दुबारा चुनाव करने का का प्रश्न नहीं उठता ।

मऊ आइमा ब्लाक तथा अन्य स्थानों में परिवार नियोजनान्तर्गत आपरेशन

*१७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों में कितने-कितने लोगों ने (परिवार नियोजन) से संबंधित आपरेशन १९६२–६३ तथा मार्च, १९६४ तक कराये और उनमें कितने आपरेशन कामयाब हुये, कितने खराब ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है । ये सभी आपरेशन सफल रहे ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२३-२२४ पर)

*१८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद (मऊ आइमा) ब्लाक के अन्तर्गत ८ दिसम्बर, १९६४ को कितने आदमियों ने परिवार नियोजन के अन्तर्गत आपरेशन करवाये तथा उसमें से कितनों को सफलता मिली और जिन्हें सफलता नहीं मिली उसके क्या कारण हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

८ दिसम्बर, १९६४ को मऊ आइमा ब्लाक में ११ आदमियों ने आपरेशन कराये । इन सभी आदमियों के आपरेशन सफल रहे ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सूची दी गई है, उसके अनुसार जिन लोगों ने आपरेशन कराये हैं, उनको कुछ धन दिया गया है, यदि हां, तो कितना ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, जो आपरेशन कराता है उसको खाने पीने के लिये १० रुपये दिये जाते हैं । जो उसे समझाकर आपरेशन कराने के लिये ले जाता है उसको दो रुपये दिये जाते हैं और डाक्टर को कुछ एलाउंस दिया जाता है ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जवाब में बताया कि ११ आपरेशन हुये और सब सक्सेसफुल हुये तो सक्सेसफुल होने का क्या टैस्ट है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, उनमें से किसी के बच्चे होने की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस योजना को चालू करने के लिये कोई कानून बनाने का सरकार विचार कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, कानून बनाने को कोई आवश्यकता नहीं है। सबके सहयोग से यह काम हो रहा है।

श्री जे० पी० मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, फेमिली प्लानिंग अभी तक प्रदेश में अपनाया नहीं गया है इसलिये क्या मंत्री जी मेरी सलाह मानने के लिये तैयार हैं कि विधान सभा के सदस्यों से ही परिवार नियोजन का कार्य शुरू हो ताकि प्रदेश की जनता पर अच्छा असर पड़े ?

(हंसी--उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, रूस तथा विदेशों में अधिक बच्चे पैदा करने वालों को वहां की सरकार इनाम देती है। उसी ढंग से क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाय कि जो तीन बच्चों से अधिक पैदा करे उस पर जुर्माना किया जाय ?

(हंसी--उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री कल्याणचन्द मोहले--

श्रीमन्, जिन ११ व्यक्तियों ने आपरेशन कराये उनके आपरेशन ठीक न होने की क्या मंत्री जी के पास शिकायत आई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, दो आदमियों के टांके पक गये थे। लेकिन वे दो दिन में ठीक हो गये और अस्पताल से घर चले गये।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने लोगों ने आपरेशन कराया है और उस पर कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--

कोई सूची है आप के पास ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

हां, है श्रीमन्, । मैं सूची पढ़ दूं या...

श्री अध्यक्ष--

नहीं आप केवल संख्या उनकी कितनी है, यह बता दें।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

२५२३५ पुरुष और १३९४ स्त्रियां, यह मार्च ६४ तक की संख्या है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि आपरेशन कराने के बाद भी कुछ दिनों तक इस प्रकार का खतरा रहता है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

भुवाली सेनीटोरियम के चपरासी की मृत्यु

*१९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को इसकी सूचना है कि गत सप्ताह में (२२-१२-६४ के पूर्व) नैनीताल जिले की भुवाली सेनिटोरियम के सहकारी विभाग के एक चपरासी को पुलिस द्वारा इतना पीटा गया कि अस्पताल में जाकर उसकी मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। इस संबंध में की गई जांच के अनुसार श्री हयातसिंह नामक भुवाली सैनेटोरियम के सहकारी विभाग के मजदूर की मृत्यु विष पान से हुई पाई गई न कि पुलिस द्वारा पीटे जाने से। यह विष कब और कैसे दिया गया इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा हो रही है।

*२०-२१—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

(पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न ३-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।)

*२२-२३—(हटा दिये गये।)

*२४—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

(पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न ५के अन्तर्गत स्थगित किया गया।)

*२५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर), श्री कमलासिंह, यादव (जिला गाजीपुर) तथा श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

(हटा दिये गये।)

जिला नियोजन अधिकारियों के अस्थायी स्टेनोग्राफर

*२६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय, श्री कमलासिंह यादव तथा श्री बैजनाथ सिंह वैद्य—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन अधिकारियों के कितने ऐसे स्टेनोग्राफर हैं जो १३, १२, १०, ८, ५ वर्षों से अधिक समय से अस्थाई हैं ? उक्त स्टेनोग्राफर कब तक स्थाई घोषित किये जायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

राज्य के ५१ जिला नियोजन अधिकारियों के सभी स्टेनोग्राफर अभी तक अस्थायी हैं। स्टेनोग्राफरों के १४ पद स्थायी हो चुके हैं और संबंधित कर्मचारियों के स्थायीकरण की दिशा में अग्रेत्तर कार्यवाही हो रही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो स्टेनोग्राफर्स ८-८, १०-१० वर्ष वे काम कर रहे हैं, किन्तु अब तक उनको स्थायी नहीं किया गया है इसका क्या कारण है ? और उनको कबतक स्थायी किया जायगा ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, हमारे डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं वह केवल ९ डी० पी० ओज० हैं और बाकी पी० सी० एस०, आई० ए० एस० आफिसर्स हैं और ऐसा तरीका बना चला आ रहा है कि

इन्हें रेगुलर बजट से तन्ख्वाह मिलती है, हमारे बजट से नहीं। इसलिये यह दिक्कत पड़ती है। हमने फाइनेन्स डिपार्टमेंट को लिखा है कि सारे ५१ के ५१ हमारे बजट में आ जाने चाहिये। यह मसला फाइनेन्स डिपार्टमेंट में विचाराधीन है। हम खुद चाहते हैं कि उनको आपने डिपार्टमेंट में ले लें। जिससे उनकी ज्येष्ठता आदि के विचार करने में कठिनाई न पड़े।

श्री उग्रसेन—

अध्यक्ष महोदय, कोई कहां रहे और कहां जाय इससे क्या मतलब है ? जब श्रीमन, कमेटी की रिपोर्ट है और मुख्य सेक्रेटरी का आदेश है कि जो कर्मचारी एक विभाग में ३ साल तक काम कर चुका हो, उसे स्थायी कर दिया जाये ? कहां रहे, कहां जाय, उनको क्यों नहीं स्थायी किया गया ? जबकि उन्होंने ३ साल तक विभाग की सेवाएं पूरी कर ली हैं ?

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, हम स्थायी करते भी हैं। १४ को कर दिया है, २ का स्थायी होना इस साल के बजट में भी है।

विकास खंड, भीतरगांव के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*२७—श्री शिवनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री के पास कितने विधायकों के पत्र दिसम्बर, १९६४ के प्रथम सप्ताह में इस आशय के प्राप्त हुये कि विकास खंड भीतरगांव, जिला कानपुर में अनुदानों का दुरुपयोग एवं गबन तथा व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—

केवल एक विधायक का पत्र प्राप्त हुआ था। पत्र में उल्लिखित शिकायतों पर आवश्यक जांच की जा रही है।

मुहम्मदाबाद विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच

*२८—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माह सिदम्बर, १९६४ में फर्रुखाबाद जिले के मुहम्मदाबाद विकास खंड के बी० डी० ओ० द्वारा वहीं के एक ए० डी० ओ० (महिला) पर अश्लील व्यवहार करने तथा चरित्र भ्रष्ट होने संबंधी कोई शिकायती पत्र जिलाधीश तथा सरकार को दिये गये ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां। इस संबंध में शिकायती पत्र जिलाधीश, फर्रुखाबाद तथा कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, आयुक्त को भी प्राप्त हुये।

इस मामले की जांच खंड मंडलाधीश सदर द्वारा की जा रही है।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उल्लिखित जो बी० डी० ओ० है, उसके विरुद्ध, अन्य शिकायती पत्र इस प्रकार के पहले भी सरकार को प्राप्त हो चुके हैं और पत्रों में भी निकला है जिस पर उसके स्थानान्तरण के आदेश भी हो चुके थे ?

श्री राममूर्ति--

समाचार पत्रों, शिकायती पत्रों का तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी जो चरित्र-पंजिका है, उसमें वहां के अफसरों ने उसके खिलाफ इस प्रकार का कोई दोष नहीं लिखा है ।

श्री दयाराम शाक्य--

जब बी० डी० ओ० के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुआ और उसके पहले भी प्राप्त हो चुके हैं, तो उसका ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया ?

श्री राममूर्ति--

खाली शिकायती-पत्र किसी के विरूद्ध प्राप्त होने वे कुछ नहीं किया जा सकता है, जबतक कि उन शिकायतों की जांच न हो और वह सही न सिद्ध हों । दोष सिद्ध होने पर ट्रांसफर किया जाता है और दूसरी सजा भी दी जाती है ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

उक्त शिकायती-पत्र की गम्भीरता को देखते हुये और इतना अधिक समय बीत गया है इसे देखते हुये, क्या मंत्री महोदय खंड मण्डलाधीश को आज्ञा देने की कृपा करेंगे कि वह शीघ्र से शीघ्र महीने के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दें ?

श्री राममूर्ति--

खंड मंडलाधीश को हमने आदेश दे दिया है कि जल्दी जांच कर लें लेकिन उस महिला के पिता ने दरख्वास्त दी कि वे अपनी वकील को डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में पेश करना चाहते हैं लेकिन वह बात खिलाफ कायदा होने से अस्वीकृत कर दी गयी । अब उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा ले जाने के लिये डेढ़ महीने का समय मांगा है तो डेढ़ महीने के लिये उसे रोक दिया गया है ।

श्री उग्रसेन--

इस प्रकार की शिकायतें देवरिया से भी आई हैं । मेवालाल जी जायसवाल ने भी होला-गढ़ के एक ब्लाक महिला का पत्र दिया है उसे मैं मंत्री जी के पास भेजूंगा । फर्रुखाबाद की भी शिकायत है । तो क्या सरकार प्रदेशीय स्तर पर किसी सदाचार समिति के संगठन करने पर विचार करेंगे जहांपर उनके आचरण का निरीक्षण होता रहे ?

श्री राममूर्ति--

सदाचार समितियें नन्दा जी ने भारतीय स्तर पर बना रखी है अब क्या आप कोई और बनाना चाहते हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

फर्रुखाबाद और इसी तरह से कानपुर में भी शिकायत है । यह बात सत्य है कि ए०डी० ओ० महिलाएं बहुत संख्या में आती हैं और बी० डी० ओ० के खिलाफ शिकायतें करती हैं, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि बी० डी० ओ० (फीमेल्स) के लिये बिलकुल अलहदा से इंडिपेंडेंट ब्लाकों में इन्तजाम हो जहां पर सिर्फ स्त्रियां ही रहें ?

श्री राममूर्ति--

जहां तक शिकायतों का प्रश्न है हमारा डिपार्टमेंट इस मामले में बहुत सख्ती बरतता है और हर मुमकिन तरीके से इन्क्वायरी कराता है और जहां साबित हो जाता है उसको सख्त सजा दी जाती है ।

दूसरे पहलू का जहां तक ताल्लुक है, वह डिपार्टमेंटल मामला है, इस पर कोई विचार नहीं किया गया ।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या इस प्रकार के कुकृत्यों से जनसाधारण में अशान्ति और अनैतिकता के भाव बढ़ने के कारण सरकार मे अविश्वास पैदा होता है तो क्या सरकार ने कोई इस प्रकार के आदेश जारी किये हैं कि ऐसे कुकृत्य करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री दयाराम शाक्य—

बी० डी० ओ० को सजा न दे करके उस महिला को ही स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—

उस महिला के पिता ने डेढ़ महीने का वक्त मांगा है. . . .

श्री अध्यक्ष—

वह तो महिला के स्थानान्तरण के बारे में जानना चाहते हैं ।

श्री राममूर्ति—

उसकी कोई खबर नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

तो क्या मंत्री जी इसको सूचना मानकर जांच करावेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, वह देख लेंगे ।

लखनऊ में पंचायत राज सम्मेलन

*२९—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९६४ के मध्य में जो लखनऊ में सरकार द्वारा पंचायती राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया उसमें जिले से किन किन व्यक्तियों को बुलाया गया था तथा बुलाने का आधार क्या था और क्या उस सम्मेलन की कार्यवाही का वृत्त सदन में प्रस्तुत करने की कृपा की जायेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उक्त सम्मेलन में जिला परिषद् के अध्यक्ष एवं मुख्य अधिकारी के अतिरिक्त प्रत्येक जिले से एक एक प्रमुख तथा प्रधान को बुलाया गया था । प्रमुख तथा प्रधान का मनोनयन जिलाधीश, जिला परिषद् के अध्यक्ष तथा मुख्य अधिकारी की सहमति से किया जाना था । सम्मेलन मे दिये गये सुझावों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

श्री रक्षपालसिंह—

इस सम्मेलन को बुलाने का क्या उद्देश्य था और क्या सरकार सम्मेलन की सिफारिशों को कार्यान्वित कराने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

---

*छापा नहीं गया ।

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, सम्मेलन तो इसलिये बुलाया गया था कि साल भर के अन्दर जिला परिषद् के अध्यक्षों को जो तजुर्बे होते हैं, कानून के बारे में उनको जो कठिनाइयां होती हैं उनपर विचार किया जा सके। साथ ही साथ जो प्रमुख हैं और सभापति लोग हैं उनको ऐसोशियेट किया जाय। साथ ही जिला परिषद् की वर्किंग में कोई जानने योग्य चीज हो तो वह जानी जा सके, उसके लिये यह सम्मेलन किये जाते हैं। साथ ही जो रिपोर्ट आती है सरकार कोशिश करती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा माने और जो नहीं मानने की होतीं उनको सरकार नहीं भी मानती।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, जो लखनऊ और देवरिया में और जगहों पर जो पंचायत राज सम्मेलन होते हैं उनमें जिलों से जो कांग्रेस के छोटे-छोटे वर्कर्स हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पंचायती राज्य सम्मेलन जो आप जिले- जिले में कर रहे हैं उसमें क्या केवल कांग्रेसी लोग ही शामिल होंगे और कांग्रेसी नेताओं के भाषण होंगे या उसमें दूसरे लोगों को भी समावेश करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

यह सवाल दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उसमें सारे प्रदेश भर के लोग थे। सारे प्रदेश के अध्यक्ष, एक एक प्रमुख, एक सभापति जिनको जिला मजिस्ट्रेट और प्लानिंग अफसर ने छांटा था, लेते आये थे। इसके अलावा डिवीजनल हेड क्वार्टर जिलों के अन्दर जो सम्मेलन होते हैं उनमें इस बात की कोशिश की जाती है कि हर सम्मेलन में कम से कम आधे प्रमुख जरूर बुला लिये जायं। उसी अनुपात में सभापति भी बुलाये थे। इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है कि किसी को छोड़ दिया जाय। अगर एक दफा किसी को बुला लिया है तो दूसरी बार दूसरे को जरूर बुला लिया जायगा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि अभी तक प्रमुख और प्रधानों का चयन अध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट और प्लानिंग अफसर करते हैं। तो जितने अध्यक्ष हैं वे सब कांग्रेसी हैं और जिला मजिस्ट्रेट कांग्रेसियों को चुनता है। जितने प्रधान आये वे सब कांग्रेसी हैं तो इस तरीके को बदलने की कोशिश करेंगे और प्रमुख और प्रधानों का चयन ब्लाक बी० डी० सी० के द्वारा करने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

यह बी० डी० सी० के जरिये से सेलेक्शन करना अच्छा रहेगा और हम इस पर आगे के लिये विचार करेंगे।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सभी राजनैतिक प्रधान और जिलों के कार्यकर्ता इसमें भाग नहीं लेते हैं यदि ऐसा है तो ऐसे सम्मेलन जब जिलों में हों उनके लिये मान्यता प्राप्त दलों के दफतरों में आमन्त्रण भेजने के लिये जिलाधीश को आदेश देंगे ?

श्री राममूर्ति—

यह राजनैतिक सम्मेलन नहीं होता है, यह तो डिपार्टमेन्टल मामला है लेकिन मैंने अर्ज किया कि ऐसा कायदा बन गया है कि जिसमें कोई प्रमुख बच नहीं सकता है। अगर एक दफा एक आ गया तो दूसरी बार दूसरा जरूर बुला लिया जायगा।

श्री रक्षपालसिंह—

जो सम्मेलन हुआ था उनमें १०, १२ समितियां बनी थीं और उन्होंने अच्छे सुझाव दिये थे तो वे सुझाव माननीय सदस्यों तक नहीं पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सब सदस्यों को इसकी प्रति दिला दें और फिर सदन में चर्चा होने की व्यवस्था करें ?

श्री राममूर्ति—

माननीय सदस्यों को उसमें दिलचस्पी है तो जरूर सुविधा दी जायगी।

बलिया जिले में विकास अधिकारियों का यात्रा भत्ता तथा विकास खंडों को अनुदान

*३०—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला के अन्तर्गत विकास खंडों बेलहरी, रेवती और मुरली छपरा के खंड प्रमुखों ने सन् १९६३—६४ मे कितने-कितने रुपये यात्रा भत्ता के मद के लिये और अपने-अपने विकास खडों में किन-किन महीनों में किन-किन थानों का दौरा किया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वांछित सूचना संलग्न है :

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२५—२२६ पर।)

*३१—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेलहरी विकास खंड के अन्तर्गत १९६१—६२ और १९६२—६३ में अल्प सिंचाई योजना और पेय जल योजना कूप निर्माण के अन्तर्गत कितना-कितना रुपया ऋण या अनुदान के रूप में किन-किन व्यक्तियों को दिया गया और कितने कुयें उस ऋण या अनुदान के अन्तर्गत बन कर तैयार हो गये हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मंत्री जी ने जो सूचना दी है उसमें बिलहरी ब्लाक तो आफिस है इसके ब्लाक प्रमुख को छोड़ दिया गया है। वह राजा हैं और कहीं जाते नहीं हैं। वे अपने महल से बाहर नहीं निकलते हैं। इन्होंने ३०० रुपये भत्ता रेहंवा और बिगहीं का बनाया है। वहां पर पानी की वजह से वह जा भी नहीं सकते हैं। जब पानी भरा रहता है तो उन दिनों में वह वहां पर कैसे गये ? और कैसे यह भत्ता चार्ज किया ?

श्री राममूर्ति—

इसमें तीन ब्लाक का जिक्र है। जहां तक पहले का ताल्लुक है वह तो नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी का है और दूसरे का मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर का है..

श्री काशीनाथ मिश्र—

यही मैं जानना चाहता हूं कि अगस्त, सितम्बर में वह कैसे गये ?

श्री राममूर्ति—

उसकी जांच की जा सकती है।

श्री उग्रसेन--

इस बात को देखते हुए कि सितम्बर, अक्तूबर में बाढ़ के इलाके का दौरा राजा साहब हल्दी ने जीप से किया है, उनके लिये जर्मनी से जूते मंगवा देंगे जिस पर चढ़ करके पानी में चला जाता है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

बड़हलगंज विकास अधिकारी का दौरा

*३२--श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास खंड बड़हलगंज, जिला गोरखपुर के विकास अधिकारी ने १ जनवरी, सन् १९६४ से ३१ दिसम्बर, सन् १९६४ तक अपने विकास खंड के किन-किन गांवों का दौरा किस तारीख को किया ? और उसका उन्होंने कितना भत्ता लिया है ?

*३३--क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि विकास खंड बड़हलगंज, गोरखपुर के बी० डी० ओ० ने क्षेत्र के बाहर किस-किस तारीख को दौरा किया है १ जनवरी, से लेकर ३१ दिसम्बर, १९६४ तक तथा कितना-कितना भत्ता लिया है ?

श्री राममूर्ति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*३४--श्री चन्द्रबलीसिंह--

(प्रश्नकर्त्ता के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।)

सहारनपुर जिला अस्पताल में बेकार मशीनें

*३५--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर, जिला अस्पताल में प्रति दिन काम आने वाली आवश्यक मशीनों में से कौन-कौन मशीन भिन्न-भिन्न कारणों से और कब-कब से बेकार पड़ी है और क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सहारनपुर जिला अस्पताल में प्रतिदिन काम आने वाली आवश्यक मशीनों में से निम्न-लिखित मशीनें काम में नहीं आ रही हैं। कौन-कौन सी मशीन कब कब से बेकार पड़ी हैं, इनका विवरण उन मशीनों के नाम के आगे दिया गया है। मशीनें क्यों खराब हैं तथा उसके क्या कारण हैं, इसके लिये कोई विशेष कारण नहीं बतलाया जा सकता। प्रत्येक मशीन इस्तेमाल होने पर घिसती रहती है और एक दिन उसमें कोई न कोई खराबी आ ही जाती है, ऐसा ही निम्नलिखित मशीनों के साथ भी हुआ है :--

१--१०० एम० ए० एक्सरे मशीन--

यह मशीन १०-६-६४ से खराब पड़ी थी। पहले तो इसकी खराबी का इन्जीनियर्स पता नहीं कर सके लेकिन २०-२-६५ को कम्पनी ने अपना अनुभवी इन्जीनियर भेज कर इसको ठीक करा दिया है तब से यह मशीन ठीक कार्य कर रही है। इस अस्पताल में एक २०० एम० ए० एक्सरे मशीन भी है। अतः १०० एम० ए० एक्सरे मशीन के खराब होने के कारण मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई।

२—पोर्टेबुल एक्सरे मशीन—

पिछले ७ माह से खराब है। कम्पनी के इन्जीनियर मशीन को देख गये हैं और शीघ्र ही इस मशीन को ठीक करने के लिये कह गये हैं।

३—डाइथर्मी मशीन—

यह मशीन सितम्बर, ६१ से कुछ कुछ खराब चल रही थी, बीच बीच में मामूली मरम्मत से चलती थी। लेकिन अब ४ माह से बिल्कुल काम नहीं कर रही है। इसके स्थान पर वहां दूसरी मशीन भेज दी गई है जो सुचारु रूप से चल रही है। खराब मशीन को ठीक कराने के लिये कार्यवाही चल रही है।

४—इलैक्ट्रोकारडियोग्राम—

यह मशीन डाक पत्थर सैनेटोरियम से खराब हालत में आई थी जिससे कोई कार्य नहीं लिया जा सकता था। चूंकि दूसरी मशीन भी अपस्ताल में मौजूद थी, कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ी। यह मशीन ठीक होने के लिये कम्पनी को ११-१२-६४ को गई है। दूसरी मशीन भी १०-११-६४ से खराब चल रही थी जिसे विशेष वाहक द्वारा लखनऊ २६-१-६५ को मरम्मत के लिये भेज दिया गया है। शीघ्र ही ठीक हो जाने की आशा की जाती है।

५—इनक्यूबेटर—

यह मशीन सितम्बर, १९६४ से खराब है। कम्पनी को उसकी मरम्मत के लिये लिख दिया गया है। शीघ्र ही ठीक हो जाने की आशा की जाती है।

६—रेफ़्रीजरेटर—

२ रैफ़्रीजरेटर जुलाई, १९६४ से खराब हैं। इनकी मरम्मत के लिये प्रयत्न जारी है तथा शीघ्र ठीक होने की आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त ४ रैफ़्रीजरेटर और हैं जिनसे अस्पताल का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मंत्री जी की सूचना के मुताबिक सन् ६४, जून के बाद ही ये तमाम मशीनें खराब हुयीं एक साथ, तो क्या इसकी फिर से जांच करवायेंगे कि बहुत सी मशीनें, जैसे इलेक्ट्रोकारडियोग्राम, सन् १९५३ से खराब हैं, आने के बाद ६ महीने काम किया है तब से खराब चल रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

मैं निवेदन कर चुका हूं कि इलेक्ट्रोकार डियोग्राम डाक पत्थर से खराब हालत में आया था।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि ये सब मशीनें यहां लगाने से पेश्तर खरीदी गयीं जब कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बाहर से पुरजे मंगाने पर पाबन्दी लगा दी थी ? इसको जानते हुये भी प्रान्तीय स्तर पर क्यों नहीं मशीनों को खरीदा गया, जबकि बाहर से खरीदने के लिये सरकार अनुमति नहीं दे रही थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, यह तो बात नहीं है। सब मशीनें कोई एक ही कम्पनी से तो खरीदी जाती नहीं हैं। जो विदेशी मशीनें हैं उनके पुर्जे आदि जब खराब हो जाते हैं तो फारेन एक्सचेंज आदि की दिक्कत के कारण जब वे नहीं मिल पाते तो ऐसी दिक्कत पैदा हो जाती है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जो मशीनें खराब हैं उनकी पूरी कीमत कितनी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उनकी कीमत की सूची मेरे पास है, आप कहें तो मैं पढ़ दूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो कम्पनियां मेडिकल इन्स्ट्रमेन्टस सप्लाई करती हैं वह कुछ समय की गारन्टी देती हैं और अगर उस समय में कोई मशीन खराब होती है तो उसके बदले में वे दूसरी रिप्लेस करते हैं । तो जो मशीनें खराब हो गयीं क्या उनके बारे में आपने कम्पनी से कोई लिखा पढ़ी की ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कम्पनी एक ही साल के लिये गारेन्टी देती हैं इससे अधिक की नहीं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

एक साल के अन्दर ही खराब हुई थीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

एक साल के अन्दर खराब नहीं हुईं ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि टैक्नीकल एक्सपर्ट न होने के कारण यह मशीनें जल्दी ही खराब हो जाती हैं क्योंकि उनकी देख रेख नहीं हो पाती, यदि हां, तो क्या हर अस्पताल में टैक्नीकल एक्सपर्ट रखने की सरकार कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके लिये टैक्नीकल एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनकी भी उपलब्धि का एक प्रश्न तो है ही ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

मेरी जानकारी है कि जो प्राइवेट मशीन होती हैं वे खराब नहीं होतीं, अस्पताल की ही खराब होती हैं । तो क्या पूरे प्रदेश में कुछ अनुभवी टैक्नीशिएन्स सरकार ऐसे रखने की कृपा करेगी जो इनकी अच्छी तरह से देख-रेख कर सकें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हमारे यहां टैक्नीशिएन्स होते हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जब सहारनपुर में यह मशीनें खराब हैं तो क्या सरकार उनकी जगह नयी मशीनों की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वे चल रही हैं, कोई काम रुका नहीं है और न ही किसी स्टेज पर रुका था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उत्तर प्रदेश में कई जगह, आजमगढ़ भी उनमें से है, ऐसी हैं जहां पर एक्सरे मशीनें जब से आयी हैं तभी से खराब पड़ी हैं । तो ऐसी कम्पनियों से क्यों उनको खरीद लिया जाता है जो समझौते तक का पालन नहीं करतीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ऐसी बात तो अभी तक नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की कुछ कम्पनीज से सांठगांठ है और उन्हीं की साजिश से यह सड़ी गली मशीनें खरीद ली जाती हैं और यह खरीद कर सहारनपुर में भेजी गयी हैं? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं यह गलत बात है, यह लांछन लगाया जा रहा है इस विभाग के अधिकारियों पर। यह मशीनें विदेशी हैं और ऊंची ऊंची कंपनियों से खरीदी जाती हैं।

(१० मार्च, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

जिला परिषद् कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

*१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् के कर्मचारियों की सेवायें, नियोजन विभाग के कर्मचारियों के साथ मर्ज करने, उन्हें पेंशन देने अन्य सरकारी तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता बढ़ा कर देने के संबंध में सरकार की पूर्ण योजना क्या है?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिला परिषदों के कर्मचारियों की सेवायें नियोजन विभाग के कर्मचारियों के साथ (merge) करने तथा उन्हें पेन्शन देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रश्न, जैसा कि श्री विजय सिंह द्वारा किये गये प्रश्न के उत्तर में पहले सूचित किया जा चुका है, पंचायती राज साधन समिति को सौंप दिया गया है।

*२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषद् के कर्मचारियों के लिये कोई पे कमेटी सरकार ने बैठा दी है, जो उनकी वेतन सुविधाओं के विषय में विचार कर रही हैं? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट कब तक सदन के सम्मुख आ जावेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक जितने हैं, उनके जितने कर्मचारी हैं, सब सरकारी हैं? पंचायत सेक्रेटरी भी आपने सरकारी मान लिया है? तो जिला परिषद् जो उससे ऊंची संस्था और जो इससे पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था, वह सेमी आफिसियल बाडी में आता था, तो ऐसी स्थिति में इस जिला परिषद् के कर्मचारियों की ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, वे ज्यादा क्षेत्र पर कमान्ड करते हैं, तो उनको सरकारी या अर्द्ध सरकारी मानने में क्या आपत्ति है ?

श्री राममूर्ति—

इसमें कोई नई स्थिति नहीं पैदा हुई है, इसमें जो स्थिति थी, वही है।

श्री ऊदल--

इन ब्लाकों में जो सेक्रेटरी काम करते हैं, वे अर्द्ध सरकारी हैं और उनकी तनख्वाह भी बहुत कम है, सरकार उनकी तनख्वाह ५ रुपया और कम कर दे, लेकिन उनको सरकारी घोषित कर दे।

श्री राममूर्ति--

यह प्रश्न अभी साधन समिति के सामने हैं, लेकिन अभी सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया है।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान स्वास्थ्य मंत्री की उस घोषणा की ओर गया है, जिसमें वे नगरपालिका के कर्मचारियों के लिये कोई कमेटी वेतन संबंधी बना रहे हैं ? क्या मंत्री जी जिला परिषद् के कर्मचारियों के सवाल को भी उसी कमेटी के हवाले कर देंगे ?

श्री राममूर्ति--

हमारे विभाग ने एक रिसोर्सेज कमेटी अलग बैठाल रखी है, उसके लिये सवाल दे दिया है, उसके बाद हम फिर सोचेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

जिला परिषद् के जो कर्मचारी बहुत वर्षों से उपेक्षित चले आ रहे हैं, तो उन्होंने यह बताया कि पंचायती राज्य साधन समिति को उनकी महंगाई का प्रश्न दे दिया है, तो कौन-कौन सी बातें इस पंचायती राज्य समिति को दिये हैं, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

डिटेल के लिये नोटिस की जरूरत है।

गुलड़िया स्वास्थ्य केन्द्र का स्थानान्तरण

*३--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या यह सच है कि बदायूं जिले के गुलड़िया ब्लाक को सन् १९६१ ई० में तोड़ दिया गया है और वह ब्लाक ग्राम जगत में कर दिया गया है, पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर गुलड़िया था वह जगत ब्लाक की अस्पताल की बिल्डिंग में अभी तक नहीं पहुंच सका है, इस विषय के कागजात सरकार के हेल्थ विभाग (ख) में पिछले दो वर्ष से रुके पड़े हैं ? यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां। जगत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये भवन का निर्माण जारी है जिसके पूर्ण होते ही उक्त केन्द्र को गुलड़िया से जगत में स्थानान्तरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

जिला परिषद् अधिकारियों का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग

*४--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार ने जिला परिषद् में कार्य कर रहे किन अधिकारियों के पदों का प्रान्तीयकरण करने का निश्चय किया है और इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

नोट--तारांकित प्रश्न २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राममूर्ति--

राज्य सरकार ने जिला परिषदों के कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, अभियन्ता और चिकित्सा अधिकारी (एलोपेथिक) के पदों का एक केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग (central transferable cadre) बनाने का निश्चय किया है। इस योजना को यथाशीघ्र कार्यान्वित किये जाने की आशा है।

*५--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन पदों का प्रान्तीयकरण किया गया है यदि वह स्थान रिक्त हो गया है, तो उस स्थान को भरने की व्यवस्था लोक सेवा आयोग द्वारा की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

जी हां। प्रश्न नहीं उठता।

*६--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार ने नव नियुक्तियों के संबंध में कोई ऐसे नियम तैयार किये हैं कि उम्मीदवारों की क्या योग्यतायें होंगी ? इसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--

नियम तैयार किये जा रहे हैं और इस समय वे लोक सेवा आयोग के विचाराधीन हैं। नियम अन्तिम रूप से तैयार हो जाने पर सदन की मेज पर रख दिये जायेंगे।

*७-८--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

(पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६२-६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।)

स्वास्थ्य अधिकारी के बिना नगरपालिकायें

*९--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितनी नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनमें लगभग २ वर्ष से कोई स्वास्थ्य अधिकारी नहीं हैं ? यदि बहुत सी नगरपालिकायें ऐसी हैं तो इसका कारण क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

उत्तर प्रदेश में सात नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनमें लगभग २ वर्ष से कोई स्वास्थ्य अधिकारी नहीं है।

इसका कारण स्वास्थ्य अधिकारियों की अत्यधिक कमी है।

*१०--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने असिस्टेंट हेल्थ आफिसरों की जगह आठ या दस वर्ष से खाली पड़ी हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

उत्तर प्रदेश में ४५ असिस्टेन्ट हेल्थ आफीसरों की जगहें आठ या दस वर्ष से खाली पड़ी हैं।

इसका कारण स्वास्थ्य अधिकारियों की अत्यधिक कमी है।

*११--श्री हरीशकुमार गंगवार--

(पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।)

*१२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

(नवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।)

*१३-१५—श्री कमलासिंह यादव—

(छटेवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।)

*१६-१७—श्री ऊदल—

(छटेवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।)

*१८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

(हटा दिया गया।)

मुरादाबाद में सहकारी उपभोक्ता समितियां

*१९—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मुरादाबाद सिटी में कौन-कौन सी उपभोक्ता सहकारी समिति हैं और उनका अपना कितना-कितना सरमाया है ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२७ पर)

*२०—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सरकार ने उन उपभोक्ता सहकारी समितियों को कितना-कितना खर्चा दिया है और रुपये के आडिट कौन करता है ?

श्री बनारसीदास—

केवल थोक केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार लि० मुरादाबाद सहकारी उपभोक्ता भंडार को एक लाख रुपये का ऋण दिया गया है।

रुपये का आडिट, चीफ आडिट आफिसर सहकारी समितियां एवं पंचायत उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नियुक्त आडिटरों द्वारा होता है।

*२१—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री को यह मालूम है कि शहर उपभोक्ता सोसाइटी ने लाहौरी नमक और लौंग की खरीद फरोख्त भी की है ? यदि हां तो कितने रुपये की ?

श्री बनारसीदास—

थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार, मुरादाबाद द्वारा लाहौरी नमक और लौंग की खरीद फरोख्त की सूचना निम्न प्रकार है—

क्रम संख्या	नाम वस्तु		क्रय		विक्रय	
			वजन (क्वि० में)	कीमत	वजन (क्वि० में)	कीमत
				रु०		रु०
१	लौंग	..	४.१७.५००	९,०४९.२५	३.१३.९०	८,६३८.०२
२	लाहौरी नमक	..	२०५.२८.००	६,३३८.१७	१७२.२०.०	५,८०५.७२

सबार्डिनेट लेबर सर्विस में हरिजन

*२२—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश में सबार्डिनेट सर्विस के विभिन्न ग्रुपों में स्थायी व अस्थायी कितने पद हैं और उनमें से हरिजन कितने प्रतिशत हैं तथा हरिजनों का सुरक्षित कोटा पूरा करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

श्री बनारसीदास—

सबार्डिनेट लेबर सर्विस के विभिन्न ग्रुपों में २३३ स्थायी तथा १४३ अस्थायी पद हैं। उपर्युक्त सर्विस में ३–१ २ प्रतिशत हरिजन हैं। रिक्त पदों में भर्ती के लिये लोक सेवा आयोग से मांग पत्र भेजते समय हरिजनों का कोटा पूरा करने के लिये लिख दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हरिजन सहायक समिति कानपुर से भी उपयुक्त हरिजन अभ्यर्थियों की सूची भेजने के लिये लिखा जाता है ।

*२३—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि श्रम विभाग ने सन् १९६३ व १९६४ में सबार्डिनेट सर्विस ग्रुप तीन में कितने कर्मचारियों को स्थायी किया है और उनमें से कितने हरिजन हैं तथा जो स्थायी किये गये हैं वे क्या ज्येष्ठता के आधार पर किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

४० कर्मचारी स्थायी किये गये। उनमें एक हरिजन हैं। इन कर्मचारियों को ज्येष्ठता के आधार पर स्थायी किया गया है ।

आई० टी० आई०, फर्रुखाबाद में डाक्टर

*२४—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के आई० टी० आई० (इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), फर्रुखाबाद में किसी डाक्टर की पूरे समय के लिये स्थायी रूप से नियुक्ति होनी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसीदास—

आई० टी० आई० फर्रुखाबाद में पूरे समय के लिये स्थायी रूप से किसी डाक्टर की नियुक्ति नहीं होनी है ।

*२५—श्री महरामसिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को इस बात का भी पता है कि किसी डाक्टर के नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में एक लम्बे अरसे से कागज चल रहा है और सरकार द्वारा इस नियुक्ति के वेतन इत्यादि के लिये ग्रांट भी स्वीकृत है ? यदि हां, तो नियुक्ति का निर्णय अभी तक क्यों नहीं किया जा सका ?

श्री बनारसीदास—

यह प्रश्न नहीं उठता ।

*२६–२८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

(प्रश्नकर्ता के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।)

खीरी जिले में हरिजन वैक्सीनेटर्स

*२९–श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खीरी जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जुलाई, सन् १९६४ ई० से अब तक टीका लगाने वालों के (वैक्सीनेटर्स) के कितने बैचों के चुनाव हुये और क्या उन्हें ट्रेनिंग दे करके सेवा में नियुक्त कर दिया गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना––

स्वास्थ्य विभाग जिला खीरी के अन्तर्गत जुलाई सन् ६४ से अब तक चार बैचों में वैक्सीनेटर्स के चुनाव हुये। यह सब पहले ही से ट्रेनिंग पा चुके थे अतः इन्हें ट्रेनिंग देकर नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३०–श्री छेदालाल चौधरी––

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कथित चुनाव में प्रत्येक जत्थे में हरिजनों की संख्या कितनी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना––

इन चुनावों में पहले जत्थे में कोई भी हरिजन नहीं आया। दूसरे में एक हरिजन था। तीसरे जत्थे में भी कोई हरिजन नहीं था और चौथे में एक हरिजन था।

*३१–श्रीमती किश्वर आरा बेगम (जिला रामपुर)––

(छठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।)

मिल वर्कर्स की इलाज व्यवस्था

*३२–श्रीमती किश्वर आरा बेगम––

क्या सरकार को यह मालूम है कि ई० एस० आई० स्कीम के तहत कारखानों के वर्करों के वेतन से पैसा काटा जाता है परन्तु मालिकों द्वारा पैसा जमा न करने पर वर्करों का इलाज बन्द कर दिया जाता है और इसके फलस्वरूप गरीब वर्करों को प्राइवेट और महंगा इलाज कराना पड़ता है ? क्या सरकार इन त्रुटियों को दूर करने के लिये कोई उचित प्रबंध करने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना––

मिल मालिकों द्वारा चन्दा जमा न किये जाने पर नियमानुसार बीमाशुदा कर्मचारियों का इलाज बन्द कर दिया जाना चाहिये परन्तु उक्त कर्मचारियों की असुविधा का ध्यान रखकर ऐसी अवस्था में भी उनका इलाज बराबर जारी रहने की व्यवस्था है ।

*३३–श्री ऊदल––

(छठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।)

झांसी जिला परिषद् में आडिट

*३४–श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)––

क्या सरकार का ध्यान झांसी जिला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा परिषद् के फंड के स्वेच्छाचारितापूर्ण किये गये व्यय व दुरुपयोग के सम्बन्ध में आडीटरों की अभी हाल ही की रिपोर्ट की ओर आकर्षित हुआ है ? अगर नहीं, तो क्या वह उसकी प्रतिलिपि सदन में मेज पर रखेगी ?

श्री राममूर्ति—

परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश ने जिला परिषद्, झांसी के लेखाओं पर आडीटरों की वर्ष १९६३–६४ तथा १९६४–६५ की लेखे क्षण तथा निरीक्षण टिप्पणियां अभी तक शासन को नहीं भेजी हैं। अतः इन रिपोर्टों की प्रतिलिपियों को सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

*३५–३७–श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

(छठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।)

न्याय पंचायत कोलमोदी के सरपंच का आचरण

*३८–श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत तहसील सगड़ी के न्याय पंचायत परशुरामपुर कोल मोदी के सरपंच को नैतिक अपराध में कई सजायें हो चुकी हैं और कई मुकदमें भी अदालत में विचाराधीन हैं? यदि हां, तो पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति—

आजमगढ़ जिले की न्यायपंचायत परशुरामपुर कोल मोदी के सरपंच श्री राम नारायण सिंह के विरुद्ध इस समय कोई मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन नहीं है। पूर्व में उन्हें निम्नलिखित दंड मिल चुके हैं:—

(१) दिनांक १६–१२–४२ को भारतीय दंड विधान की धारा ३२३ के अन्तर्गत १ माह का कारावास।

(२) दिनांक १९–८–४३ को भारतीय दंड विधान की धारा ३९५ के अन्तर्गत ६ वर्ष का कारावास।

*३९–४०–सर्वश्री महरामसिंह, सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी) तथा माधोनारायण मुद्गल (जिला मैनपुरी)—

(पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६५–६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।)

*४१–४३–श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई) तथा श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

(छठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।)

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में श्री गिरीशचन्द तिवारी की मृत्यु की जांच

*४४–कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर), (सर्वश्री कमलासिंह यादव तथा टम्बेश्वर प्रसाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ६ फरवरी, १९६५ को बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में शाहजहांपुर के हाईडिल इंजीनियर श्री गिरीश चन्द तिवारी की मृत्यु, समय से खून न दिये जाने के कारण हुई है? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्री तिवारी की मृत्यु बलरामपुर अस्पताल में ३–१–६४ को हुई। यह अभी नहीं कहा जा सकता है कि इनकी मृत्यु केवल समय से खून न दिये जाने के कारण ही हुई। अभी मामले की जांच हो रही है?

करमैनी घाट का ठेका

*४५–श्री दयाराम शाक्य––

क्या विकास मंत्री को यह ज्ञात है कि कमिश्नर, गोरखपुर मंडल ने अपने पत्र संख्या ३०२/XXI-२१ (६१–६२), दिनांक १२ नवम्बर, १९६३ के द्वारा करमैनी घाट, जिला गोरखपुर का ठेका नाविक जल मजदूर सहकारी समिति, कोनी करमैनी, जिला गोरखपुर को तीन वर्ष के लिये दिया था ?

श्री राममूर्ति––

करमैनी घाट का ठेका आयुक्त, गोरखपुर मंडल, के पत्र संख्या २१९/२१–२१ (६१–६२), दिनांक ३० अक्तूबर, १९६३ द्वारा तीन साल के लिये २४,०००) प्रति वर्ष के दर से नाविक जल मजदूर सहकारी समिति कोनी, करमैनी जिला गोरखपुर को १–४–६४ से ३१–३–६७ तक के लिये दिया गया था। बाद में जिला परिषद् गोरखपुर के अभ्यावेदन पर इस घाट का ठेका केवल एक वर्ष (१९६४–६५) के लिये कर दिया गया।

*४६–श्री दयाराम शाक्य––

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि उक्त समिति का कार्य सन्तोषजनक होने पर भी ३० जनवरी, १९६५ को पुनः उक्त घाट का ठेका क्यों नीलाम कर दिया गया है ?

श्री राममूर्ति––

चूंकि समिति को घाट का ठेका केवल एक वर्ष को दिया गया था। अतः जिला परिषद् द्वारा ३० जनवरी, १९६५ को अगले वर्ष १९६५–६६ के ठेके के लिये नीलाम किया।

*४७–४९–श्री शांतिचन्द्र शुक्ल––

[छठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद मेडिकल कालेज में बच्चों का इलाज

*५०–श्री कल्याणचन्द मोहिले––

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के मेडिकल कालेज में बच्चों की बीमारी पोलियो की चिकित्सा का कोई प्रबंध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना––

चिकित्सा का प्रबंध है।

बेलौली–रतनपुरा सड़क का निर्माण

*५१–श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)––

प्रश्नकर्ता के दिनांक १० फरवरी, १९६५ के प्रश्न २३–२४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त बेलौली–रतनपुरा सड़क का सात मील का शेष भाग जो ब्लाक रतनपुरा में स्थित है उसे भी चतुर्थ चरण में सम्मिलित करके केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेज दिया गया था ?

श्री राममूर्ति––

जी हां।

*५२—श्री बृजबिहारी—

यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या केन्द्रीय सरकार से उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं ।

*५३—श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़)—

[छठे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

इटावा जिले में कुक्कुट पालन के लिए सहायता

*५४—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक भाग्यनगर (इटावा) तथा ब्लाक सहार (इटावा) के अन्तर्गत सन् १९६१, ६२, ६३, ६४ में किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना रुपया मुर्गी पालने के लिये अनुदान या तकावी के रूप में दिया गया है ?

*५५—क्या यह सच है कि उनमें से कुछ व्यक्तियों ने इस दलील के साथ कि इनकी मुर्गियां रोग से मर गयी हैं, रुपया माफ करा लिया है ?

*५६—यदि हां, तो ये कौन-कौन से व्यक्ति हैं तथा उन्होंने कितना-कितना रुपया माफ करा लिया है और क्या रुपया माफ कराने के पहले किसी उच्चाधिकारी ने इसकी जांच की थी ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५७—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५८-५९—श्री होरी लाल यादव—

[छठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

कारखानों में उपभोक्ता भंडार

*६०—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या सहकारिता मंत्री प्रदेश के सभी ऐसे कारखानों में जहां कि १०० से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां सस्ते दर पर उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान खुलवाने की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो दुकानें कब तक खुल जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं। ऐसे प्रतिष्ठानों में जहां ३०० या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, उपभोक्ता भंडार (सस्ते गल्ले की दुकानों) के खुलवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है । इस समय तक ३१ प्रतिष्ठानों में उपभोक्ता भंडार और १०७ प्रतिष्ठानों में सस्ते गल्ले की दुकानें खुली हैं ।

अतारांकित प्रश्न

१३—श्री झारखण्डे राय—

[छठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

रामपुर इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड में वर्कर्स का फंड

४—श्रीमती किश्वर आरा बेगम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामपुर इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, रामपुर में कार्य करने वाले वर्करों के वेतन से जो प्राविडेंट फंड का पैसा काटा जाता है उस पैसे की रसीदें ३ साल से जारी नहीं की गईं ? इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

वर्ष १९६२–६३ की रसीदें क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा मार्च, १९६४ में इस अधिष्ठान के पास श्रमिकों को वितरित करने के लिये भेजी गई थीं जिनमें इस अधिष्ठान द्वारा अगस्त, १९६२ तक के अंशदान (Contributions) का उल्लेख किया गया था। उस के पश्चात के अवधि की रसीदें जारी नहीं की जा सकीं क्योंकि इस अधिष्ठान ने अंशदान के देने में विलम्ब किया तथा अधिष्ठान द्वारा इस संबंध में भेजे गये पत्रों में त्रुटियां थीं जिन के ठीक करने में समय लगा।

५—श्रीमती किश्वर आरा बेगम—

क्या सरकार को यह मालूम है कि रामपुर इंजीनियरिंग कं० लि० रामपुर के मालिकों के पास इस समय करीबन ६०,००० रु० प्राविडेंट फंड का रुका हुआ है परन्तु संबंधित सरकारी अधिकारियों ने इस समय वसूलयाबी का कोई उचित प्रबन्ध नहीं किया है ?

श्री बनारसीदास—

जो नहीं, इस अधिष्ठान पर श्रमिकों के प्राविडेण्ट फण्ड का लगभग २०,६०० रु० बकाया है। इसके वसूल करने के लिये आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

६—श्रीमती किश्वर आरा बेगम—

क्या सरकार को यह मालूम है कि रामपुर इंजीनियरिंग कं० लि०, रामपुर के मालिकों द्वारा इस प्रकार रुपया रोक लेने से वर्करों को बहुत बड़ी परेशानी और आर्थिक हानि उठानी पड़ती है ? इस हानि को रोकने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध करेगी ?

श्री बनारसीदास—

प्राविडेण्ट फंड का रुपया देर में जमा करने के फलस्वरूप आर्थिक हानि को रोकने के लिये निम्नलिखित प्रबन्ध किया गया है :

(१) प्राविडेण्ट फंड के सदस्यों को उनके अंशदान पर उसी समय से ब्याज दिया जाता है जब से वह अंशदान फण्ड को देय होते हैं।

(२) विलम्ब को रोकने के लिये अधिष्ठानों पर नियमानुसार क्षति पूर्ति (Damages) लगाये जाते हैं।

७—श्रीमती किश्वर आरा बेगम—

क्या सरकार इस पर उचित ध्यान देने की कृपा करेगी कि इस कम्पनी में वर्करों को प्राविडेंट फंड के हिसाब में आवश्यकता पड़ने पर जो पहले इस जमा रकम से कर्ज मिल जाता था और जिसका आदेश यू० पी० सरकार द्वारा दिया गया था वह अब बन्द कर दिया गया है ?

श्री बनारसीदास—

यह योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई है और उसका संचालन भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा करती है। योजना में कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये करजा देने की व्यवस्था है।

मथुरा जिले में मलेरिया विभाग के कर्मचारी

८---श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले में मलेरिया विभाग में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और वे एक ही स्थान पर कब से हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मलेरिया विभाग, मथुरा में इस समय कुल १७४ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इनके एक ही स्थान में रहने की अवधि निम्न प्रकार है :

५८ कर्मचारी कुल ६ महीने से
२९ कर्मचारी कुल १ वर्ष से
२० कर्मचारी कुल १ १/२ वर्ष से
२९ कर्मचारी कुल २ वर्ष से
१२ कर्मचारी कुल २ १/२ वर्ष से
२ कर्मचारी कुल ३ वर्ष से
४ कर्मचारी कुल ३ १/२ वर्ष से
१० कर्मचारी कुल ४ वर्ष से
१ कर्मचारी कुल ४ १/२ वर्ष से
९ कर्मचारी कुल ५ वर्ष से

१७४

९---श्री लखीसिंह--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कितने कर्मचारी अपने घर को ही अपना हेडक्वार्टर बना कर रहते हैं और क्या उनमें दो सगे भाई भी हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

१३ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका हेड क्वार्टर उनके घर पर ही है। उनमें से कोई भी दो सगे भाई नहीं हैं।

*१०---श्री ऊदल--

[छठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

पिंडरा ब्लाक में अधिक अन्न उपजाओ योजनान्तर्गत दिया गया धन

११---श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५७-५८ में श्री अम्बिका मरुई, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी को ७५० रु० तथा १९५८-५९ में ७५० रु०, १९५९-६० में २,५०० रु० पंपिंग सेट के लिये दिये गये हैं तथा उनके घर के शारदा पांडे को १९५७-५८ में ७५० रु० कुओं के हेतु तथा १९५७-५८ में २,५०० रु० पंपिंग सेट के लिये और श्रीमती गंगा जली को १९५८-५९ में दो बार ७५० रु० तथा १९५८-५९ में राधेश्याम को ७५० रु० तथा श्रीमती तपेसरा को ७५० रु० क्यों और कैसे दिया गया ? क्या ये सारे लोग एक घर के हैं ? इनसे रुपया वसूल हुआ या नहीं ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राममूर्ति--

इन सभी व्यक्तियों को उनके सम्मुख लिखी हुई धनराशियां उक्त कार्यों के लिये "अधिक अन्न उपजाओ योजना" के अन्तर्गत दी गई। श्री शारदा पांडेय, श्री अम्बिका पांडेय व श्रीमती तपेसरा एक ही घर में रहते हैं पर इनका भोजन अलग-अलग बनता है। श्री राधे श्याम व श्रीमती गंगाजली अलग-अलग मकानों में रहते हैं। श्रीमती गंगाजली व तपेसरा से वसूली अभी नहीं हुई है। शेष से वसूली चल रही है।

१२-१३--श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद)--

[छठे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ४-५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

क्षय विरोधी अभियान

१४--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षय विरोधी अभियान के लिये कोई योजना नेशनल ट्यूबर क्लोसिस प्रोग्राम के अन्तर्गत चलाई जा रही है और प्रत्येक जिले के लिये एक टीम तैयार करना है ? यदि हां तो अब तक नेशनल ट्यूबर क्लोसिस बंगलौर सेन्टर से कितनी टीमें प्रशिक्षण लेकर लौटी हैं और उन्हें किन-किन जिलों में टी० बी० क्लीनिक का रूप बदल कर के टी०बी० सेंटर के रूप में कायम कर के रक्खा गया है ? इस योजना को सरकार ने स्वीकार किया या नहीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां। अब तक निम्नलिखित जिलों की टी० बी० क्लीनिक की टीमें नेशनल ट्यूबर क्लोसिस इंस्टीट्यूट, बंगलौर से ट्रेनिंग लेकर वापस आ गई हैं :

(१) सीतापुर
(२) फतेहगढ़
(३) झांसी
(४) लखनऊ
(५) देवरिया
(६) मेरठ, (गाजियाबाद)
(७) गोरखपुर
(८) रायबरेली
(९) बस्ती
(१०) जौनपुर
(११) गाजीपुर

इनके अतिरिक्त टी० बी० क्लीनिक, अलीगढ़ व टी० बी० ट्रेनिंग तथा डिमान्सट्रेशर सेन्टर, आगरा की टीमें ४ जनवरी, १९६५ से बंगलौर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। अभी तक किसी भी टी० बी० क्लीनिक को टी० बी० सेन्टर का रूप नहीं दिया गया है।

१५--श्री ऊदल--

क्या इस योजना में यह भी है कि इसका कार्यान्वयन यूनिसेफ तथा राज्य सरकार के संयुक्त साझेदारी पर होगा और एक्सरे मशीन, एक्स-रे प्लेटें, अणुवीक्षण यंत्र, जीप, आइसोनेक्स ये सब यूनिसेफ से मिलेंगी और शेष राज्य सरकार को करना होगा ? यदि हां तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां। इस साझेदारी के समझौते के अनुसार अब तक टी० बी० क्लीनिक, सीतापुर, फतेहगढ़, झांसी तथा टी० बी० ट्रेनिंग तथा डिमांन्सट्रेशन सेन्टर, आगरा को यूनीसेफ की ओर से एक्सरे मशीन तथा अणुवीक्षण यंत्र आदि मिल चुके हैं। यूनीसेफ द्वारा आइसोनेक्स प्रदान करने की स्थिति स्पष्ट नहीं है और इस संबंध में राज्य सरकार व भारत सरकार के बीच पत्र व्यवहार हो रहा है। अन्य जिन जिन क्लीनिकों के कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, वहां एक्सरे मशीन तथा अणुवीक्षण यंत्र आदि सप्लाई करने के विषय में कार्यवाही की जा रही है।

मंझनपुर ब्लाक में सीमेंट वितरण

१६—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र मंझनपुर, कनैली तथा सरसवां, जिला इलाहाबाद में सन् १९६२–६३, १९६३–६४ में सीमेंट किस भाव से सहकारी समिति मंझनपुर को दी गई तथा सहकारी समिति मंझनपुर ने ग्राम जनता को किस भाव से सीमेंट बेची ?

श्री राममूर्ति—

जिलाधीश से जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह अधूरा है । पूर्ण उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री मोहनसिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से एक शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखना चाहती हूं । हमारे इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री मोहनसिंह जी, जो बुलन्दशहर के थे, उनका ३ मार्च को देहान्त हो गया है । आप वहां के पुराने राजनैतिक कार्यकर्ता रहे हैं । सन् १९२० के असहयोग आन्दोलन में उन्होंने भाग लिया था और दो, तीन दफे जेल भी गये थे । वह कांग्रेस की तरफ से जिला परिषद् के चेयरमैन भी रहे और हमारे इस सदन के १९५२ में मेम्बर थे । आप और आपके परिवार वालों ने सार्वजनिक जीवन में बहुत सी कुर्बानियां कीं । मैं निवेदन करती हूं कि इस सदन की तरफ से और हमारी तरफ से सहानुभूति, उनके परिवार वालों के पास भेज दें, तथा भगवान से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें ।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, जो भावनायें माननीया मुख्य मंत्री ने व्यक्त की हैं, मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और समस्त विरोधीदल की ओर से उन भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं । मैं अनुभव करता हूं कि इस मृत्यु से इस प्रान्त की महान क्षति हुई है । मैं विरोधीदल की ओर से उनके परिवार वालों के साथ हार्दिक समवेदना प्रकट करता हूं । आप से निवेदन है कि हमारी समवेदना उनके परिवार वालों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मोहनसिंह जी को सन् ५२ में जाना । उन्होंने इस सदन में बड़ी लगन और उत्साह के साथ कार्य किया और जनता की सेवा की । उनकी मृत्यु हो जाने से बुलन्दशहर के जनसेवियों को बहुत धक्का लगा है । मैं अपने और अपने दल की ओर से उनके परिवार वालों के लिये समवेदना भेजना चाहता हूं और माननीया मुख्य मंत्री ने जो कुछ कहा है उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, श्री मोहनसिंह जी के निधन से हम सब को बड़ा दुःख है । वे सन् ५२ से ५७ तक इस सदन के सदस्य रह चुके हैं । उनसे हमारा परिचय भी था । आज देश भर में और प्रदेश के अन्दर राष्ट्रीय आन्दोलन के सभी महारथी एक एक करके हर स्तर से उठते जा रहे हैं । उसी क्रम की एक कड़ी यह भी चली गयी । इनके देहावसान से बुलन्दशहर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री झारखण्डे राय]

के राष्ट्रीय जीवन को एक महान क्षति हुई है । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे और मेरे दल की ओर से समवेदना उनके परिवार वालों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मोहनसिंह जी के निधन से जो हमारी बहुत बड़ी क्षति हुई है, उसकी पूर्ति होना बड़ा कठिन है । हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जाते हैं हमें बड़ा दुख है । माननीय नेता सदन और मामनीय नेता विरोध दल ने जो विचार इस संबंध में प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी समवेदना उनके संतप्त परिवार वालों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, चौधरी मोहनसिंह जी, १९५२ में मेरे साथ इस सदन के सदस्य थे । उन्होंने और उनके परिवार वालों ने आजादी की लड़ाई में जो कुर्बानियां कीं, माननीय सदन के सदस्यों को उनकी जानकारी है । उनके निधन के बारे में सुनकर हमें बड़ा दुःख हुआ । हमारे और हमारे दल की ओर से समवेदना उनके संतप्त परिवार वालों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

चौधरी मोहन सिंह जी के निधन पर जो समवेदनायें इस सदन में व्यक्त की गयीं हैं, उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं । जिन्होंने कुर्बानियां कीं वे एक-एक करके हमारे बीच से चले जा रहे हैं । ईश्वर से यह प्रार्थना है कि कुर्बानी का जो पथ इन लोगों ने अंगीकार किया था वह पथ हम लोगों के लिये और आगे आने वाली संतति के लिये प्रशस्त रहे । मैं इस सदन की समवेदना संतप्त परिवार को भेज दूंगा । ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे ।

(सब सदस्य अपने अपने स्थान पर दो मिनट के लिये खड़े हुये ।)

शिक्षकों के प्रतिनिधियों एवम् शिक्षा मंत्री के बीच हुई वार्ता के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय शिक्षा मंत्री यहां बैठे हुये हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया था । वहां उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की समस्या का कुछ हल निकला होगा । माननीय शिक्षा मंत्री की बातचीत भी शिक्षकों के प्रतिनिधियों से हुई थी । मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि शिक्षकों की हड़ताल को तुड़वाने के लिये कौन-सा हल निकाला गया है ? वहां से जो सुझाव दिये गये हैं क्या माननीय मंत्री जी उनसे सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

इस सम्बन्ध में हमारा एक कामरोको प्रस्ताव भी है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रामसुन्दर जी पांडेय, माननीय उग्रसेन जी, माननीय राधेश्याम, माननीय केशरी प्रसाद पांडेय, माननीय शिव नाथ, माननीय काशीनाथ मिश्र, इन लोगों ने भी सूचनायें भेजी थीं । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि उन्हें इस सम्बन्ध में क्या कहना है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---

अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों की मांग के ऊपर जो प्रदेश में स्थिति उत्पन्न हुई है, उस पर इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्यों ने इस सदन में मुझसे यह भी पूछा था कि शिक्षक यदि बात करना चाहें या कोई प्रतिनिधि बात करना चाहे तो सरकार बात करने को तैयार होगी या नहीं। मैंने उस समय यह निवेदन कर दिया था कि प्रतिनिधियों और शिक्षकों में से, जो भी मिलना चाहें, मैं स्वागत करूंगा। उसी के पश्चात् जब भी आवश्यकता हुई है शिक्षकों के प्रतिनिधियों से मेरी बातचीत हुई और कल भी बातचीत हुई। यह भी बात सही है कि मैं परसों देहली गया था और देहली में मेरी प्रधान मंत्री जी से बातचीत हुई। केन्द्र के वित्त मंत्री से बात चीत हुई और वहां के शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई। उन्होंने अपनी सहानुभूति दर्शाई। यहां कल शिक्षकों व प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई और काफी देर बातचीत चलती रही। जो स्थिति केन्द्र की सहानुभूति की थी उसकी भी मैंने चर्चा की और उनसे यही निवेदन किया कि इस परिस्थिति में प्रधान मंत्री ने उनसे अपील की है, केन्द्र के शिक्षा मंत्री ने उनसे अपील की है, केन्द्र के अर्थ मंत्री को उनसे सहानुभूति है, यहां के इस माननीय सदन के सदस्यों ने शिक्षकों से अपील की है, इन सब चीजों को सामने रखते हुए माननीया मुख्य मंत्री जी ने भी कल, मुख्य मंत्री के नाते नहीं, बल्कि वे स्वयं एक शिक्षक रह चुकी हैं और बल्कि बहन के नाते भी उनसे अपील की है। मैं निवेदन कर चुका हूं कि ये आर्थिक मसले ऐसे होते हैं जिनमें काफी खोज बीन की आवश्यकता पड़ती है और जब तक साधन जुटाने का कोई पक्का मामला न हो जाय तब तक उनकी घोषणा करना या आश्वासन देना या वायदा करना मुनासिब नहीं होता है। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि प्रदेश की परिस्थिति शान्त रहे, परीक्षा चलती रहे, उनकी जो मांग हैं उन पर शासन सहानुभूति से विचार करता ही रहा है और जहां तक हो सकता है आगे भी करता रहेगा और केन्द्र से जो बात चलाई गई है और जो सहानुभूति उन्होंने दर्शाई है जब तक कोई निश्चित बात देखभाल न लें तब तक हल निकालना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में बात चल रही है और उन पर हम विचार भी करेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, बरेली के सिलसिले में घटना का जिक्र किया गया है। जो सीटिंग अरेन्जमेन्ट हुए थे वहां अध्यापकों और पुलिस के बीच इतना लाठीचार्ज हुआ कि सीटिंग अरेन्जमेन्ट की व्यवस्था सब खराब हो गई। दूसरी बात उत्तर प्रदेश की जितनी पुलिस फोर्स है वह सब परीक्षा केन्द्रों में लगा दी है।

श्री अध्यक्ष--

सब बातें न मिलाइये। बरेली की ही घटना कहिये।

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, कोई पूरा ब्योरा तो अभी नहीं आ पाया है किन्तु जो बातचीत हुई है उससे यह प्रतीत हुआ कि माननीय सदस्यों को जो सूचना मिली है वह बहुत बढ़ा-चढ़ा कर मिली है। यह बात सही है कि जब वहां सुपरिण्टेण्डेण्ट परीक्षा केन्द्र में पहुंचे तो वे विद्यार्थियों को प्रवेश-पत्र वितरण कर रहे थे। उस समय विद्यार्थियों और सुपरिण्टेण्डेण्ट में कहा सुनी हुई। जिस समय जिला अधिकारियों को पता चला तो वे भी वहां पहुंचे। वहां अब शांत वातावरण है और परीक्षा का पूरा प्रबंध हो गया है और जैसी कि नार्मल स्थिति होती है वह आ गई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी अपनी ओर से अध्यापकों को इस बात का आश्वासन देने को तैयार हैं कि अमुक अवधि तक उनकी समस्या को हल कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कह रहे हैं कि उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मेरा आपसे पहला निवेदन तो यह है कि कामरोको प्रस्ताव की सूचना इस सम्बन्ध में जो मैंने, पांडेय जी ने तथा अन्य दूसरे साथियों ने दी है, उसको पढ़ दिया जाय। दूसरी बात यह है कि समान काम के लिये समान वेतन, प्राइमरी अध्यापकों को १०० रु० वेतन तथा मंहगाई भत्ता ५० रु० माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से बतलावें कि क्या इन मांगों को वे मान रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

स्पष्ट रूप से कहन का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री उग्रसेन—

प्रश्न इसलिये है कि "बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरये खूं न निकला।"

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो वर्तमान स्थिति है उस पर प्रकाश डाला, उससे अधिक इस समय वे कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, सरकारी खजाने से एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और अध्यापकों की हड़ताल भी समाप्त हो जायगी, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन इस समय वे सदन में घोषणा कर दें कि आज से गवर्नमेंट स्कूल के अध्यापकों में और प्राइवेट या एडेड स्कूल्स के अध्यापकों में कोई अन्तर नहीं रहेगा तथा वे गवर्नमेंट स्कूल के अध्यापकों का ग्रेड कम करके नान गवर्नमेंट स्कूल्स के अध्यापकों का ग्रेड बढ़ा देंगे। क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात की घोषणा करने के लिये तैयार हैं कि आज से शिक्षा जगत में कोई अन्तर नहीं बरता जायेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको अभी भी अध्यापकों से समझौते की अन्तिम रूप से कोई आशा है ? क्योंकि श्री ए० जी० खेर साहब ने यह सिफारिश की है कि अध्यापकों को अगर ५ रु० देने को भी सरकार मान ले तो समझौता हो सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त माननीय शिक्षा मंत्री जी की इस सम्बन्ध में अन्तिम राय क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को इस सदन में मैं बार-बार बतला चुका हूं। इस वक्त मैं यही आश्वासन दे सकता हूं कि जो एक परिस्थिति पैदा हो गयी है वह परिस्थिति समाप्त होगी और इस बारे में जो बातचीत चल रही है उससे आगे इस समय कुछ कहना उचित नहीं प्रतीत होता।

श्री उग्रसेन--

मालूम होता है कि यह चीन की चौकियां हो गयी हैं ....

श्री शारदा भक्त सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि आर्थिक आश्वासन देने में कुछ कठिनाई पड़ती है जब तक कि सब देख न लिया जाय। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समान कार्य के लिये समान वेतन तथा आज की मंहगाई को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा मंहगाई भत्ता अध्यापकों को मिलना चाहिये, इसको सिद्धांततः स्वीकार करते हुए क्या वे इसका आश्वासन देंगे कि भविष्य में आर्थिक बातों को देखकर उनका वेतन आदि बढ़ायेंगे ? इतना आश्वासन तो दिया ही जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल ने अभी जो प्रश्न उठाया है, वह इसके पहले भी उठ चुका है और ढाई घंटे तक इस पर विवाद भी किया जा चुका है। आज तो केवल यह विषय है कि कल वे दिल्ली गये थे, वहां से लौट कर आये हैं तो जो वस्तु स्थिति है उसको सदन के सामने रखें। वह उन्होंने रख दी। वे समझते हैं कि बातचीत हो रही है और उनको आशा है कि हड़ताल समाप्त हो जायगी। अब इस विषय को समाप्त किया जाय।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

मेरी यह प्रार्थना है कि दो चार दिन के लिये विरोधी दल के लोग खामोश हो जाते क्योंकि सरकार तथा अध्यापकों के बीच एक समझौते का वातावरण चल रहा है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि दो, चार दिन के लिये एक्सप्लायटेशन बन्द कर दें तो उनकी कृपा होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

यह नीयत पर आक्षेप है। हम लोग ऐसे नहीं हैं कि राष्ट्र विरोधी हों। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम लोग उनसे ज्यादा चाहते हैं कि आप उनकी मांगों को पूरा करें और समझौते का कोई हल निकल सकें। इस प्रकार कोरी बातें कहने से समस्या हल नहीं हो सकती। लाखों रुपया सरकार इसमें खर्च करने जा रही है। हजारों सरकारी आदमी इसमें लगेंगे और प्रदेश का काम ठप्प हो जायगा। एक शेखचिल्ली वाली बात होने जा रही है। लाखों रुपये और लाखों घंटे अगर बचा लिये गये तो इसमें सरकार को यश मिलेगा।

श्री रघुवीर की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना एवम् उनके प्रति दारोगा द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

कानपुर से श्री रघुवीर राम की गिरफ्तारी की सूचना मेरे पास आई है। उसके साथ ही साथ श्री रघुनाथ, श्री नेकराम शर्मा और श्री चन्द्रजीत यादव के नाम से नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना भी आई है। यह सूचना मेरे कार्यालय की गलती से माननीय गृह मंत्री के पास पहले भेजी नहीं गयी और अब शायद उनको मिल गयी होगी।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

अभी मिली है।

श्री अध्यक्ष--

सूचना इस प्रकार है--कल तारीख ९-३-६५ को कानपुर जिला के अन्तर्गत मंगलपुर नामक स्थान पर कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक सार्वजनिक सभा आयोजित थी। स्थानीय पुलिस के व्यवहार एवं घूसखोरी से क्षेत्र की जनता परेशान थी। मंगलपुर थाने का दरोगा चाहता था कि यह मीटिंग न होने पावे। अतः वहां अशांति उत्पन्न होने का झूठा बहाना बना कर उसने मीटिंग के स्थान पर धारा १४४ लगवा दी। कल म टिंग के लिये कानपुर जिला किसान सभा के मंत्री श्री निर्मल कुमार त्रिपाठी ने कानपुर के अतिरिक्त जिलाधीश ग्रामीण क्षेत्र से म टिंग करने का लिखित आदेश प्राप्त करके वहां श्री रघुवीर राम एम० एल० ए० और रघुनाथ राम एम० एल० ए० के साथ गये और मीटिंग प्रारम्भ किया। मीटिंग में क्षेत्र की लगभग २,००० जनता उपस्थित थी, उन्होंने मीटिंग की कार्यवाही प्रारम्भ भी नहीं किया था कि मंगलपुर थाने के दरोगा श्री ए० एस० मिश्र शराब पिये हुये मीटिंग की जगह पर आये और उन्होंने मीटिंग से लाउड स्पीकर जबरदस्ती उठवा लिया तथा क्षेत्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री श्री गुलाम हुसेन को गिरफ्तार कर लिया और कहने लगे कि यहां मीटिंग नहीं होने दूंगा। श्री रघुवीर राम एम० एल० ए० ने अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा प्राप्त आदेश दिखाते हुए कहा कि हमको मीटिंग करने की इजाजत है और हम मीटिंग करेंगे। इस पर दरोगा मीटिंग के बीच में अपनी कुर्सी मंगवा कर बैठ गया और अपशब्द कहने लगा उसने मीटिंग में ही कहा कि यह हरिजन एम० एल० ए० हो जाते हैं तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, मैं उसे ठीक करके दिखा दूंगा। श्री रघुवीर राम एम० एल० ए० ने जब यह कहा कि तुम सरकारी कर्मचारी होकर इस प्रकार की बात मत करो, इस पर दरोगा गाली देते हुए अपने स्थान से उठा और उसने आगे बढ़ कर श्री रघुवीर राम का हाथ पकड़ कर खींच लिया और उन्हें गिरफ्तार करके थाने ले गया। थाने में वह उन्हें अपने सामने बैठा कर गाली देता रहा और लगातार यह कहता रहा कि छोटी जाति के लोग एम० एल० ए० हो जाते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। वहां उनके विरुद्ध जाली केस भी दर्ज किया गया।

दारोगा द्वारा एक जन प्रतिनिधि के साथ सार्वजनिक रूप से इस प्रकार के अपमानजनक व्यवहार से उस क्षेत्र की जनता में रोष है और एक आतंक की भावना भी पैदा हो गयी है।

माननीय गृह मंत्री इस पर वक्तव्य कब देंगे ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

दो तीन रोज में दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

शुक्रवार को दे दीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह--

शनिवार के लिये कर दीजिये।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

यह गंभीर मसला है। एक सार्वजनिक स्थान पर एक विधायक को अपमानित किया गया है और शराब पीकर एक अधिकारी जाकर ऐसा व्यवहार करता है। क्या माननीय गृह मंत्री इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल किसी अपने उच्च अधिकारी को आज ही कानपुर भेजेंगे जो जाकर इस मसले की जांच करे और दरोगा को सस्पेंड करे और इसके बाद दूसरी इंक्वायरी हो ?

श्री अध्यक्ष--

पहले उधर का पक्ष भी जान लिया जाय।

हाई स्कूल व इन्टर परीक्षा के परीक्षार्थियों से प्रमाणित फोटोग्राफ की मांग करने के सरकारी आदेश के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

सर्वश्री शिवनाथ सिंह, राधेश्याम शर्मा, उग्रसेन, काशीनाथ मिश्र, गया प्रसाद, मुकुट बिहारी लाल तथा जगन्नाथ राव सदस्य, विधान सभा ने विधान सभा की नियमावली, नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह उल्लेख किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया एक आदेश समस्त प्रधानाचार्यों को प्राप्त हुआ है कि आगामी इंटरमीडियट व हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र दिनांक ८ मार्च, १९६४ तक दो प्रमाणित फोटो प्रधानाचार्यों के पास जमा कर दें और एक अपने पास रख लें फोटो न जमा करने वाले छात्र परीक्षा में सम्मिलित न हो सकेंगे। हजारों विद्यार्थी फोटो खिचाने के लिये भटक रहे हैं, क्योंकि स्टूडियो इतने उपलब्ध नहीं हैं कि शीघ्रता से फोटो खिचाया जा सके। देहाती क्षेत्रों के विद्यालयों के लाखों विद्यार्थी परीक्षा तैयारी के लिये बाहर हैं जिन्हें साधन विहीनता के कारण सूचना प्राप्त होना असंभव है। देहाती क्षेत्र में स्टूडियो न होने के कारण फोटो खिचाना असंभव है। इस प्रकार लाखों विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जायेंगे। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में बेचैनी एवं असंतोष व्याप्त है।

इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शासन या माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रकार की कोई आज्ञा जारी नहीं की गई है। इन्टरमीडियट बोर्ड से जानकारी किये जाने पर यह सूचना प्राप्त हुई कि व्यक्तिगत (प्राइवेट) परीक्षार्थियों के लिये फोटो लगाने की व्यवस्था पहले से ही चल रही है, जिससे परीक्षा के समय उनकी सही पहचान हो सके और कोई अन्य व्यक्ति परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा न दे सके। संस्थागत परीक्षार्थियों के लिये फोटो लगाने का कोई नियम नहीं है। ऐसे परीक्षार्थियों की पहचान के लिये उनसे परीक्षा में प्रवेश के लिये प्रार्थना-पत्र पर, जहां उनका पहले हस्ताक्षर होता है, उसी के नीचे परीक्षा के समय पुनः हस्ताक्षर करा कर मिलान कर लिया जाता है। साथ ही साथ परीक्षार्थी के विद्यालय से आये हुए अध्यापक निरीक्षक भी उसके पहिचान की पुष्टि करते हैं।

अब तक प्राप्त सूचना से मालूम हुआ है कि इस वर्ष की विशेष परिस्थिति में केवल लखनऊ जिले में फोटो लगाने का आदेश जारी हुआ था। यहां परीक्षा केन्द्रों के प्रमुख अधीक्षकों और निरीक्षकों के सुझाव पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह निर्णय लिया था कि संस्थागत परीक्षार्थियों की पहिचान के लिये प्रत्येक विद्यार्थी अपना प्रामाणित फोटो लेकर परीक्षा केन्द्र पर आयें जिससे उसकी सही पहिचान हो सके। लखनऊ के अधिकतर विद्यालयों में परिचय पत्र (आइडेंटिटी कार्ड) की प्रथा प्रचलित है जिनमें विद्यार्थियों के प्रमाणित फोटो लगे रहते हैं। इसलिये यहां के अधिकतर परीक्षार्थियों को इस आदेश से कोई असुविधा होने का भय नहीं था और उनकी पहिचान भी पक्की तौर से हो जाती। केवल उन थोड़े से विद्यालयों के परीक्षार्थियों को जहां परिचय पत्र (आइडेंटिटी कार्ड) की प्रथा नहीं है अपना प्रमाणित फोटो खिचाकर लाना पड़ता। प्रत्येक ऐसे परीक्षार्थी का केवल एक ही फोटो मांगा गया था। लेकिन इसमें कठिनाई होते देखकर जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ने स्वयं, उपर्युक्त आज्ञा ८ मार्च, १९६५ को रद्द कर दी और समस्त शिक्षा संस्थाओं तथा केन्द्र व्यवस्थापकों को यह आदेश भेज दिया कि वे बिना फोटो के परीक्षार्थियों को केवल उनके हस्ताक्षर के आधार पर प्रवेश की अनुमति प्रदान करें।

साथ ही साथ इन्टरमीडियट बोर्ड ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा यह सूचना ९ मार्च, को प्रकाशित कर दी है कि किसी भी संस्थागत विद्यार्थी को अपनी पहिचान कराने के लिये प्रमाणित फोटो प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

[श्री कैलाशप्रकाश]

इस प्रकार परीक्षार्थियों को अब कोई कठिनाई प्रवेश पाने में नहीं है और वे जैसे पहले परीक्षा में प्रवेश पाते थे वैसे ही इस वर्ष भी पावेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय कहां-कहां पर परिचय-पत्र की व्यवस्था चल रही है और उसमें फोटो लगे हुए है ? पूर्वीजिलों में तो जिन अधिकारियों को सरकार ने परीक्षा के सम्बन्ध में आदेश दे रखा है वे लड़कों से बराबर फोटो की मांगकर रहे हैं और आपके यहां नियम है कि जो विद्यार्थी रेगुलर हैं उनसे फोटो नहीं मांगी जाती, प्राइवेट विद्यार्थियों से फोटो मांगी जाती है। तो रेगुलर विद्यार्थियों से भी वे अधिकारी फोटो की मांग क्यों कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो समाप्त हो गया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मंत्री जी ने कहा कि किसी विद्यार्थी से वह अधिकारी मांग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि प्राइवेट विद्यार्थी के लिये तो यह प्रथा पहले से ही चली आ रही है। दूसरों के लिये जो आदेश जारी किया गया था वह निरस्त कर दिया गया। आप स्पष्ट कर दें।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, परीक्षा में दो तरह के विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। एक तो व्यक्तिगत रूप से, प्राइवेट और दूसरे जो विद्यालयों में पढ़ते हैं। रेगुलर, उनको संस्थागत भी कहते हैं। अब तक प्रथा यह थी कि जो विद्यार्थी प्राइवेट तौर से परीक्षा में बैठते थे, उनके फार्म के साथ फोटो रहती थी, लेकिन यह जो संस्थागत विद्यार्थी होते थे उनके फार्म के साथ फोटो की आवश्यकता नहीं थी। अब जैसा कि मैंने निवेदन किया लखनऊ से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोई इस तरीके का आदेश दिया था, वहां के निरीक्षकों से सलाह करके कि, फोटो संस्थागत विद्यार्थी भी दें। अब इस बात को देखते हुये कि फोटो खिंचाने में दिक्कत पड़ती है, उन्होंने यह आदेश निरस्त कर दिया और माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल दी कि संस्थागत विद्यार्थी से, किसी से भी उनकी आइडेंटिटी के लिये फोटो नहीं ली जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अब आपने फोटो न लाने की व्यवस्था की है। तो पहले तो उस कालेज या स्कूल के अध्यापक पहचान लिया करते थे कि वही छात्र है अथवा नहीं किन्तु अब इस बात की कैसे पहिचान हो सकेगी कि वही विद्यार्थी ही परीक्षा दे रहा है ? इस के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि लखनऊ जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी थीं जिनकी वजह से उन्होंने इस प्रकार का आदेश प्रसारित किया और फिर वे क्या कारण थे कि जिनके कारण उस आदेश को उन्हें निरस्त करना पड़ा ?

श्री अध्यक्ष—

आपने आपत्ति की तो वह समाप्त हो गया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि लखनऊ जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह जो आदेश निकाला यह इन्टरमीडिएट बोर्ड के किसी आदेश की तहत में निकाला था ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि वहां से कोई आदेश नहीं था ।

श्री उग्रसेन—

चूंकि उन्होंने यह गलत काम किया इसलिये क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

लेजिस्लेचर ग्रुप की बैठक के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि लेजिस्लेचर ग्रुप के तत्वाधान में व्याख्यान माला योजना के अन्तर्गत प्रोफेसर वी० के० आर० वी० राव, सदस्य, योजना आयोग, ग्रुप के सदस्यों को आज सायंकाल सवा ५ बजे तिलक हाल में "चतुर्थ योजना में ग्रामीण विकास विशेषतया कृषि तथा शिक्षा संबंधी उन्नयन" नामक विषय पर संबोधित करेंगे ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, वहां अंग्रेजी में भाषण होते हैं । अगर कोई मद्रासी हो तो हम क्षमा भी कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह बात बहस की नहीं है । मैंने अपनी तरफ से आपको सूचना दी है । आप मुझ से बात करियेगा ।

श्री रघुवीरसिंह का नाम गलत छापने के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों को श्री अध्यक्ष का निर्देश

श्री अध्यक्ष—

मैं समाचार पत्रों को एक सूचना देना चाहता हूं । कल समाचार-पत्रों में यह छापा गया है कि श्री रामभजन ने पुलिस अनुदान पर कोई भाषण दिया था । मैं समझता हूं कि वह गलती से छप गया है । माननीय रघुवीर सिंह, सदस्य विधान सभा ने भाषण दिया था । जिन समाचार पत्रों में श्री रामभजन नाम छप गया हो । वे कृपा कर उसे दुरुस्त कर दें और माननीय रघुवीर सिंह का नाम प्रकाशित कर दें । (व्यवधान)

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, समाचार पत्रों में आजकल अक्सर ऐसी गलती होती है । मेरा अपना ख्याल यह है कि इसका कारण उनके बैठने की इस समय की व्यवस्था ही है । उनका जो पुराना स्थान था वहां से वे भलीभांति देख, सुन और समझ सकते थे । यहां से उन को हटा देने के कारण ही ज्यादा गलती होती है ।

श्री अध्यक्ष—

जब यहां बैठते थे तो इससे ज्यादा गलती करते थे ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मुझे तो कई भाषणों में जनसंघी लिखते रहे ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

यहां मेरा भी निवेदन है ।

श्री अधिष्ठाता द्वारा दी गयी व्यवस्था के पुनरीक्षण की प्रार्थना

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कल आप जिस समय यहां नहीं थे आपके इस आसन पर माननीय कृष्णानन्द राय जी पीठासीन थे और उस समय माननीय अलीजहीर के खिलाफ नियम ५० में एक आधा घंटे का विवाद हुआ था । उस समय एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था । उस सम्बन्ध में जो प्रश्न परसों पूछे गये माननीय मुख्य मंत्री ने उनका उत्तर दिया था । उसके ऊपर नियम ५० (१) में विवाद हुआ था, उस समय व्यवस्था यह मांगी गई थी कि श्री अली जहीर जो कि इस केस में एक मुलजिम की हैसियत रखते हैं क्या वह बयान दे सकते हैं, जब कि उसका उत्तर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री या माननीय मुख्य मंत्री को देना चाहिये था । कल वह प्रश्न रह गया, मैं आज आप की उस पर व्यवस्था चाहता हूं, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसके बिना आगे भी इस तरह की गड़बड़ी होती रहेगी।

श्री अध्यक्ष—

एक व्यवस्था जो इस आसन से दे दी गई उस व्यवस्था पर जैसा कि मैंने कई बार निवेदन किया किसी को अधिकार पुनर्वीक्षण का नहीं है, जब फिर कभी मेरे सामने ऐसा प्रश्न आयेगा तो मैं व्यवस्था दूंगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, बड़ा....

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें, यह विषय अब समाप्त हो गया ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

बहुत गम्भीर प्रश्न यह है, श्रीमन्....

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, अब आप बैठ जायं ।

(श्री जे० पी० मिश्र के खड़े होकर कुछ बोलने पर) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप भी कृपा कर के बैठें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, बहुत गम्भीर प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

अब कुछ नहीं, श्री रावत अपना भाषण जारी करें।

१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १४–पुलिस [क्रमागत*]

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, कल मैं जिक्र कर रहा था कि सरकार की जो पुलिस की मशीनरी है उसके पुर्जों का जो मेकेनिज्म है वह अंग्रेज सरकार ने इस देश की जनता के दोहन शोषण के लिये बनाया था, वह केवल उन्हीं के लिये कामयाबी के साथ काम कर सकता था जिनके लिये उसके डिजाइनर्स ने उस को बनाया था और एक खास मेकेनिज्म को उस मशीनरी में उपस्थित किया था। इस लिये 'पेड़ लगाये बबूल के आम कहां ते होय' के अनुसार जो लोग आज समझते हैं कि उस दोहन-शोषण की मशीनरी से जनहित के कामों को हम आगे बढ़ा सकते हैं और मुल्के हिन्दोस्तान को अमनोअमान और शांति-सुरक्षा की व्यवस्था में मजबूत कर सकते हैं, वह धोखे में हैं। मैं समझता हूं कि उस मशीनरी की केवल ओवरहालिंग की ही जरूरत नहीं है बल्कि उसकी जगह एक नई मशीनरी बनाने की जरूरत है जिस मशीनरी के नये तौर तरीके मुल्क के हालात, उस की तहजीब और तमीज के मुताबिक हों, ऐसा मेकेनिज्म उस नई मशीनरी का होना चाहिये, तभी हमारे मुल्क की जरूरतों को यहां की पुलिस पूरा कर सकती है। इसलिये मैंने कहा था कि अगर कोई दोष इस मशीनरी में है तो उसका बहुत थोड़ा दोष पुलिस फोर्स को दिया जा सकता है। मैं कहता हूं कि इसमें अधिक दोष सरकार का है कि १७ साल के दौरान में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई नई मशीनरी नहीं बनाई गई और वही कानून कायदे.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सदन में बातें बहुत हो रही हैं, कृपया शांत रहें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

सरकार को एफीशियेंट मशीनरी बनाने का प्रयास करना चाहिये था और उससे भी अधिक दोषी यह सदन है जो यहां के माननीय सदस्य १७ साल तक सोये रहे और मुल्क की जरूरत को न समझकर व्यवस्था के लिये कोई कदम नहीं उठाया। उनका फर्ज था, उन की यह ड्यूटी थी कि एक नई मशीनरी का निर्माण कराते, नई ट्रेनिंग और नया निर्माण और रिआर्गेनाइजेशन किया जाता।

चर्चा की गई कि मुल्क में अव्यवस्था और जरायम दिनोंदिन बढ़ रहे हैं और इस में कोई २ रायें भी नहीं हैं लेकिन इस में दोष किस का है और इसके कारण क्या हैं? सब से पहले तो स्पिरिट आफ दि एज, जो जमाने के विक्षिप्त विचार हैं उनका तकाजा है कि जिस मुल्क की टेन्डेन्सी रोज ब रोज इस दिशा में अधिक बढ़ती चली जाती है उसके ऊपर अधिक रोक नहीं लग सकी है। दूसरा कारण जिसकी वजह से ये जुर्म बढ़ रहे हैं वह यह है कि मुल्क में ग़रीबी और मुफलिसी अधिक बढ़ रही है। हमारे देश के संविधान में सोशल जस्टिस और सोशल सिक्योरिटी के प्राविजन को रखा गया था। हम आशा करते थे और हमारे सदन की भी मंशा यह थी कि हमारा शासन हमारी ग़रीबी और मुफलिसी को दूर करेगा पर यदि सोशल जस्टिस और सोशल सिक्योरिटी के मेजर्स इस मुल्क में लिए गए होते तो हम १७ साल के समय में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते थे। लेकिन हमारी आशाओं की पूर्ति बहुत कम हुई है और इसीलिए जुर्म बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि: "विभुक्षितः किम् न करोति पापम्"

---

*९ मार्च, १९६५ की कार्यवाही से।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

तो जो भूखे होते हैं वह क्या पाप नहीं कर लेते? हिन्दू फिलौसिफी इसकी जिम्मेदार है कि हर इन्सान किसी भी क़ीमत पर जिन्दा रहना चाहता है। यह हमारे पूर्वजों के विचार हैं। मैं पुलिस के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि गुलामी के जमाने से बहुत सी परम्परायें चली आती हैं। जैसे अंग्रेजों के जमाने में हमारे सरकारी अधिकारी जो दौरे पर जाते थे, उनके खर्च को हमारे पुलिस के थानेदार को वहन करना पड़ता था। जब बिल आता था तो उसका १०–१५ रुपये का पेमेंट होता था तो आप सोच सकते हैं कि १२० रुपया पाने वाला किस प्रकार इस खर्च को वहन कर सकता है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि जमाने को देखते हुए और मुल्क की ग़रीबी को देखते हुए यह नितान्त आवश्यक है कि हम उन पुरानी परम्पराओं और सिद्धान्तों को समाप्त कर दें।

दूसरी बात मैंने अपनी आखों देखी है कि कान्सटेबिलों से मीनियल सर्वेन्ट्स की तरह काम लिया जाता है। अगर हमारे जो रेस्पैक्टेबिल लोग हैं, उन से मीनियल सरवैन्ट्स का काम लिया जाता है तो मुनासिब न होगा क्योंकि जो उन को तनख्वाह दी जातीहै वह बेकार होगी। मुल्क की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिस फोर्स दी जाती है पर वे नहीं समझे कि बीमारी कहां है। डाक्टर को उन्हें देखना चाहिए कि जितने इल्स पैदा हो गये हैं वे दूर हों। जो हमारी पुलिस की भावना है वह बहुत पुरानी हो चुकी है। जब तक नयी भावना वाली पुलिस नहीं होगी जब तक इस मशीनरी का नया ढांचा तब्दील नहीं होगा, कोई सुधार होने की आशा नहीं है। हमारे आज के जमाने में जब कि कैआस और डिस्आर्डर बढ़ता चला जा रहा है मैं पुलिस अधिकारियों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर मुल्क के अन्दर कहीं भी डिसआर्डर हुआ और कहीं भी हमारी जनता को जानमाल की हानि हुयी या चारों तरफ कोलाहल हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हमारी पुलिस की होगी। ला ऐंड आर्डर के मामले में बहुत सख्ती से काम लिया जाना चाहिए। हम लोगों ने संविधान की, और राष्ट्र की कसम खायी है और यह हमारा दायित्व है कि भारत की ४० करोड़ जनता और उत्तर प्रदेश के ७ १।२ करोड़ लोगों की जान माल की हिफ़ाजत के लिए हम किसी भी इन्सान को डिस्आर्डर करने की कोई इजाजत नहीं दे सकते हैं।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस संबंधी अनुदान पर कल पूरी बहस हो चुकी है। व्यक्तिगत प्रहारों और मैं समझता हूं कि आपसी आक्षेपों की बौछार में इस विभाग की जो गम्भीरतम समस्यायें हैं उनकी ओर हम अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाये हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि पहले १७ वर्षों में कई मन्त्री बदले हैं, लेकिन उनसे समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जहां तक उत्तर प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि अपराधों में निरन्तर वृद्धि है और साथ ही साथ यह भी उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पुलिस की हालत बहुत संतोषजनक है। हमें संतोष करना चाहिये कि प्रदेश में कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ और न कोई फूड राइट्स ही हुये।

मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पुलिस की सफलता और पुलिस विभाग की सेवा के भाव को आंकने का अगर यह दृष्टिकोण है कि प्रदेश में कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं है और न कोई फूड राइट्स ही हैं तो इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिये। पुलिस का उत्तरदायित्व है कि प्रदेश की करोड़ों ग़रीब जनता अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कर सके, सुख और शान्ति से सुविधापूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सके और यह अनुभव कर सके कि साधन और समृद्धि उसके पास नहीं है फिर भी उसके साथ किसी प्रकार के बढ़ते हुये असामाजिक तत्वों द्वारा अत्याचार नहीं हो सकता है।

शान्ति व्यवस्था की क्या हालत है ? इधर मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि अपराधों में वृद्धि हुई है। लेकिन माननीय मंत्री जी स्वयं इस संबंध में क्या समझते हैं, वह मैं एक बात आप के द्वारा इस आदरणीय सदन में रखना चाहता हूं। सन् १९६३ में पुलिस अधिकारियों के सम्मुख भाषण देते हुये, उन्होंने कहा था कि यह दुर्भाग्य की बात है कि शान्ति और व्यवस्था की संरक्षक 'पुलिस' पर से जनता का विश्वास उठ गया है। भ्रष्टाचार सरकार के सभी विभागों में व्याप्त है, किन्तु पुलिस विभाग में इसके चरम सीमा पर होने का अनुमान है। आपने और आगे कहा कि सर्वसाधारण.....

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह आप कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री शारदाभक्तसिंह—

यह आप का भाषण ६ जनवरी, ६३ को "आज" अखबार में छपा है। आपने यह भी कहा कि सर्वसाधारण में आज अरक्षा की भावना इतनी प्रबल हो चुकी है कि रात्रि में साधारणतः लोग अपने घरों के बाहर नहीं सोते हैं और पुलिस की ईमानदारी को खरीदा जाने लगा है जिससे अपराधियों को बढ़ावा मिला है। सरकार के पास पुलिस के विरुद्ध आने वाली शिकायतें इतनी अधिक हैं कि यदि उनका कुछ अंश भी सत्य हो तो कोई भी शासन इस प्रकार के विभाग को जनता की निन्दा से बचाने में गौरव का अनुभव नहीं कर सकता है और ये सारी बातें पुलिस अधिकारियों के समक्ष कहते हुये उन्होंने कहा कि—"यदि सुधार नहीं हुआ तो सरकार स्वयं कुछ उसके लिये कोई कार्यवाही निश्चित करेगी।" मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय उन्होंने भाषण दिया है उस के बाद काफी समय व्यतीत हो चुका है और उन्होंने जो सदन में एक बात कही है वह यह है कि प्रदेश में अपराधों में निरन्तर वृद्धि हुई है। और इसलिये मैं सोचता था कि वह सारी कार्यवाहियां सदन में आयेंगी और वह सारे पग जो उठाना चाहते हैं शान्ति और व्यवस्था के लिए वह हमारे सामने रखे जायेंगे। लेकिन हमारे सामने एक ही बात कही गई कि हमारे यहां दंगे नहीं हुए, ऐसी परिस्थिति थी कि गल्ले की कमी थी फिर भी कोई बलवे नहीं हुये। यह तो साधारण स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं जब भी इस प्रदेश में दंगे हुए हैं उसके पीछे सरकार का हाथ अवश्य रहा है। पिछले दिनों में जब हमारे यहां ब्रिटिस शासन था उसने साम्प्रदायिक दंगों को बढ़ावा दिया और जब समस्यायें सामने आयीं तो आगे बढ़कर उनको आतंकित किया और उसी मशीनरी के द्वारा यह सरकार कहती है कि वह दंगे नहीं हुये तो हम सफल हुए। यह मैं समझता हूं बड़ा ग़लत दृष्टिकोण होगा।

जहां तक अपराध वृद्धि का सम्बन्ध है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की रिपोर्ट जो क्राइम सिचुयेशन के सम्बन्ध में निकली है उसे देखें तो उससे यह पता चलता है कि सारे भारत से उत्तर प्रदेश में अपराधों की वृद्धि अवश्य हो गयी है। उत्तर प्रदेश में ५३·२ प्रतिशत अपराधों में वृद्धि हुई है। और भी जो आंकड़े निकले हैं उनके अनुसार मैसूर में ५·९ प्रतिशत अपराधों में वृद्धि हुई, राजस्थान में २·२९ प्रतिशत अपराधों में वृद्धि हुयी। ऐसे अपराधों में जो हस्तक्षेप योग्य हैं। महाराष्ट्र में ११·०४ प्रतिशत की कमी हुई है और इसी प्रकार से पंजाब में १·८४ प्रतिशत, आसाम में ७·०३ प्रतिशत, मद्रास में ७.०० प्रतिशत, बिहार में ६.०० प्रतिशत, दिल्ली में ३·५८ प्रतिशत अपराधों की संख्या में कमी हुयी। उत्तर प्रदेश में इतनी भारी वृद्धि इस बात का द्योतक है कि हमे जितना इसके लिये करना चाहिये वह नहीं कर पाये और अगर अपराध बढ़ते हैं तो, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा आज इतनी अरक्षा की भावना पैदा हो गयी है कि लोग अपने घर के बाहर सोने में भय खाते हैं, उस भावना में वृद्धि हुयी है। इसलिये मैं पूछता हूं प्रदेश की सरकार से और खासकर पुलिस मंत्री जी से कि क्या सरकार इसके लिये उत्तरदायी नहीं है ? अगर आप अपने प्रारम्भिक कर्त्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकते, अगर आप लोगों को सुरक्षा की भावना नहीं दे सकते, अगर आज लोग यह अनुभव

[श्री शारदाभक्तसिंह]

नहीं कर सकते, चाहे देहात हो या शहर, कि हम जहां चाहें स्वतंत्रता से विचरण कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं पुलिस के प्रारम्भिक कर्त्तव्य इस प्रदेश में पूरे नहीं हुये हैं। जहां तक शहरों में अपराधों की स्थिति का सवाल है, कानपुर में सब से अधिक अपराध हुये। कानपुर में १९६२ में ९२.७२ प्रतिशत अपराधों की वृद्धि हुयी है। जबकि अहमदाबाद में १४·८८, बम्बई में १३·८८, हैदराबाद में १४·०० प्रतिशत की अपराधों में कमी हुयी है। चाहे उत्तर प्रदेश में आज देहाती क्षेत्र लिया जाय चाहे शहरी क्षेत्र लिया जाय सभी में हम अपराधों की वृद्धि में अग्रणी हैं।

इस सिलसिले में हमारा मस्तक ऊंचा हो कैसे? इस पर भी आप का मस्तिष्क ऊंचा है, और उसके बाद बिगड़ती हुयी स्थिति, अपराधों की वृद्धि, अरक्षा के भाव की वृद्धि, इस बात को बताती है कि हमें स्वीकार करना चाहिये कि जो हम करना चाहते हैं वह कर नहीं पा रहे हैं। बल्कि उल्टी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी ने जो कारण दिये अपराधों की वृद्धि के कि अपराधों में वृद्धि क्यों हुयी तो मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जाने अनजाने पुलिस विभाग के बारे में स्वीकार किया है, जिसके कारण पुलिस विभाग के दोष हमारे सामने आ जाते हैं। इसमें पहला कारण यह दिया गया कि रिपोर्टिंग ठीक नहीं हुई। ४ वर्ष से हमारे सामने यह बात कही जा रही है कि हमने निश्चित आज्ञा दे दी है कि जो भी अपराध हों या जो भी सूचना थाने में आये उसकी रिपोर्ट लिखना चाहिये। अब ४ वर्ष के बाद अगर गृह मंत्री खड़े हो कर कहें कि हम अब भी विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि सारे अभियोग लिखे जाते हैं थाने में, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी नीति के फसल होने के लिये ४ वर्ष का समय कम है? अगर आप के अधिकारी सतर्क होते, आपकी नीति दृढ़ होती और एक विशेष समय में भी काम करना चाहते तो भी ४ वर्ष में अगर आप की रिपोर्टिंग ठीक नहीं हो पायी तो क्या अनन्तकाल तक आप का यह बहाना चलता चला जायगा? यह आप की असफलता ह और कोई बाहरी आदमी उसके लिये उत्तरदायित्व नहीं है।

दूसरी बात कन्विक्शन्स की है। आप ने कहा कि वह नहीं होते। क्या आप कहना चाहते हैं कि जो हमारे कोर्ट्स हैं वे किसी तरह का भी अभियोग हो उसको सजा जरूर दें? इसको भी आप स्वीकार करते हैं कि इन्वेस्टीगेशन में जो प्रमाण आने चाहिये वह ठीक नहीं आते और मुकदमें की सारी कार्यवाही भी ठीक नहीं होती जिससे कन्विक्शन किया जा सके। यह स्वयं आप का कहना है कि कन्विक्शंस बहुत कम हैं, इसलिये अपराध बढ़े हैं। अगर पुलिस विभाग मुकदमा नहीं चला पाता जिससे कन्विक्शंस कम होते हैं तो यह कमी आज इन्वेस्टीगेशन की है। इसका कारण है इन्वेस्टीगेशन विभाग और शान्ति व्यवस्था विभाग का एक होना। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन दोनों विभागों को अलग-अलग किया जाय। इन्वेस्टीगेशन का विभाग अलग हो और दूसरी कार्यवाहियों के लिये अलग विभाग हो।

दूसरा कारण यह भी है कि आप ने जितना काम तफतीशकुनिन्दा को दे रखा है उसके साथ वह न्याय नहीं कर सकता। आप सौ-सौ और सवा-सवा सौ मुकदमे एक दरोगा द्वारा तफतीश कराना चाहते हैं, जो सम्भव नहीं है। आवश्यकता तो इस बात की है कि आप उनके काम को कम करें। उनको कम मुकदमें दें ताकि वे तफतीश इतने अच्छे तरीके से कर सकें कि कन्विक्शन हो सके।

सी० आई०डी० के बारे में आपने कहा कि वे बहुत अच्छी तफतीश करते हैं, लेकिन आपने कभी यह भी देखा कि एक तफतीशकुनिन्दा साल भर में सिर्फ ८ या १० मुकदमे की तफतीश करता है। अगर आप चाहते हैं कि न्याय हो और कन्विक्शंस ज्यादा हों तो आप को भी यही करना चाहिये। उनके मुकदमें में जो ज्यादा कन्विक्ट होते हैं उसका सब से बड़ा कारण यही है।

तीसरी बात यह है कि जो अरक्षा आज बढ़ रही है उसके सम्बन्ध में जितने पुलिस विभाग के कर्मचारी आपने रखे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। लगभग ११०० या १,२०० आदमियों पर एक सिपाही को यह कार्य करना पड़ता है, जो अवस्था को देखते हुये, सारे प्रान्त में अरक्षा

के भाव को देखते हुये बहुत कम है। उनकी संख्या बढ़नी चाहिये और ५०० या ६०० आदमियों पर एक आदमी रखा जाय तो वह कार्य ठीक कर सकते हैं। आपने कहा कि नया इंटेरेस्ट पैदा हो रहा है। आप से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सुरक्षा हो, अपराधों में कमी हो, तो आपको क्रान्तिकारी कदम उठाना पड़ेगा। आज वे लोग जिनका पुराना इतिहास अच्छा नहीं है वे कपड़े पहनकर, टोपी लगाकर आज राजनीतिक कार्यकर्ता बनते चले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शायद विरोधी दल में भी कुछ लोग हों, लेकिन उधर ज्यादा है क्योंकि उधर सुविधा ज्यादा होती है इसलिये कांग्रेसी ज्यादा लोग बनते हैं। चरणसिंह जी ने स्वयं भी कहा था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ३ वर्ष तक क्या कार्यवाही की गयी है और क्या आप आज भी कोई क्रान्तिकारी कदम उसके लिये उठा रहे हैं? आप जानते हैं कि आपके सामने भी समस्यायें आती हैं। वे उन्हीं लोगों को दलाल बनाकर पैसा भी पैदा करते हैं। आज पुलिस विभाग में ईमानदार दारोगा बहुत कम हैं लेकिन जो भी हैं उनकी ताकत घट रही है उनको काम करने में दिक्कत होती है क्योंकि वे बराबर शिकायत करते हैं कि राजनीतिक पार्टी के लोग दबाव डालते हैं। इसलिये आज आवश्यकता है कि जो लोग पैसा पैदा करते हैं, दलालों को साथ रखते हैं, राजनीतिक दल में होने से अधिकारियों पर प्रभाव रखते हैं उनसे ऐसे ईमानदार लोगों को बचावें जिससे वे अपना काम कर सकें। क्या उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया कि जो ईमानदार दारोगा है उस पर सरकार की विशेष कृपा होगी, उनको पद दिये जायेंगे और यदि आवश्यक हो तो उनकी सराहना होगी? मैं किसी पर, व्यक्तिगत आक्षेप करने का आदी नहीं हूं किन्तु आज की व्यवस्था को देखते हुये आवश्यक है कि बड़े अधिकारियों के ऊपर निगाह रखी जाय। जिनका दृष्टिकोण ठीक नहीं है उनके बारे में आप सख्ती करें। मैं इसका विरोधी हूं कि वह टेलीफोन या और किसी से बात न करें। अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिये बात करें यह उनका कर्त्तव्य है, लेकिन जिन अधिकारियों का कदम आगे नहीं बढ़ रहा है, जो इधर कई वर्षों से कोई क्रान्तिकारी सुधार नहीं दिखा सके, उनको आप अलग करें और इस सदन में इस तरह का आश्वासन दें कि पुराने जितने कार्य के तरीके हैं उनको बदलकर अगर कोई नया वातावरण प्रदेश में बन सके तो इसको किया जायगा, नहीं तो आज प्रदेश में निराशा बढ़ रही है और इस निराशा को दूर करना इस प्रान्त में कठिन होगा।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इसमें जो पांडेय जी द्वारा कटौती हुई और उसके बाद जो उनका भाषण हुआ है उसको सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि श्री केशरी पांडेय जी ने अपने भाषण में उन अनावश्यक तथ्यों का समावेश किया जो यहां नहीं करना चाहिये थे। मुझे यह आशा थी कि उनके विवाद का स्तर ऊंचा होगा। मेरी यह धारणा है कि प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिये उत्तरदायित्व पूर्ण सहयोग की नीति को अपनाना पड़ेगा लेकिन पांडेय जी ने व्यक्तिगत कारणों से प्रेरित होकर यहां पर उन अनावश्यक तथ्यों का समावेश किया कि जो यहां पर नहीं करना चाहिये था। यदि वे स्थानीय राजनीतिक तथ्यों से प्रेरित होकर कुछ कहना चाहते थे तो वह वहीं की जनता के सामने आनी चाहिये . . . .

(इस समय १ बज कर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद) पाठीसीन हुए।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

यह जो भाषण पढ़ रहे हैं इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मैं पढ़ नहीं रहा हूं। आप कृपया मेरी बात को सुनें। मैंने भी आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना था। यदि आपको कोई राजनीतिक स्पष्टीकरण करना था या और कुछ कहना था तो उसके लिये उपयुक्त स्थान जौनपुर की सार्वजनिक सभा थी। मैं जानता हूं कि वह किन कारणों

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

से प्रेरित होकर यह बात कहते हैं। मुझे भी उसकी थोड़ी सी जानकारी है। मैं शिष्टाचार से बाध्य हूं और इस माननीय सदन की गौरवमय परम्परायें मुझे बाध्य करती हैं कि मैं व्यक्तिगत कारणों के ऊपर प्रकाश न डालूं। मैं अपने मित्र का बड़ा सम्मान करता हूं। मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि स्थानीय बातों की सीमा उसी स्थान तक सीमित रहनी चाहिये और व्यक्तिगत कारणों से प्रेरित होकर इस सदन की गौरवमय गरिमा में बाधा नहीं डालना चाहिये....

श्री केशरी प्रसाद पांडेय--

मन्ना कोला के बारे में आप अपनी राय दे दीजिये ?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

वह मामला पूरा हो गया है और मन्ना कोला के मामले में जिन्होंने आन्दोलन किया था उन्होंने चेक लेकर अपनी राय बदल दी है। हम तो अपनी राय पर कायम हैं, उचित न्याय हो जायेगा।

श्री नत्थूसिंह--

अगर आपकी यह बता सही है तो एक जांच कमेटी बैठा दी जाय।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

अपने माननीय मित्र पर मुझे विश्वास है, यदि वह जांच करके कह दें कि यह तथ्य असत्य है, तो मैं स्वीकार कर लूंगा। मुझे एक बात खेद के साथ कहनी पड़ती है कि जो, यह हमारे यहां बजट पर भाषण होते हैं इनका स्तर बहुत गिर गया है। हमें यह चाहिये कि व्यक्तिगत कारणों को न लेकर सरकारी नीति की आलोचना करें और समालोचना करें। ऐसी परम्परा का यहां पर सृजन करें जो कि आगे के लिये एक स्वस्थ परम्परा बन सके। श्रीमन्, आप एक बात देखेंगे कि जब से पुलिस का निर्माण हुआ है तब से जितने भी बजट आये हैं तो यह विभाग सदैव ही आलोचना का पात्र रहा है। इसकी पृष्ठ-भूमि क्या है ? वस्तुस्थिति यह है कि इस विभाग को समाज के हित में ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनसे यह जनता की आलोचना का विषय बन जाता है। इस विभाग को समाजद्रोही तत्वों को हैंडिल करना पड़ता है, मुकदमों के लिये गिरफ्तारी करनी पड़ती है, निगरानी करनी पड़ती है। ऐसे जितने भी समाज विरोधी कार्य हैं उनके विरुद्ध इस विभाग को कार्य करना पड़ता है। इसलिये इसकी आलोचना की जाती है। यह ठीक है, ब्रिटिश शासन में इनका दृष्टिकोण दूसरा था। ये उनके नौकर थे, जो आज्ञा मिलती थी करते थे। लेकिन स्वराज्य होने पर भी आज पुलिस अधिकारियों का दृष्टिकोण नहीं बदला है। बात यह भी है कि जनता की ओर से उनको उतना सहयोग नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिये। क्या आज कोई इस तथ्य से इन्कार कर सकता है कि समाजद्रोही तत्वों का पोषण कहां होता है ? आज जुआ हम जमवाते हैं, जनता जमवाती हैं। आज डाकू-चोर हमारे प्रश्रय में रहते हैं। आज अफीम की नाजायज दूकान कौन चलाता है, शराब कौन बनाता है ? यह सब काम हम लोग करवाते हैं। तो आलोचना करने से पहले हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिये कि इस देश के नागरिक होने के नाते से हमारा भी कुछ कर्तव्य है। मैं इन्कार नहीं करता कि पुलिस में भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार है, लेकिन उसके निवारण के लिए हमें एक दूसरा दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे उधर के बैठने वाले ठंडे दिल से विचार करें आलोचना करने से पहले कि क्या दूसरे विभागों में भ्रष्टाचार नहीं है, पुलिस में ही है ? आज पुलिस विभाग में कौन भ्रष्टाचारी है ? हमारे भाई-भतीजे है, लड़के हैं, कोई गैर नहीं हैं। ऐसे कितने परिवार हैं जो कहते हों कि थानेदार हो, एस० पी० हो, हराम का पैसा मत लो ? हम तो उनका स्वागत करते हैं और गर्व से कहते हैं कि हमारा लड़का थानेदार है, डी० आई० जी है इतना रुपया कमा कर लाता है। (लाल बत्ती होने पर)

मुझे आप दो मिनट दे दें, मेरा समय इन लोगों ने ले लिया। मैं एक व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं। आज हमें पुलिस का दृष्टिकोण बदलने के लिये उनसे सहयोग करना होगा। वह इस प्रकार से नहीं जैसा कि हम कर रहे हैं। हमारी जो आलोचनाएं होती हैं और हमारे अन्दर जो उनके प्रति दुर्भावनाएं हैं उनकी प्रतिक्रिया उनके दिलों में होती है और उनके हृदय में भी दुर्भावना उत्पन्न होती हैं। हम उन्हें अपना रक्षक न समझ कर भक्षक समझते हैं। हमारे मन में उनके प्रति घृणा भरी हुई है। उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। तो पहले हमारा दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिये। दूसरे, आज जो पुलिस का तरीका है उसमें परिवर्तन की जरूरत है। जैसे रिपोर्ट न लिखने की आमतौर से शिकायत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि जैसा तरीका इंगलैन्ड में है वही यहां भी होना चाहिये। एक रजिस्टर आप मंगवा दीजिये, कारबन पेंपर और पेंसिल हो। कोई आये और अपनी रिपोर्ट लिख जाय। उसके लिखने में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। जैसा कि नेता, विरोधी दल ने कहा है, मैं उनके सुझाव को पसन्द करता हूं कि इन्वेस्टीगेशन और प्रासीक्यूटिंग एजेंसीज दोनों अलग-अलग हों।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---

जो इन्वेस्टीगेशन अफसर है वह तफतीश करे, वही कोर्ट में मुकदमा भेजें। मुझे तो बहुत कुछ कहना था, लेकिन समय समाप्त हो गया।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि थोड़ा-वक्त आपने दिया। हमें जो यह पुलिस विभाग की १९६४ की पुस्तक दी गयी है। उसके पृष्ठ १ पर दिया हुआ है कि पुलिस ने अपराध नियंत्रण में सराहनीय सफलता प्राप्त की। फिर तीसरे पृष्ठ में विवरण जो अपराधों का तुलनात्मक दिया हुआ है, उसमें सन् १९६२ से १९६४ तक के जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे साफ जाहिर है कि इस प्रदेश के अन्दर डकैती, लूटमार, हत्या और सेंध लगाने में बहुत उन्नति हुई है। जो हुई है वह आंकड़ें से खुद ही मालूम हो जाती है और माननीय मंत्री जी भी ऐक्सेप्ट करते हैं। जो हत्यायें हुई हैं उनमें ३, ४ तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मथुरा जिले के पुलिस अधीक्षक, जी० के० माथुर मार डाले गये। आजमगढ़ में एक कांस्टेबुल मारा गया। वाराणसी में एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट की हत्या हुई। नैनीताल में हेड कांस्टेबुल मनोहरलाल मारे गये। मुरादाबाद में सब-इंस्पेक्टर केदारनाथ चौबे की हत्या हुई है। यह शो करता है कि जो पुलिस मैजिस्ट्रेट की रक्षा नहीं कर सकती, अपनी पुलिस की रक्षा नहीं कर सकती उससे अगर हम उम्मीद करें कि हमारी रक्षा या जनता की रक्षा करेगी, यह गैर मुमकिन चीज है। इतना ही नहीं, एक बड़े शर्म की चीज है जो हम इसी पुस्तक के अन्दर पढ़ते है कि इलाहाबाद में कलेक्टरी कचेहरी के अन्दर जब कि एक अभियुक्त को पुलिस ले कर जा रही थीं उस वक्त वह मारा गया गोलियों से, और उसका जवाब पुलिस के पास नहीं था। यह भी एक नमूना है कि हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी रक्षा कर सकती है उन अभियुक्तों की जो उनकी अभिरक्षा में एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं।

अब मैं माननीय, मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे गाजीपुर जिले के सैदपुर थाने में ६ जुलाई, १९६४ को जो एक रिटायर्ड डायरेक्टर हैं उनके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

घर में चोरी हुई। ३ आदमी थे--सरजू, टिघेनू और फुल्ले। उनकी तलाशी ली गयी, कोई सामान नहीं मिला। तब उनको पकड़ कर पुलिस सैदपुर थाने में ले गयी। थाने में वह १४ तारीख तक बुरी तरह पीटे गये एक्सटार्सन करने के लिये ताकि वह कनफेशन करे। नतीजा यह हुआ कि ७०० रुपयें लेकर पुलिस ने सरजू और टिघेनू को छोड़ दिया। कुल्लें की मां ने एस० सी० ओ० को तार दिया और डी० आई० जी० को दिया कि मेरे लड़के को पुलिस मार रही है और उससे रुपया ऐठने की कोशिश कर रही है। मैंने कप्तान से कहा कि मढ़िया गांव में पुलिस ने क्या हालत कर रखी है जिससे लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, क्या यह ब्रिटिश की हुकूमत ला रहे हो? सन् १९४२ से भी बढ़कर तुम्हारा अत्याचार चल रहा है। पुलिस जानती है कि कौन-कौन आदमी मुलजिम है, हम हाजिर कर देगें, लेकिन गांव में अत्याचार नहीं होना चाहिये। कप्तान ने कहा कि आप लिखकर रिपोर्ट दें। मैंने लिख दिया। फिर गृह मंत्री को लिखा और उसकी कापी भी अटैच की, आई० जी० को भी पोस्ट की। नतीजा उसका यह हुआ कि जिस कप्तान ने आदमियों को पिटवाया था उसी के पास वह इंन्वायरी के लिए आयी। शान्ति प्रसाद आई० जी० ने कहा कि दूसरे कप्तान, जो दूबे आने वाले हैं, वह जांच करेगें। नतीजा यह हुआ कि दूबे जी जब गये, मेरा बयान उन्होंने लिया। बाद में कहा कि एक कप्तान जांच कर चुका है, इस लिए कुछ नहीं हो सकता। इस तरह का समझिये धोखा मेम्बरों को दिया जाता है। वह मामला खटाई में पड़ा है।

मैं तो आज भी विश्वास से कहना चाहता हूं कि आपका विजिलेंस कमीशन ऐसी एजेंसी है कि पुलिस की जो बदमाशी हो रही है उसका अनुसंधान कर सकता है और अगर आप इस भ्रष्टाचार और पुलिस की बदमाशी को बन्द करना चाहते हैं तो विजिलेंस कमीशन को इस मामलें को दे दीजिये। हमें विश्वास है कि जियाराम पर अगर यह मामला छोड़ा गया तो वह ईमानदारी से जांच करेगा और हम सही नतीजे पर पहुंचेगें। उसकी जांच सही होगी। अगर विजिलेंस कमीशन इस नतीजे पर पहुंचता है कि वह रिपोर्ट जो की गयी है गलत है, तो या तो माननीय मंत्री जी इस्तीफा दें या आई० जी० साहब इस्तीफा दें। तभी भ्रष्टाचार रुक सकेगा।

मैं एक बात और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं। आप एक तरफ तो राग अलापते हैं कि हम भ्रष्टाचार को बन्द करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप मनमानी करना चाहतें हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि सी० आई० डी० बहुत अच्छी है, दूसरी ओर आप उसको करप्ट बना रहें हैं। इंगलैन्ड में जितने क्राइम्स होते हैं उनका इन्वेस्टीगेशन सी० आई० डी० के जरिये होता है मगर हमारे यहां सी० आई० डी० माननीय मंत्री जी के चंगुल में फंसी रहती है। जितना जिले की पुलिस का काम है वह सी० आई० डी० कर रही है, जिले के एस० पी० का काम डी० आई० जी० कर रहे हैं, तो फिर जरूरत क्या है इनकी पोस्टों को रखने की? एस० पी० को डी० आई० जी० बना दीजिये, इस तरह से सुपरवीजन भी अच्छा होगा। हर जिले मे जो आप चौकियां बढ़ा रहे हैं, यह बड़ी खुशी की बात है, लेकिन साथ ही साथ जो आप जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं वह मत कीजिये। अगर आप चाहते हैं कि कुनबापरस्ती, पक्षपात, भ्रष्टाचार आदि मिटे, पुलिस घरों में घुस कर जनता को परेशान न करे, डकैतियां न करे, तो उसके लिये आपको अपनी पुलिस को दुरुस्त करना पड़ेगा। एक किताब है "स्काटलैंड यार्ड ऐन्ड दि इन्डियन पुलिस", एस० आर० निगम द्वारा लिखित, उसकी कुछ पंक्ति मैं पढ़ देना चाहता हूं--

"Firstly, in the elimination of corruption the most significant thing seems to be that the Ministers and higher Civil Servants should serve as a model of a high standard of conduct for their subordinates."

आपको उनके सामने एक अच्छा उदाहरण रखना पड़ेगा।

सब लोग जानते है कि चौकीदार बहुत कम वेतन पाता है। इतने कम वेतन पर आप उससे यह आशा नहीं रख सकते कि वह इतने गांव का काम जो उसके सुपुर्द किया जाता है वह ठीक तरह से कर सकेगा। उसके वेतन को बढ़ाना चाहिये।

फिर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश की रक्षा हो, तो आपको एग्जीक्यूटिव और इन्वेस्टीगेशन तथा प्राजीक्यूशन एजेन्सीज को सेपरेट करना पड़ेगा जितना आपका पुलिस फोर्स है उसको आप एक्जीक्यूटिव में भेज दीजिये, इनवेस्टीगेशन में ईमानदार आदिमयों की जरूरत है। प्राजीक्यूशन में जो आप कहते हैं कि इतने आदमी छूट गयें, आपने जो तनख्वाह दी हैं वह दो-दो आने तीन-तीन आने फी केस पड़ती है, पन्द्रह-बीस केस उन्हें डेली करने पड़ते हैं। तो इसमें अच्छे आदमियों को जब तक नहीं लेंगे तब तक काम ठीक तरह से नहीं हो सकता। ऐसी सुविधा आप दें जिससे कि अच्छे केलिबर के आदमी इसमें आयें। (लाल बत्ती होने पर) मुझे श्रीमन्, दो मिनट और दे दें। सर्किल इंस्पेक्टर के लिये आपने कहा था कि उनको डी० वाई० एस० पी० बनायेंगे, उनका पे रिवाइज होगा लेकिन आज तक पे रिवाइज नहीं हुआ। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप उनकी पे रिवाइज करें।

दूसरी चीज, हर जिले के अन्दर आप प्राजीक्यूशन का एक डाइरेक्टोरेट बनायें जो एस० पी० के अन्डर में न रहे, एस० पी० पी० वगैरह जिसको देखें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन् एक स्पष्टीकरण दिला दें। माननीय कमला सिंह ने कहा कि जो आदमी ईमानदार हैं उनको इन्वेस्टीगेशन में रखें तो जो बेईमान हैं उनको कहां रखें? उनको क्या एग्जीक्यूटिव में रखें?

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आप रिपब्लिकन दल के भी किसी सदस्य को बुलवायेंगे या नहीं?

श्री अधिष्ठाता—

यह तो समय के ऊपर निर्भर है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

जब आप सभी दलों के लोगों को समय देते हैं तो इस दल को समय क्यों नहीं दे रहे हैं? माननीय कमला सिंह के बाद उधर के दूसरे सदस्य को आपने बुला लिया, इधर से जनसंघ के नेता को आपने बुलाया (व्यवधान) तो आप बता दीजिये कि आखिर हमें मौका मिलेगा या नहीं?

श्री अधिष्ठाता—

पहले से मैं कुछ नहीं कह सकता। समय देने का प्रयत्न है, जितना समय है दिया जायगा।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

आगरे की समस्या बड़ी ही विकट है (व्यवधान) चम्बल घाटी...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपा करके बैठें।

श्री शौकत हमीद खां (जिला मेरठ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पुलिस विभाग की मद जो पेश है उसकी ताईद में हाजिर हुआ हूं। यह सही है कि पुलिस में खामियां हैं, जो बेहतर तरीका पुलिस के इन्तजाम का हम लोग समझते हैं वह नहीं हो पाता। लेकिन साथ-साथ हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि पुलिस के बारे में हमारा जेहन कुछ पहले से बन चुका है। जैसे आज के प्रजातान्त्रिक शासन में पुलिस के अन्दर कुछ खामियां बाकी रह गई हैं ऐसे ही पुलिस के बारे में एक खास खयाल भी पहले से ही हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बेहतर सूरत हो सकती है, बेहतर माहौल पैदा किया जा सकता है, लेकिन वह सब मुमकिन तभी है जब हम जनतंत्र की जड़ों को इतना मजबूत कर लें कि हम में से खुद जो अपने क पब्लिक का नुमाइन्दा कहते हैं वह ऐसी चीजें न करें जो कि दरअस्ल मुनासिब नहीं हैं। मैंने मान लिया कि एक दरोगा किसी जगह पर किसी के साथ ज्यादती कर सकता है, लेकिन क्या यह नहीं होता कि किसी मुजरिम का भी साथ बाज अवकात किसी दरोगा को देना पड़ता है किसी के कहने की वजह से? क्या यह मुनासिब नहीं है कि हम यह भी सोचें कि हमसे भी गलतियां होती हैं जिनकी बिना पर पुलिस वाले वह इन्तजाम नहीं कर पातें जो कि उन्हें करना चाहिये था? बहरहाल, मुझे इस सिलसिले में चन्द सुझाव इस सदन के सामने पेश करने हैं। कल थोड़ा-सा जिक्र आया था, मैं उसी बात को ज्यादा तफसील के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से सैनिक स्कूल कायम किये गये हैं, यह निहायत जरूरी है कि पुलिस ब्वायज के स्कूल भी कायम किये जांय, जहां इस तरह की शिक्षा दी जाय ि ससे कि आइडियल पुलिस आफीसर निकलें। हम शुरू से उस लड़के के दिम.ग को इस तरह से ले जाना चाहते हैं कि वह हमारे लिये एक मयारी पुलिस आफीसर या पुलिस कांस्टेबिल बन सके।

इसके अलावा मैं यह समझता हूं कि जो कुछ भी जादती पुलिस के मुहकमें में होती है, वह क्राइम वीक में बाज औकात छठें महीने, बाज औकात साल के आखिर में होती है, क्राइम वीक मनाया जाता है। जुर्म के उस सप्ताह में यह कोशिश की जाती है कि जुर्म चाहे हुआ हो या न हुआ हो, बहरहाल किसी न किसी को मुजरिम बनाकर रख दिया जाय। तो बजाय इसके कि क्राइम वीक मनायें, हम कर्ट्सी वीक मनाएं और कोआपरेटिव वीक मनाएं, तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये क्राइम वीक में बाज औकात हिस्ट्रीशीटर्स या मुस्तवहा लोग बिला वजह परेशान किये जाते हैं। इसके अलावा मुझे खासतौर से वजीर साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाना है कि इसमें कोई शक नहीं कि सी० आई० डी० का मुकहमा निहायत अच्छी तरह काम कर रहा है, लेकिन एक अपने जाती तजुर्बे के बिना पर यह अर्ज कर सकता हूं कि सी० आई० डी० में खासतौर से एल० आई० यू० की ब्रान्च जो है, उसमें उर्दू न जानने की वजह से कभी-कभी इतना गलत रिपोर्टिंग होती है, जिसकी कोई इंतिहा नहीं। जाहिर है कि जब आप किसी जबान से वाकिफ नहीं हैं, तो अपनी नाकाबिलियत की वजह से किसी दूसरे से पढ़ाकर उस पर अपनी राय कायम करेंगे, इसमें बहुत से बिला कसूर फंस जाते हैं और कसूरवार छूट जाते हैं। इसलिये सीक्योरिटी के नाते और गलत रिपोर्टिंग से बचाने के लिये एल०आई०यू० के अन्दर जो भी आदमी रखे जांय, वह उर्दू के जानकार हों, उनके लिये कोई प्रोफिशियेन्सी इम्तहान उर्दू का रखा जाय, जैसे कि मुंसिफी में एक पर्चा उर्दू का होता है। उसी तरह से इसमें भी जो शख्स उर्दू का इम्तहान पास कर ले, उसको एल० आई० यू० की ब्रान्च में रखा जाय। आखिर में मैं स्पीकर साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूं, जो उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं इस मद की ताईद करता हूं।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिये कि मैं पुलिस विभाग की उप-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योगिता को ही स्वीकार नहीं करता, या मैं यह नहीं मानता कि पुलिस विभाग कुछ अच्छा काम भी कभी-कभी नहीं करता है। हमारे वह जवान जो सरहदों पर नियुक्त हैं, उनकी प्रशंसा किये बिना मैं नहीं रह सकता। इसी प्रकार से जो पुलिस फोर्स डाकुओं से जूझने में लगी हुई है, वह भी प्रशंसा के पात्र हैं। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ अच्छा काम कर लेने से कोई गुनाह करने का अधिकार नहीं मिल जाता। जो अच्छा काम है, उसकी प्रशंसा की जायगी, परन्तु जो बुरे काम हैं, उनको यह कहकर कि कुछ अच्छे काम भी किये जा रहे हैं, छिपाये नहीं जा सकते। माननीय पालीवाल जी ने कहा कि चूंकि पुलिस को ऐसे काम करने पड़ते हैं पकड़-धकड़ के, इसलिये उनकी लोकप्रियता कम हो गई है, लोग उनसे घृणा करने लग गये हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि यह बात उल्टी है। यदि वास्तव में पुलिस अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का पालन करें और चोर, बदमाशों को सजा दिलायें और असामाजिक तत्वों का दमन करें तो उनकी लोकप्रियता घटने के बजाय बढ़ेगी। जनता यह कभी नहीं चाहती कि कोई उन असामाजिक तत्वों के लिये सहानुभूति दिखायें। जनता में पुलिस फोर्स के प्रति जो घृणा के भाव पाये जाते हैं उसका कारण यह है कि पुलिस का उन असामाजिक तत्वों के प्रति अधिक प्रेम दिखायी देता है बजाय इसके कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करें।

श्रीमन्, मैं सारी बातों को नहीं दुहराना चाहता हूं क्योंकि इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सभी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि पुलिस में काफी भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार का कारण क्या है और किस प्रकार से यह दूर किया जा सकता है, इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। मेरी समझ में सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलिस को यद्यपि कानूनन कोई अधिकार नहीं है, लेकिन व्यवहार में यह अधिकार मिला हुआ है कि किसी भी नागरिक को थाने में पकड़ कर वे ले जा सकते हैं और उसकी अच्छी तरह से पिटाई कर सकते हैं। मैं गांव में रहता हूं और एक थाने के नजदीक रहता हूं। शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो कि किसी न किसी गांव के लोग मेरे पास न आते हों और यह न कहते हों कि हमको पुलिस की मार से बचाइये, बाकी जो कसूर हमने किया है उसको हम भोग लेंगे। उस मारने का मतलब होता है सैकड़ों रुपया रोज थाने में जमा होना। मंत्री जी कदाचित कहें कि उनको कानून में तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अगर वे मारते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यह ठीक है कि कानून में उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब जमींदारी प्रथा यहां थी और जमींदार लोग काश्तकारों को मारा-पीटा करते थे, उस समय भी कोई कानून इस प्रकार का नहीं था। शासन के रवइया बदलने के साथ ही साथ आपको अब ऐसा एक भी जमींदार नहीं मिलेगा जो काश्तकारों को या छोटे आदमियों को मारता हो। इसी प्रकार से यदि पुलिस के प्रति भी शासन का रवइया बदल जाय तो मैं समझता हूं कि एक वर्ष के अन्दर ही भ्रष्टाचार की जड़ ही समाप्त हो जाय और काफी अंशों तक भ्रष्टाचार समाप्त हो जाय। कहा जा सकता है कि अपराध को रोकने में इस पीटने से बहुत कुछ सहायता मिलती है, लेकिन मैंने जो एक ग्रामीण की हैसियत से देखा है उसके अनुभव पर मैं कह सकता हूं इससे अपराधों का दमन तो होता नहीं है, पुलिस की घूसखोरी को ढ़ावा मिलता है।

मैं माननीय मंत्रीजी से यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो अपने आपको सभ्य कहलाने का दावा करते हैं और यह दावा करते हैं कि हमने उन्नति की है क्या वे इस बात को नहीं जानते कि वहां पर लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, क्या उनकी जानकारी में यह बात नहीं है कि किस प्रकार से निर्दयी तरीके से थर्ड डिग्री मेथड्स का प्रयोग थानों के अन्दर किया जाता है? क्या ये चीजें एक सभ्य देश में शोभा देती हैं? मेरा तो कहना यह है कि अगर दो-चार गुनहगार छूट भी जायं, लेकिन इस तरह से बेगुनाह लोगों का थानों में पीटा जाना उचित नहीं है।

एक मेरे मिलने वाले दरोगा जी आये। उन्हें न जाने किस प्रकार से यह भ्रम हो गया कि मेरी सिफारिश से उनका काम बन जायगा। उन्होंने कहा कि शहर की कोतवाली से देहात के थाने में ट्रांसफर करा दीजिये। मैंने पूछा कि यहां शहर में आपको क्या तकलीफ है, शहर में तो सभी सुविधायें प्राप्त हैं, फिर आप देहात में क्यों जाना चाहते हैं?

[श्री भानुप्रतापसिंह]

तो थोड़ी देर बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि देहात के थानों में ज्यादा अवसर मिलता है । कमाई करने का । श्रीमन्, क्यों मिलता है । इसलिये कि वहां ज्यादा पिटाई करने का अवसर मिलता है । अगर हजरतगंज के थाने में पिटाई हुई होगी तो उन्हें यही डर रहता है कि यहां की जनता शिक्षित है और उनके डर से सभ्य व्यवहार करते हैं । लेकिन जो व्यवहार देहात की पुलिस कर सकती है उसमें ही यह अवसर मिलता है कि कमाई हो सके । तो मैं माननीय पुलिस मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर वे इस काम को कर जावेंगे तो ग्रामीण जनता सदा-सदा के लिये उनका नाम याद करेगी, जिस प्रकार चौधरी चरणसिंह जी ने आदेश निकाला था कि कोई भी रिपोर्ट हो उसको दर्ज अवश्य किया जाय । मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार की व्यवस्था करें कि उनके थानों में थर्ड डिग्री दंड का प्रयोग बन्द कर दिया जाय ।

श्रीमन्, एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैंने यह बात तब भी पेश की थी जबकि कृषि विभाग का बजट पेश हुआ था, कि गांव में खड़ी फसल की चोरी बहुत बढ़ती चली जा रही है । इस प्रश्न को लेकर हमारे एक माननीय विधायक इस सदन से निष्कासित भी हो चुके हैं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस बात को लेकर उन्होंने यहां एक कड़ा रुख अपनाया था, वह बात ठीक है । मैं देवरिया की ही नहीं, बल्कि श्रीमन्, सभी पूर्वी या पश्चिमी जिलों के देहातों की बात कह रहा हूं कि सभी जगह खड़ी फसलों की चोरी बढ़ती जा रही है और इस चोरी के संबंध में, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि पुलिस मंत्री स्वयं खेती करते हैं, कि दलहल की जो फसल बोई गई थी और जिसका चारा पशुओं के काम आता है, श्रीमन्, वह चोरी होती चली जा रही है। इस कारण काफी नुक्सान हुआ है और इसी कारण उनकी खेती का रकबा भी घटता चला जा रहा है । तो मैंने इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी से भी निवेदन किया था और कृषक समाज ने भी प्रस्ताव पास किया था और मैं फिर कहना चाहता हूं कि फसलों की चोरी पुलिस दस्तन्दाजी का जुर्म बन जाय और उसके लिये व्यवस्था की जाय । अगर इसके लिये कानून में परिवर्तन की भी आवश्यकता हो तो करना चाहिये ।

श्रीमन्, अन्त में मैं एक सुझाव देकर समाप्त कर दूंगा । पुलिस फोर्स के बारे में मेरा खयाल है कि पी०ए०सी० के लिये, उस फोर्स में मोबिलिटी ज्यादा होना चाहिये । हमारी पी० ए० सी० की ट्रेनिंग प्रायः जिस तरह से फौज रखी जाती है उस पैटर्न पर होती है, परन्तु आज जरूरत इस बात की है कि उनकी ट्रेनिंग गुरिल्ला वार फेयर की भांति हो । पी०ए०सी० को न केवल डाकुओं का सामना करने के लिये बल्कि जो पोलिटिकल एक्टीविटीज इस देश में संभवतः होने वाली हैं उसके लिये भी उन्हें तैयार होना चाहिये और यह बात देखी गई है कि जो फौजी ढंग पर ट्रेंड फोर्स होती है वह गुरिल्ला ढंग से ट्रेंड फोर्स के आगे टिक नहीं पाती । अगर हमारी मोबाइल फोर्स तैयार हो गई तो डाकुओं और मुसीबतों का सामना करने के लिये भी हमको अधिक सहायता मिलेगी ।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, पुलिस अनुदान के संबंध में जो विचार व्यक्त किये गये मैं ऐसा समझता था कि माननीय पांडेय जी, अगर उनका माननीय गृह मंत्री जी से कोई व्यक्तिगत रोष था तो वे उस रोष की चर्चा न करते । सदन में आज यदि कमलासिंह जी के शब्दों में अपराध बढ़े हैं, तो उन अपराधों के बढ़ने का क्या कारण है ? उनको रोकने में पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उनमें खामियां क्या हैं ? अगर बच्चों में डेलिक्वेंसी बढ़ी है तो उसका क्या कारण है? इन कारणों की कुछ चर्चा करते, तथा पुलिस ढांचे में जो खामियां हैं उनका दिग्दर्शन कराकर हमारे जैसे लोगों को अपने भाषण से लाभान्वित करने का प्रयास वे करते, लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई । कुछ मुकदमों की चर्चा की गयी, जिनका शायद कुछ माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदस्यों से जाती ताल्लुक हो सकता है । मैं तो ऐसा मानता हूं कि पुलिस प्रशासन की दक्षता या उसकी उपलब्धियों पर विचार करते समय पिछले वर्ष हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन में जो कुछ परिवर्तन हुआ है उन परिवर्तनों को यदि अपनी दृष्टि से ओझल कर दें तो कदाचित् इस विभाग के साथ न्याय नहीं करेंगे ।

मान्यवर, आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि स्वाधीनता के पूर्व जब कि पाकिस्तान की रचना नहीं हुई थी पंचमांगी के नाम पर एक अपराधी वर्ग का सर्जन हुआ, जिस वर्ग की चर्चा अक्सर माननीय शारदा भक्त सिंह और उनके दल के लोग किया करते हैं । स्वराज्य के पूर्व हमारे राज्य में इस तरह के अपराधी नहीं थे । हमारे यहां के भूमि कानून में कुछ सुधार किया गया । परिणाम उसका यह हुआ कि उसके चलते बहुत से ऐसे लोग, जिनका दायित्व पहले खेती पर था, उनके बड़े बड़े फार्म थे, वे बंट गये । इसका परिणाम यह हुआ कि ठीक जिस तरह से हड्डी के टुकड़े को देख कर मुंह में खून लगा हुआ कुत्ता दौड़ता है, उसी तरह से आज गांवों में देखा जाता है कि वहां पर जो गांव समाज की सम्पत्ति बची हुई है उस सम्पत्ति पर पुराने भू-स्वामी अपनी कुदृष्टि रखते हैं और गांव समाज में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं जिससे तमाम झगड़े होते हैं ।

मान्यवर, आप से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि स्वाधीनता मिलने के बाद ही हम ने समाज के प्रति एक प्राणी को इस बात का अधिकार प्रदान किया कि चाहे वह किसी कुल, जाति या वंश में पैदा हुआ हो, उसका कोई निरादर नहीं करेगा । ये सारे आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तनों का प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ा है और उनसे नयी नयी परिस्थितियां पैदा हुई हैं । उन परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन को जो कार्य करने पड़ते हैं, उन तमाम बातों की चर्चा यहां होनी चाहिये थी । माननीय कमला सिंह जी ने माननीय मंत्री जी के विभाग द्वारा प्रदत्त पुस्तिका से ही कुछ आंकड़े सदन के सामने प्रस्तुत किये और उन्होंने कहा कि निरन्तर इन-इन अपराधों में वृद्धि हुई है । मैं ऐसा समझता था कि माननीय कमलासिंह जी—माननीय गृह मंत्री जी ने प्रदेश की जो वास्तविक स्थिति है, और उसका जो सही चित्र उन्होंने रखा है उसके लिये उनको वे विशेष धन्यवाद देंगे और उसके साथ ही साथ यह सुझाव देने का भी प्रयास करेंगे कि प्रदेश में या प्रदेश के किन्हीं क्षेत्रों में यह क्यों हुआ है और उसमें पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिये । किन्तु मुझे निराशा हुई जब कि उन्होंने सिर्फ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रदत्त आंकड़े ही उद्धृत कर दिये । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहीं यह तो कहा नहीं कि आज जो व्यवस्था है वह उन्नति की सीमा पर पहुंच चुकी है । मार्क्स ने जैसे एक बार कहा था "समाज उन्नति के एक ऐसे स्तर पर भी पहुंच सकता है जहां पुलिस प्रशासन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी ।"

हम यह स्वीकार करके चलते हैं कि स्वाधीनता मिलने के बाद हममें से प्रत्येक आदमी अपने अधिकारों के लिये जागरूक हुआ है । कर्त्तव्यों की यदि मैं चर्चा करूं तो संभव है, कुछ सम्मानित सदस्य कहेंगे कि मैं भी माननीय पांडेय जी के पदचिन्हों पर चल रहा हूं, क्योंकि क्या यह सही नहीं है कि आये दिन—मैं कोई गांव के चौपालों की बात नहीं कर रहा हूं, इस सदन में प्रदेश की जनता को उभाड़ने के लिये समय, असमय नाना प्रकार के उत्तेजक भाषण दिये जाते हैं? क्या यह सही नहीं है कि इस सदन के अन्दर भी ऐसी बातों की चर्चा की जाती है जिससे इस सदन की मर्यादा गिरती है ? इसके कई उदाहरण मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर सकता हूं । एक पुस्तक का हवाला दिया कि मंत्रियों को और उच्च अधिकारियों को ऊंचा आदर्श रखना चाहिये यदि अपराधों पर काबू पाना है । मैं उनसे आशा करता था कि वह यह भी कहेंगे कि उधर के बैठने वाले माननीय कमलासिंह तथा उनके साथी इस प्रकार का आचरण प्रदर्शित करेंगे जिससे समाज में तरुण युवक, जो आपसे अच्छे आचरण की आशा करता है, वह कोई स्वस्थ विचार ग्रहण कर सकता है । किन्तु आज ही प्रदेश में जो स्थिति विद्यमान है, आज अध्यापकों ने एक मांग प्रस्तुत की, उस परिस्थिति में हम यह आशा करते थे कि इस राज्य में अमनो अमान कायम

[श्री रामायणराय]

करने में हमारे माननीय सदस्यों का सहयोग मिलेगा। मुझे हैरानी हुई उस दिन जब अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत हुआ था और उस अनुदान की सूची में एक आइटम था कि जो पी० ए० सी० के जवान आज सीमा पर प्रहरी का काम कर रहे हैं उनके बच्चों के लिये कुछ स्कालर्शिप की शक्ल में पैसा देने का प्रावीजन था। ऐसे आइटम का भी विरोध किया जाता है और कहा जाता है कि मंत्री जी अपने भाई, भतीजे के लिये यह रख रहे हैं। आलोचना केवल आलोचना के लिये यदि श्रीमन्, की जाय तो वह ठीक नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

(श्री केशरीप्रसाद पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, अभी काफी समय है। एक आध माननीय सदस्य को और बोलने को आप मौका दे दें।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

अभी तो श्रीमन्, समय है और अगर आप हमारी पार्टी को समय नहीं देते तो हम आपके रवैये के विरोध में ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, माननीय मुल्तान सिंह को ५ मिनट का अवसर दे दें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, मेरे १५ मिनट के समय में से इनको दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है।

*श्री मुल्तानसिंह (जिला आगरा)—

श्रीमन्, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं। कल से जो चर्चा पुलिस अनुदान पर जारी है उसको मैं ध्यान से सुनता रहा। ज्यादातर चर्चा करने वालों ने पुलिस को और गृह मंत्री को बेईमान ठहराया है। मैं समझता हूं कि जितना पुलिस को बेईमान और गैर-जिम्मेदार ठहराया है उतनी पुलिस है नहीं, बल्कि गृह मंत्री की वजह से तथा मौजूदा सरकार के कारण पुलिस का रिश्वत लेना जारी है। इसकी दो वजहें हैं। पहली तो अपने दल को मजबूत बनाना और दूसरे यह कि दूसरों को कुचलना तथा कांग्रेस को जिन्दा रखना। जिस प्रकार चाइना में च्यांगकाई शेक ने किया था, ऐसा ही यह सरकार कर रही है। परिणाम यह होगा कि सरकार उसकी तरह अपनी मौत बुला लेगी।

श्री अधिष्ठाता—

आप भाषण दें, पढ़ें नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुल्तानसिंह—

चाइना को हम रोक सकते हैं, लेकिन पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार तथा कुनबापरस्ती इस समय चल रही है उसकी वजह से जनता पीड़ित है। हर जगह रिश्वत का बाजार गरम है। पुलिस विभाग में ही रिश्वत नहीं ली जाती है बल्कि सरकार का हर विभाग रिश्वत लेता है। मिसाल के तौर पर न्याय विभाग में ऐसी कोई अदालत नहीं है जहां चपरासी से लेकर मैजिस्ट्रेट तक रिश्वत न लेता हो। कोई थाना ऐसा नहीं है जहां रिश्वत न चलती हो। प्लानिंग में कोई ऐसा ब्लाक नहीं है जिसमें ५ से २५ प्रतिशत तक रिश्वत न ली जाती हो।

(इस समय १ बजकर ५४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ कराया जा रहा है वह मंत्री और यह सरकार कराती है। इसमें अधिकारियों का दोष नहीं है। जो कुछ जुल्म कराये जा रहे हैं यह सब सरकार खुद करा रही है। और यह सब अपने को कायम रखने के लिये तथा अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैं अपने यहां की मिसाल देता हूं। थाना जलेसर के ऊंवा गांव में एक पन्नो अहीर के लड़के को शिवप्रसाद नामक बनिये ने गोली मार दी। उसकी नामजद रिपोर्ट लिखायी गयी, लेकिन पुलिस ने उसको चालान नहीं किया, बल्कि जिसका लड़का मारा गया था उसी को उल्टे १०७/११७ में बन्द कर दिया गया और उसकी चक्की में आग लगा दी गयी। इतना ही नहीं किया गया, बल्कि उसकी लड़की को गुंडों से उठवा दिया गया। मैंने इस बारे में सवाल भी किया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया।

दूसरी मिसाल फिरोजाबाद की है। एक ठाकुर मोहनसिंह, ब्लाक प्रमुख कोटली, थाना नारकीय के हैं। डकैती की रिपोर्ट किसी के नाम से नहीं हुई, तीन दिन बाद वहां के नेताओं ने रिपोर्ट लिखायी कि मोहनसिंह का नाम लिखा दिया जाय। दरोगा ने जांच की। उसने लिखा कि वह इसमें नहीं है। डिप्टी ने भी यही लिखा। उसके बाद यहां के नेताओं द्वारा आर० जी० गोपाल को भेजकर मोहनसिंह का चालान कराया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया और अपनी राय का इजहार किया। श्रीमन्, मैं बड़े गौर से इधर के और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों के भाषण सुनता रहा। उधर के सदस्यों ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। केवल एक बात कह कर उस बात को हल्का कर दिया कि व्यक्तिगत रंजिश के कारण मैं यह सब कह रहा हूं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरी श्री हरगोविन्दसिंह से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। माननीय हरगोविन्दसिंह ने हर सार्वजनिक मामले को व्यक्तिगत बना रखा है, और इतना ही नहीं इस स्टेट में उन्होंने एक समानान्तर पुलिस संगठन का निर्माण कर रखा है जिसके वे स्वयं प्रमुख हैं। वह समानान्तर संगठन थानेदार पर हावी रहता है, एस० पी० पर हावी रहता है और बहुत कुछ मानों में डी० आई० जी० और आई० जी० तक पर भी हावी रहता है और हावी रहने की कोशिश करता है। उसके द्वारा मंत्री जी स्टेट विधिन स्टेट बनाये हुये हैं और बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन इसका प्रतिफल किस को भोगना पड़ेगा यह नहीं कहा जा सकता। माननीय रामायणराय जी जब इधर बैठते थे तो वह मुझ से सख्त बात कहा करते थे लेकिन मुझे अफसोस है कि अब वह मर्ज की सही तशखीस नहीं कर पाते हैं। आज मंत्री जी का पूरा विभाग और मंत्री जी स्वयं त्रिदोष से पीड़ित हैं। उनका वात, पित्त और कफ बिगड़ गया है और उसका असर उन पर ज्यादा मालूम पड़ता है क्योंकि वह अनर्गल प्रलाप किया करते हैं। यह बात दूसरी है कि कभी-कभी उसमें भी कोई अच्छी चीज निकल आती है। यह सारा प्रदर्शन प्रमुख स्थान से हो रहा है और उसकी सारी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

प्रमुख पर ही है और वह व्यक्ति अगर कोई है तो वह यहां का गृह मंत्री है जो इस त्रिदोष से पीड़ित है । इसलिये उनका इलाज जरूरी है, उनके मर्ज का निदान जरूरी है । यह अनर्गल प्रलाप, यह बदमाशियां, यह हरकतें और यह खुराफात जो सब हो रहीं हैं उस की जड़ में क्या है ? उसकी जड़ में यह गृह मंत्री ठाकुर हरगोविन्दसिंह हैं । इसीलिये मजबूर होकर सही मर्ज का सही निदान ठीक से हो जाय; मुझे गृह मंत्री जी के विषय में यह बातें कहनी पड़ीं कि किस तरह से उन्होंने सारी चीजों को व्यक्तिगत बना रखा है ।

आपने मुझे, श्रीमन्, पहले बुलवा कर मुझे उस मौके से महरूम कर दिया कि श्री हरगोविन्दसिंह जी जो बात कहते उसका मैं उत्तर देता । जो कुछ मैंने कहा है अगर उसका एक भी अंश तथ्यतः वह काट दें तो मैं यहां से स्तीफा दे दूंगा, वर्ना वह यहां से स्तीफा दे दें । वह जनता से चुनकर नहीं आये हैं । एक बार उनको टिकट ही नहीं मिला और दूसरी बार वह हार गये । वहां की जनता ने स्पष्ट अपना फैसला दिया है कि यह आदमी हमारे योग्य नहीं है । सन् १९६२ में हमने उनको शिकस्त दी और अगर वह फिर खड़े होने की जुर्रत करेंगे तो फिर उनको शिकस्त दी जायगी । मैं कहना चाहता हूं कि ठाकुर हरगोविन्दसिंह जी की व्यक्तिगत हैसियत अलग नहीं हैं । मैंने व्यक्तिगत तौर पर अभी उनको नहीं छुआ है अगर छुऊं तो बदबू करने लगेंगे, वह पोस्टमार्टम का सीन होगा, सड़ी लाश जब काटी जाती है तो उसकी बदबू फैलती है । यह वही लाश है जिसके पास जाने से घृणा होती है ।

दूसरी तरफ मेरी निगाह इन अफसरों पर भी है, इन गला लंगोटधारी अफसरों की हालत कुछ कहने लायक नहीं है, जो अपने को जनता का सेवक कहते हैं ।

श्री रामायणराय—

मेरा श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है कि दीर्घाओं की तरफ संकेत करके कोई माननीय सदस्य बोल सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं बोल सकते ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं आप से कह रहा था कि यह बड़े-बड़े अधिकारी जो हैं उनके करप्शन के जो नमूने हैं वह सब पर अयां है । थानेदार से लेकर आई० जी० तक सब का रुपया बंधा हुआ है । हजारों रुपये पर थाने बिकते हैं, दो-दो हजार और तीन-तीन हजार पर वह बिकते हैं और अकेला थानेदार ही इस रुपये में शामिल नहीं होता है । यह रुपया एस० पी०, डी० आई० जी० और आई० जी० सबके यहां जाता है । इन बड़े-बड़े अधिकारियों की बड़ी-बड़ी कम्पनियों से सांठगांठ होती है और यहां तक कि जो ट्रक्स खराब हैं, बुरी हालत में हैं, वजन ज्यादा लादती हैं, उनकी कोई चेकिंग नहीं करते, इसके लिये एकमुश्त रुपया उनके घर पहुंच जाता है । यह जबरदस्त भ्रष्टाचार के उनके हथकंडे हैं जिनका इस्तेमाल वह मंत्री जी की आंख बचाकर उनके द्वारा कराये गये गलत कामों के बदले में किया करते हैं और अपना मतलब पूरा किया करते हैं ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

आपकी नजर में कोई ईमानदार भी है ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

हां है । श्री योगेंद्रसिंह, दारोगा, जिसके खिलाफ माननीय मंत्री जी ने नाजायज हरकत की है । वह एक ईमानदार व्यक्ति है और उनके बारे में हमेशा इस सदन में कहा गया है ।

दूसरी चीज में यह कहना चाहूंगा कि पुलिस के अनुदान पर बहस करते हुये जब मैंने अपनी बात खत्म की, उसके थोड़ी देर बाद धीरे से माननीय मंत्री जी गये और वहां पर शान्ति-प्रसाद जी को, जो आई० जी० हैं, और उनके साथ एक और सज्जन थे जो काला कोट पहने थे, उनको मेरा नाम लिखवाया और क्या-क्या कहा यह मैं नहीं कह सकता हूं। ऐसी ही यह हरकतें उनकी हैं।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

आप डरते हैं ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

डरता नहीं हूं। मेरी उनकी मुलाकात ज्यादा दिन की है और मैं उनकी एक-एक हरकत से वाकिफ हूं। मेरे जैसा आदमी, जिसकी स्थिति उनके मुकाबिले में अच्छी नहीं हो सकती है, हर समय उनका मुकाबला किया करता है और इन्होंने सदा मुंह की खायी है।

एक बात और कही गयी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप शोर क्यों मचाते हैं ?

श्री जसरामसिंह--

आपका नाम ही लिखा है या थाने में रिपोर्ट लिखी है ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

तीसरी बात, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सीतापुर के एस०पी० की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां के एस०पी० पोलिटिकल सफरर भी हैं, जिन्होंने देश की आजादी में भाग लिया है। वे एक ईमानदार व्यक्ति हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह--

वे झूठ कहते हैं कि वे पोलिटिकल सफरर हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मैं नहीं जानता कि वे झूठे हैं या आप झूठे हैं। आप भी जब जेल में थे तो वहां पर माफी मांगते थे और माफी मांगकर बाहर आये। आप जैसा गया गुजरा आदमी इस प्रदेश में है नहीं। श्रीमन्, उस आदमी को इन्होंने अपने कुछ गुंडों के जरिये परेशान किया और उनकी बातों में आकर कच्चे कान के होने के कारण उनका तबादला कर दिया। वहां का जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अध्यक्ष है वह हजारों रुपया सुरक्षा कोष का खा गया है।

चौथा किस्सा बांदा का है। वहां पर गौतम नाम का एक व्यक्ति है जो ६० हजार रुपया इन्कम टैक्स देता है। उनकी दुश्मनी श्री भगवत सिंह से है। ये आपके नये रिश्तेदार हैं जहां इन्होंने अपनी लड़की की शादी की है। वे ठेकेदार हैं। उस व्यक्ति को इन्होंने प्रिवेंटिव डिटेन्शन ऐक्ट में बन्द कर रखा है। उसकी सही जानकारी उधर के बैठे हुये कांग्रेसी लोगों से की गयी, लेकिन, जैसा मिश्र जी ने कहा, इनके डंडे मजबूत हैं। वह बेचारा आज भी सड़ रहा है। इनके रवैये से स्वयं पुलिस पीड़ित है, इनकी हरकतों से परेशान है।

पांचवी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके थानों में जो हरकतें होती हैं, उसके बारे में तो जिक्र बहुत लोगों ने किया है, लेकिन मैं एक बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

करना चाहता हूं कि जब अभियुक्त 'लाक अप' में रखा जाता है तो वह मजबूर हो जाता है, उसकी आजादी छिन जाती है। उस समय उसे भोजन नहीं दिया जाता है, यद्यपि वह चार्ज कर लिया जाता है। श्रीमन्, मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि आप इस चीज पर भी ध्यान रखें। यदि ऐसी चीज होती है तो उसे खत्म करने की कोशिश करें।

छठीं चीज में यह कहना चाहूंगा कि फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो की स्थिति दयनीय है। उसके डायरेक्टर साहब इंडिपेन्डेन्ट और बड़े ईमानदार थे। यहां के आई० जी० को कुछ उनसे परेशानी हुई और उन्होंने सोचा कि इनको हटाना चाहिये इसलिये वह स्कीम ही खत्म हो गई, यानी न मरीज रहा न मर्ज रहा। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी जांच-पड़ताल करायें और उनमें यदि कोई तथ्य हो तो फिर उसे कायम करने की कोशिश करें।

श्रीमन्, एक बात और कह कर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। एक सज्जन ने अभी परशुराम जी का हवाला दिया था। वह इस समय शायद नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि परशुरामी तरीके से बात कही गई। मैं कहना चाहता हूं कि परशुराम का नाम इस देश में बड़ी प्रतिष्ठा का नाम है और मुझे गौरव है कि मैं उस वंश का हूं। परशुराम जी ने इन अन्यायियों और अत्याचारियों के खिलाफ २१ बार जद्दोजहद किया और प्रतिफल में प्राप्त पृथ्वी को जन-साधारण में बांट दिया था यह उनकी समाजवादी भूमिका थी। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई, जिसकी महात्मा गांधी जी ने दुहाई दी। उनके वंश में होने का मुझे गौरव है। राम का कण कण मेरे शरीर में व्याप्त है और अयोध्यावासी प्रत्येक प्राणी के सन्मुख मैं नत-मस्तक होता हूं, इसलिये कि वह राम के नगर का रहने वाला है। लेकिन यदि कोई कहे कि वाणासुर या बकासुर के समक्ष नत-मस्तक हो तो मैं कभी नहीं हो सकता हूं। मैं इन शब्दों के साथ अपने साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, आज दो दिन से जो वाद विवाद इस महत्वपूर्ण अनुदान के संबंध में इस भवन में हुआ उसको मैंने बड़ी शान्ति और उत्सुकता से और धैर्य से सुना और इस समय जब इसका उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ हूं तो मेरे सामने यह प्रश्न अवश्य है कि मैं जाति जन्म क्रिमिनल हूं, जैसा कि कल माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जन्मजात कहा था, यह उनकी बात गलत है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात कल की है। आपको बीच में नहीं बोलना चाहिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, उत्तर देते समय मुझे ध्यान भी है और रहेगा भी और एक जरूर अपने मित्र केशरीप्रसाद पांडेय जी से विनती करूंगा और वह होगी यह कि जो रामायण लिखते समय तुलसीदास जी ने की थी। उन्होंने जिनका स्मरण किया था वह लोग कौन थे, बतलाने की आवश्यकता नहीं है (व्यवधान) जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक उसको कृपया सुनें श्रीमन्। संसदीय प्रजातन्त्र में यह निर्विवाद सत्य है और तभी बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ यह कहते हैं कि संसदीय राजपद्धति प्रणाली सबसे कमजोर है और इसी कारण यदि हम इतिहास भी देखते हैं तो यह देखते हैं कि दुनियां से धीरे धीरे यह लुप्त हो रही है। हमने एक प्रयोग किया था, एक बड़ा अद्वितीय प्रयोग किया था श्रीमन्। हमारे देश के नेताओं ने यह प्रयोग किया यह मानते हुये, यह जानते हुये कि यह एक बड़ी कमजोर किस्म की राज पद्धति है और दुनियां से धीरे धीरे उठती जा रही है, लोग इसकी कमजोरी महसूस करते

जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इस विश्वास के साथ इसको अपनाया कि इधर और उधर के बैठने वाले लोगों में परस्पर सहयोग और सद्भावना के कारण यह सफल होगी। लेकिन जो प्रवृत्ति नजर आ रही है, अगर इस संसदीय प्रणाली में श्रीमन्, सयंम न हुआ, सहृदयता से बात न हुई, अनुशासन न हुआ तो यह राजनीति गुण्डा नीति हो जायगी।

इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है, पुलिस का एक बजट था, निसन्देह इसमें किसी को कोई इन्कार नहीं हो सकता कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विभाग है। दुनियां का कोई देश ऐसा नहीं है श्रीमन्, चाहे राजपद्धति उसने जो भी अपनाई हो, चाहे वह प्रजातन्त्र हो, चाहे फासिस्टवाद, चाहे साम्यवाद हो, चाहे यह बेसिक डेमोक्रेसी जो नयी चली है, वह हो, लेकिन सभी देशों में यह एक महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। और जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि इस विभाग का उत्तरदायित्व है कि जहां तक संभव हो सके, लोगों की रक्षा करे जिसमें वह कुछ अपने सुख का अनुभव कर सकें। किन्तु इस महत्वपूर्ण अनुदान पर जिस प्रकार से यहां कल इसका प्रारम्भ केशरीप्रसाद पांडेय जी ने किया वह हमारे लिये एक बड़े आश्चर्य, दुख और चिन्ता की बात है। मैं और वह एक ही जिले के रहने वाले हैं। कांग्रेस में शायद हमारा और उनका जन्म भी एक ही साथ हुआ और यह मैं जरूर समझता था कि पहले बड़ा मीठा बोलने वाले भी यह थे। लेकिन इधर बहुत दिनों से जब-जब एलेक्सन हुआ तब-तब यह लड़ते रहे, इस दफा उनके हाथ बटेर आ गई, इसलिये बड़े कटु भाषी हो गये। इसलिये एक गलत बात उन्होंने यहां कह दी कि उनको हमसे कोई शिकायत नहीं है। वह शिकायत वह शायद जानकर भुला रहे हैं और इसलिये मुझे आप श्रीमन्, क्षमा करेंगे, मैं यह महसूस कर रहा हूं कि मैं उस स्तर पर जा रहा हूं जिस पर वह गये। फिर भी, वह गये इसलिये मैं भी जा रहा हूं जिससे कि माननीय सदस्यों को मालूम जाये कि सचमुच में जिन शब्दों में उन्होंने हमारा चित्रण किया है, उनका चित्रण उससे ऊंचा ही है। श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस में हमारा और उनका जन्म साथ ही हुआ। लेकिन श्रीमन्, मैं दावे से कह सकता हूं कि पोलिटिकल सफरर्स में जितने लाभ किसी को मिल सकते हैं वह सब केशरीप्रसाद पांडेय जी को मिले, बावजूद इसके कि जेल का दरवाजा उन्होंने नहीं देखा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

झूठ बोलते हैं। मुझको कोई लाभ नहीं हुआ। इसके लड़के ने १ लाख रुपया लिया। बेईमान हैं और झूठा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सुनिये, शान्ति से उनको सुन लीजिये :

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

इनके दामाद और बहनोई सभी ने सारे लाभ कमाये। (व्यवधान) यह कम्यूनिस्ट थे, इन्होंने क्या कुर्बानी की है? ये भीख मांगते थे।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने तो बड़ी शान्ति से और बिला रुख बदले हुये हंसते-हंसते सुना और आपने मेरी सड़ी लाश को उनके शब्दों में आज जिन्दा होते हुये भी देखा, लेकिन वह मेरी बात भी नहीं सुन सकते यह मेरी समझ में नहीं आया। हां, एक गलती मुझ से हो गयी श्रीमन्, वह यह है कि सन् १९४६ में जब पंडित केशवदेव मालवीय यहां विकास मंत्री थे तो उनसे इन्होंने १० हजार रुपये तेलघानी के लिये लिया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

झूठ है। मैं इस १० हजार वाली बात पर इनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न लाऊंगा। यह झूठ बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

पांडेय जी, आप बैठिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, उनकी ओर से यह हुआ। यह गलती हो सकती है कि १० हजार से वह रकम कुछ कम हो या ज्यादा। जब केशवदेव जी यहां से इस्तीफा देकर के गये और उनकी जगह मैं उद्योग मंत्री हुआ तो एक रोज जौनपुर में सड़क पर घूमते हुये मैंने यह देखा कि एक स्थान पर एक मड़ई खड़ी कर दी गयी और वहां एक कोल्हू भी लगा दिया गया। तो मैंने एक साहब से पूछा कि मैं तो रोज इस सड़क से घूमता था यह जो यहां कोल्हू और मड़ई है आज यहां कहां से आ गयी। तो मालूम हुआ कि हमारे मित्र के चले जाने के बाद केशरी प्रसाद पांडेय जी को यह डर हुआ कि मैं इसकी जांच करूंगा इसलिये वहां मंडवा और कोल्हू आ गया। मैंने इसकी जांच की और इस बात का प्रयत्न भी किया कि वह रुपया वसूल हो। उनसे वसूली का नतीजा यह हुआ, श्रीमन् मैं आपसे क्षमा मांगता जाऊंगा कि मैं बड़े नीचे स्तर की बात कह रहा हूं, केशरी प्रसाद पांडेय जी के कोई घर नहीं है, इनके घर पर कोई जमीन नहीं है, इनका पेशा राजनीति है और सरकारी अनुदान है जरियामाश। उसके बाद श्रीमन्, मैं शिक्षा मंत्री हो गया, मुझसे कोई मतलब भी नहीं रहा। उसके बाद फिर थोड़े दिन मंत्री हुआ और उद्योग मेरे पास आ गया। मैंने फिर उसकी छानबीन की।

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है। इसका पुलिस के अनुदान से क्या संबंध है? आप पुलिस विभाग के विषय में सफाई दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, वह कह सकते हैं। जो कल हुआ उसके बारे में वह यहां जवाब दे सकते हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह—

तो श्रीमन्, मैंने यह जरूर लिख दिया, और वह फाइल पर मौजूद होगा, कि अभी तो केशरी-प्रसाद पांडेय जी को २०० रुपया जो मिलता है उसके साथ सिविल प्रोसीजर कोड की धारा नहीं लगानी चाहिये क्योंकि यह तनख्वाह नहीं है जिससे रुपया वसूल हो सकता हो। बस इतना ही मेरा कसूर था। इसके अलावा और कोई कसूर नहीं था। मैं सोच रहा था कि आखिर पुलिस के अनुदान पर, कल जो मैंने एजेन्डा देखा तो बड़ा खुश हुआ, कि शारदाभक्त सिंह जी का पहला कटौती का प्रस्ताव है। मैं उनके प्रति बड़ा आदर रखता हूं और यह समझता हूं कि बावजूद इसके कि हमारे और उनके दल भिन्न हैं, बहुत सी चीजों में हमारे और उनके बीच मतभेद है, लेकिन मैं इस बात का कायल हूं कि उनमें बचपन नहीं है, गंभीरता और सज्जनता है.....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या उन्नाव में आपने २५० बीघा जमीन किसानों की नहीं हड़पी? और.....(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

पांडेय जी, देखिये बीच में खड़े होकर आप इस तरह से लेक्चर न दीजिये।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय केशरीप्रसाद पांडेय जी ने जो बात कही वह इस सदन के सदस्य होने के नाते से कही। माननीय मंत्री जी पुलिस के मंत्री हैं। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जब वह पुलिस के अनुदान पर बोल रहे हैं तो उनको यह बतलाना चाहिये कि पुलिस क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। इन सब बातों को छोड़कर व्यक्तिगत बातों पर जाना कहां तक उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था यह है कि जब पांडेय जी ने उन बातों को कहा तो वह उनका जवाब दे रहे हैं। किस वजह से वह नाखुश हैं वह इन सब बातों को कह रहे हैं। यह कोई बेजा बात नहीं है। मेरा एक निवेदन है कि जिस तरह से उस तरफ के लोगों ने आपकी बात सुनी, आप भी उसी तरह से सुनें। बीच-बीच में कोई बाधा न डालें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि क्या यह माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि उन्होंने देहरादून में २ १/२ मील का जंगल ढाई लाख रुपये का घूस लेकर नहीं बेच दिया ? (शोर) उन्नाव में २५० बीघा जमीन किसानों की जब इन्होंने हड़पी तो किसानों ने क्या इनका ट्रैक्टर नहीं तोड़ा और वहां से नहीं भगाया ? (शोर) रऊफ जाफरी साहब से फर्जी पट्टा लिखाकर एम०एल०सी० हुये और उनको यह पट्टा फिर वापस नहीं किया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जाइये। आप इस तरह से बिना आज्ञा के नहीं बोल सकते हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जब मैंने कल एजेन्डा देखा तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि शान्ति से एक महत्वपूर्ण अनुदान पर आलोचना के साथ अच्छे सुझाव आयेंगे, लेकिन ज्योंही मैंने अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया तो शारदाभक्तसिंह जी तो अपनी जगह पर बैठे रहे और शायद इस कारण से जब यहां अविश्वास का प्रस्ताव हुआ था तो जिस दल के केशरी पांडेय जी हैं उसके महारथी लोग उस रोज मेरे भाषण से घायल हो गये थे, लिहाजा उन्होंने चूंकि यह समझा था कि उनके दल में ऐसा और कोई व्यक्ति नहीं है जो इतने नीचे स्तर पर जाकर भवन की मर्यादा का मर्दन कर सकता है, इसलिये उन्होंने इनको खड़ा कर दिया।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, क्या तमाम नीचे के स्तर के लोग जौनपुर में ही हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये, आप बलिया का स्तर कम से कम ऊंचा रखिये। मंत्री जी, कृपया आप विषय पर आयें, इन बातों में न पड़ें।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, जब आपकी कुर्सी पर माननीय स्पीकर जी बैठे हुये थे तब उन्होंने इसको ठीक ही समझा था और इसलिये मैं भी उसका जवाब दे रहा हूं और आप से आशा करता हूं कि आप भी ठीक ही समझेंगे। तो एक बड़े मर्मी स्थान पर मैंने चोट की थी। कल की बात तो कल थी, मैं बतला भी नहीं पाया था। आज जो वाद-विवाद हुआ उसका उत्तर देते हुये भी उनको इस सदन में और

[श्री हरगोविन्दसिंह]

कोई दिखलाई नहीं पड़ा, सिवाय हरगोविन्द सिंह के। तो मैंने क्या किया? चाहे इधर के लोग हों, चाहे उधर के लोग, श्रीमन्, संसदीय पद्धति में दोनों की जिम्मेदारी बराबर है। जब तक दोनों का सहयोग नहीं होगा संसदीय राज्य प्रणाली नहीं चल सकती। मैं तो अपना सौभाग्य समझता था कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देश की लड़ाई में कुछ अपना भी थोड़ा बलिदान दूं और इसमें सौभाग्य समझता था कि उसके पूर्ण निर्माण में मैं भी कुछ कार्य करूं। लेकिन अगर इसका शुभारंभ केशरी पांडेय से होगा तो उसमें फासिस्टवादी होगा, कम्यूनिज्म होगा, या क्या होगा, कोई कुछ कह नहीं सकता।

मैंने क्या किया? मैं सुन रहा था। उधर के और इधर के प्रत्येक माननीय सदस्य ने भूरि-भूरि प्रशंसा सी० आई० डी० की की। केशरी पांडेय जी को बड़ा बुरा लगा कि मैंने एक मुकदमा सी० आई० डी० को दे दिया। वह इसलिये कि पहले वह अकेले ही थे, दल वाले नहीं थे। मैं माननीय नेता विरोधी दल से कहना चाहता हूं कि जब वह इलेक्शन जीते थे, इसकी जनसंघ वाले भी ताईद कर देंगे कि होली के दिन प्रहसन होता है जब उस इलेक्शन के बाद प्रहसन हुआ तो मेरे मकान के सामने, यानी दरिया के इधर मेरा मकान है और दरिया के उस पार.....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

इनका मकान कहां था, वह तो राममूर्ति....

श्री हरगोविन्दसिंह—

मेरा मकान इस माने में कि मैं उसमें रहता हूं, मेरा मकान वहां था। वहां प्रहसन हो रहा था, एक आदमी ने कहा कि बताओ रात को जनसंघी और दिन को प्रसोपा कौन? तो एक ने कहा केशरी पांडेय। आप इसकी जांच करा लीजिये।

श्रीमन्, मेरी आदत नहीं है कुछ छिपाने की। मैं जो करता हूं वही कहता हूं। यह कहा कि मैं ऐसी जाति से पैदा हुआ हूं। उसकी कुछ परम्परायें हैं जिनकी वजह से मैं जो करता हूं वह कह देता हूं और जो कहता हूं उसे करने की कोशिश भी करता हूं। हमारे सामने नैनीताल में हमारी एन्टीकरप्शन कमेटी के चेयरमैन पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपके एक दोस्त ने एक आदमी के ऊपर तेजाब फेंका है और फंसाया किसी दूसरे आदमी को है। वह हमारे कांग्रेस वाले हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं इतनी मदद कर सकता हूं कि इस मामले को सी० आई० डी० को दे सकता हूं। यह मैंने बड़ा भारी पाप कर लिया अगर यह कह दिया तो। (व्यवधान)

एक सदस्य—

यह किसके दोस्त थे?

श्री हरगोविन्दसिंह—

आपके। (व्यवधान) अच्छा आपके दोस्त न सही, आप उनके वकील सही। यह मैंने किया। इस पर आपने यह आक्षेप लगाया कि मैं हर एक मामले को जिनमें मुझे संदेह होता है सी० आई० डी० को दे देता हूं। (व्यवधान)

अब सुनिये। जोगेन्द्रसिंह हमारे रिश्तेदार हैं। क्या रिश्तेदारी हैं, यह भी सुनिये। रिश्तेदारी यह है कि हमारे दामाद का सगा भाई जो है उसके साले की शादी जोगेन्द्र सिंह के घर में हुई है, एक नहीं दो-दो हुई हैं। हमारे रिश्तेदार, श्रीमन्, रामसूरत भी हैं। उनकी रिश्तेदारी भी सुन लीजिये। हमारे ग्रेट ग्रान्ड फादर ८ भाई थे और उन्हीं की औलाद सारे गांव भर में है जिसमें कि हम लोग करीब १ हजार आदमी इस वक्त होंगे। हमारे ग्रान्ड फादर ६ भाई थे और उन ६ भाइयों में से एक भाई के ग्रान्ड सन् की डाटर ग्रान्ड मदर हैं रामसूरत सिंह की। यह हमारी रिश्तेदारी है। यह आक्षेप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मैंने जोगेन्द्र सिंह को फंसा

दिया, किसलिये कि एक रिश्तेदार को बचाने के लिये। तो दोनों रिश्ते मैंने श्रीमन्, भवन के माननीय सदस्यों के सम्मुख रख दिये, वह खुद देखें कि कौन-सा रिश्ता नजदीक था, जोगेन्द्र-सिंह वाला रिश्ता नजदीक था, या रामसूरतसिंह वाला नजदीक था।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

और भी रिश्तेदारी हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह—

हां, और भी हैं, [×××] और भी रिश्तेदारियां हैं, लड़कियां होती हैं, तो रिश्तेदारियां बढ़ती ही हैं। (व्यवधान)

[× × ×]

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है (शोर) व्यवस्था का प्रश्न यह है, [×××] दूसरी बात यह है कि हम सब लोग यहां बैठे हुए हैं, ऊंचे अधिकारी बैठे हुए हैं, तो यह जौनपुर की चोंचलेबाजी सुनने के लिये नहीं बैठे हुए हैं। अगर स्पीकर महोदय ने या चेयर ने एलाऊ किया माननीय केशरीप्रसाद पांडेय जी को, वह भी गलत हुआ है (व्यवधान) और आज भी गलत हो रहा है। हम इसको सुनने के लिए नहीं आये हैं··· (शोर)

श्री हरगोविन्दसिंह—

कल श्रीमन्, बड़ा अच्छा लग रहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

झारखंडे राय जी ने जो यह बात कही कि हम जौनपुर की बात नहीं सुनना चाहते, तो जब केशरीप्रसाद पान्डेय जी कह रहे थे, उस वक्त कहना चाहिये था उनको। उन्होंने उस वक्त नहीं कहा, तो जो पांडेय जी ने बातें कही हैं, उनका जवाब देने के लिये मंत्री जी को पूरा अधिकार है, वह जवाब दे रहे हैं, सुनिये शांति से।

श्री झारखण्डेराय—

मैं यह कहना चाहता हूं ठाकुर साहब से बाअदब, जैसा मैंने अभी कहा है, उन्होंने सुना नहीं, कि अगर चेयर ने केशरीप्रसाद पांडेय जी को एलाऊ किया है, ऐसी पर्सनल बातों को कहने के लिये, तो यह गलत हुआ और यह भी गलत हो रहा है, यह मैं कहता हूं। मैं यह बातें सुनने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, या तो हरगोविंद सिंह जी से यह बातें कहना छोड़वा दें, नहीं तो यह सदन नहीं चलेगा और हल्ला होगा। यह नहीं हो सकता··· (शोर)।

[×××] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

राधेश्याम जी, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

हरगोविंदसिंह जी से यह कहें ... (शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, आप बैठिये कृपा करके ... (शोर)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हरगोविंदसिंह सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने गालियां दी हैं। माननीय केशरीप्रसाद जी को गालियां दी हैं ... (शोर) आपको निकालना हो निकाल दीजिये। लेकिन वे एक सरकार के मंत्री हैं, यह इनको शोभा नहीं देता है.... (शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । (शोर)

श्री उग्रसेन--

हम नहीं बैठेंगे । यह बदतमीजी हम नहीं सुनेंगे । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, बैठ जाइये या सदन छोड़िये । आप बैठ जाइये या सदन छोड़िये ।

श्री उग्रसेन--

हम नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं उग्रसेन जी को इंगित करता हूं ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री उग्रसेन को एक हफ्ते के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री उग्रसेन को एक हफ्ते के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री उग्रसेन से) कृपा करके आप सदन छोड़ दीजिये ।

(श्री उग्रसेन के सदन न छोड़ने पर श्री उपाध्यक्ष ने मार्शल को आदेश दिया कि श्री उग्रसेन को सदन से बाहर जाने में सहायता दें ।)

श्री उग्रसेन--

हम नहीं छोड़ेंगे, हम मां-बहन की गालियां नहीं सुनेंगे । यह जनतंत्र नहीं है, हम सदन नहीं त्यागेंगे (मार्शल के नजदीक पहुंचने पर), जी नहीं, उपाध्यक्ष का आदेश हम नहीं मानते ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं, वह उतनी बात काट दीजिये . . . (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, यह बात ठीक नहीं है। यह कोई तरीका है, बताइये ?

(मार्शल की प्रार्थना पर भी श्री उग्रसेन ने सदन नहीं छोड़ा। तब श्री उपाध्यक्ष ने मार्शल को कौंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री उग्रसेन को बाहर ले जाने की आज्ञा दी।)

श्री शारदाभक्तसिंह—

अभी आप पुलिस न बुलाइये . . . (शोर)

(श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार मार्शल कौंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री उग्रसेन को सदन से बाहर ले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

नेता विरोधी दल क्या कह रहे थे ?

श्री शारदाभक्तसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वह शब्द नहीं सुने, लेकिन अगर ऐसी बात है, तो मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप उसको प्रोसीडिंग से निकलवा दीजिये . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं प्रोसीडिंग देख लूंगा, अगर कोई असंसदीय शब्द होगा, तो वह निकाल दिया जायगा।

श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—

तो यह आपने पहले क्यों नहीं कहा ? आपने यह बात पहले कह दी होती तो यह कोलाहल क्यों मचता ?

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

मेरी एक बात सुन लीजिये। आपने व्यवस्था दे दी है, वह सही है, शिरोधार्य है, बड़ी अच्छी है, लेकिन. . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री शारदाभक्तसिंह—

सुन लीजिये, व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं . . . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्रसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार कर लिया, यह बहुत अच्छा किया। इस व्यवस्था के प्रश्न को आपको पहले ही ले लेना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री राजेन्द्रसिंह---

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने यह व्यवस्था का प्रश्न पहले ही स्वीकार कर लिया होता तो माननीय उग्रसेन जी का निष्कासन न होता। लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो माननीय उग्रसेन जी के निष्कासन पर पुनः विचार कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइये। माननीय गृह मंत्री।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो व्यक्तिगत आक्षेप किया है, उन शब्दों को वे वापस ले लें। उन्होंने गाली दी है। मैंने उनको कोई गाली नहीं दी थी। मेरा पूरा भाषण देख लिया जाय।

श्री हरगोविन्दसिंह---

मैंने कौन-सी गाली दी है ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायं। दोनों भाषणों में जो गालियां होंगी वह निकाल दी जायेंगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

माननीय हरगोविंदसिंह जी ने जो गालियां दी हैं, वे या तो उनको वापस लें या उनके लिये माफी मांगें।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या गाली दी है उन्होंने ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

उन्होंने कहा कि आपके यहां लड़कियां घर में ही रह जाती हैं। उन्होंने इस तरह की जो बात कही वह गाली है।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने कहा कि किसी के घर में लड़की नहीं रह जाती है, उसकी शादी होती है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

आप प्रोसीडिंग्स को देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं देख लूंगा। अगर ये शब्द होंगे तो निकाल दिये जायेंगे। अगर ये शब्द कि आपके घर में भी लड़कियां होती हैं वे घर में थोड़े ही रह जाती हैं, अगर ये शब्द हुये तो नहीं निकाले जायेंगे और अगर ये शब्द हुए कि आप घरों में लड़कियों को रख लेते हैं, तो निकाल दिये जायेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

आप इसको अभी देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

डिबेट के बीच में नहीं देखा जा सकता। डिबेट के बीच में नहीं रोका जा सकता। आप बेकार ही समय को बरबाद कर रहे हैं। आप बैठ जाइये। मेरे ऊपर विश्वास कीजिये, अगर ऐसी बात उसमें होगी तो निकाल दी जायगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। आप उसको एक मिनट में देख लेंगे। आप उनसे उन शब्दों को वापस लिवाइये अथवा उनसे माफी मंगवाइये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं बैठ जाऊंगा। या तो वे माफी मांगें अथवा वापस लें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय हरगोविंदसिंह जी माफी मांगें, क्योंकि उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से गाली दी है। वह उन शब्दों को वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा देता हूं कि या तो आप बैठ जायं या सदन छोड़ें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

आप जरा उसको मंगा कर देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां आपके डिक्टेशन से कुछ नहीं होगा। आप बैठ जाइये या सदन छोड़िये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं बैठता हूं। (बैठकर फिर खड़े हो गये) आप माननीय हरगोविंदसिंह से कहिये कि वह माफी मांगें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप या तो बैठ जायं या सदन को छोड़ दें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं बैठ सकता हूं, लेकिन आप उनसे माफी मंगवायें।

(बैठ गये और पुनः खड़े होकर)

एक मिनट सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, आप बैठिये। ऐसे सदन नहीं चलेगा।

एक सदस्य—

गृह मंत्री का भाषण नहीं होगा।

कुंवर तेजभान सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्, . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये या सदन छोड़िये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मेरा जो मुनासिब कहना है उसे आप सुन लीजिये ।

उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये या सदन छोड़िये ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके वे ऐसा व्यवहार करें जो उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल हो । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जिस प्रकार का भाषण शुरू में दिया माननीय केशरी प्रसाद पांडेय ने, वह उनको नहीं देना चाहिये और अध्यक्ष महोदय को चाहिये था कि उन्हें वहीं रोक देते । लेकिन साथ ही साथ एक गलती दूसरी गलती से ठीक नहीं हो सकती है । माननीय गृह मंत्री को जो कहना था वह भी कहा गया । श्रीमन्, जब मिठास बहुत ज्यादा हो जाती है तो वह भी अप्रिय हो जाती है । जब आलोचना भी एक स्तर से नीचे गिर जाती है तो वह भी प्रभावहीन हो जाती है । अब जो हो चुका सो हो चुका । मैं यही निवेदन करूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी रवैया बदल दें ताकि ठीक तरह से कार्य हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गृह मंत्री इस अपील को ध्यान में रखते हुये बोलेंगे ।

श्री हरगोविन्द सिंह—

श्रीमन्, मैं माननीय भानुप्रताप सिंह जी का बड़ा आभारी हूं और इसलिये मैं माननीय सदस्यों से बारबार क्षमा मांगता रहा यह मानते हुये कि मैं उस स्तर पर जा रहा हूं जिस पर मुझे नहीं जाना चाहिये । लेकिन मैं विवश था, क्योंकि मैं यह भी नहीं चाहता था कि किसी को इसका इतना लाभ मिल जाय कि जो अपनी बात को छिपाकर दूसरों की नजरों में ज्यादा उठ जाय । इसलिये मैंने यह कहा ।

एक बाराबंकी की बात यहां कही गई कि एक व्यक्ति को हमारी पुलिस ने संरक्षण दिया । श्रीमन्, बात ठीक है । श्रीमन्, उस व्यक्ति को न मैंने आज तक देखा न मैं उसको जानता था न मेरा उससे कोई सम्पर्क था । हुआ यह कि एक रोज माननीय सदस्य गुप्तार सिंह हमारे पास आये । उस व्यक्ति को लेकर आये और शायद गुप्तारसिंह के जरिये या उस व्यक्ति के जरिये जिला परिषद् बाराबंकी का एक खत भी ले आये और उसमें उन्होंने यह लिखा कि वह व्यक्ति शायद किसी कत्ल के मुकदमे में फंसा था । उससे वह छूट गया । छूट जाने के बाद बावजूद इसके कि उस गांव में पी० ए० सी० अब तक पड़ी हुई है और उस वक्त भी पड़ी हुई थी, लेकिन दूसरे लोगों ने, जो उसके विपक्षी थे, उन्होंने उसका घर फूंक दिया, उसकी औरतों को बेइज्जत किया और उसकी सब जमीन पर कब्जा कर लिया या कब्जा कर रहे हैं । मैंने उस समय अपने लखनऊ के डी० आई० जी० को फोन पर बुलाया और यह कहा कि मैं इस आदमी को भेज रहा हूं । आप फौरन बाराबंकी जाइये और उस गांव में जाइये और देखिये कि ये सब बातें जो उन्होंने कही हैं और जो महन्त जी ने, जो बाराबंकी जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं, जो लिखा है अगर यह सब सही है तो सरकार के लिये इससे ज्यादा शर्म की बात ही नहीं हो सकती कि एक आदमी अपने घर में रह नहीं पा रहा है । हमारे डी० आई० जी० वहां गये ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

अब व्यक्तिगत बात छोड़ कर और कुछ कहिये ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह व्यक्तिगत बात नहीं है। हमारे डी० आई० जी० ने वहां जाकर मुझ बतलाया। फिर मैंने डी० आई० जी० से कहा कि आप जाइये। वह आदमी आज ४–५ वर्ष से अपना घर छोड़ कर कत्ल के डर के मारे, कि कहीं उसका कत्ल न हो जाय, अपने एक रिश्तेदार के यहां रह रहा है। आप वहां जाकर उसे लाइये और उसे उसके घर में मुकीम कीजिये और उसकी सुरक्षा का प्रबंध कीजिये। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किसी माननीय सदस्य से यह पूछने का हक रखता हूं सिवा माननीय केशरी प्रसाद पांडेय के कि आखिर हमने ऐसी कौन सी इसमें गलती की ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, एक तो मुझे अफसोस है कि जो कल यहां घटना हुई। दूसरी बात यह है कि अभी जब कि मैं गैरहाजिर था, माननीय हरगोविंदसिंह द्वारा यहां कुछ ऐसी बातें कही गयीं...

श्री उपाध्यक्ष—

इसको आप बाद में कहें, जब यह खत्म हो जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

नहीं श्रीमन्, जब मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं और वे मेरे निवेदन को सुनने के लिये तैयार हैं तो आपको जरा हम लोगों की इच्छा का भी ख़याल रखना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो वक्त पर होता है न। आप इसको खत्म हो जाने दीजिये फिर बाद में आप निवेदन कर लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अब तक तो खत्म कर लिये होते। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह बात सही है कि माननीय केशरी प्रसाद जी ने जो कुछ कहा उसका माननीय गृह मंत्री ने व्यक्तिगत आक्षेप से उत्तर दिया। यह कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि यहां कुछ गाली गलौज भी हुई जो सदन के लिये अशोभनीय है। हमारे साथी माननीय उग्रसेन जी ने जब उन शब्दों को वापस लेने के लिये कहा तो भी उनको वापस नहीं लिया गया...

श्री हरगोविन्दसिंह—

आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सुनी सुनाई बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

उस वक्त की बात को इस वक्त आप क्यों उठा रहे हैं? इसको बाद में उठाइयेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जो कुछ यहां हुआ वह सदन के लिये शोभनीय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस ग्रान्ट को हो जाने दीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दूसरों से सुन कर ये सारी बातें कह रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप तो गैरहाजिर थे, यहां थे नहीं। आपको पूरी बात मालूम नहीं है और फिर आप आकर इस तरह से बीच में बोलने लगे। यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। पहले आप इसको खत्म हो जाने दें, फिर आप कुछ कहियेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

बीच में ही आपको सुनना चाहिये। यह क्या तरीका है कि इस तरह से अशोभनीय शब्दों को वापस न लिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय गृहमंत्री द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनको उन्हें वापस लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो थे नहीं, उस बात को न कीजिये। आप कृपया बैठ जायं।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जहां तक वापस लेने की बात है....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं समझता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ यह कार्यवाही हुई है इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री हरगोविन्द सिंह—

मैं समझता हूं कि उस मसले में जो उचित कार्य था वही मैंने किया।

माननीय शराफत हुसैन साहब ने यह कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह कहा कि हमारे यहां के कुछ कांस्टेबिलों ने उनके यहां डकैती की। यह बात सही है। उन कांस्टेबिलों ने केवल वहीं डकैती नहीं की बल्कि यू० पी० में भी डकैती की, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा, पकड़ा हमारी झांसी की पुलिस ने ही उनको, और झांसी की पुलिस ने, वहां के एस० पी० ने पकड़ा। अगर वह उनके ऊपर कार्यवाही करें तो मैं नहीं समझता कि इसका लांछन गृह विभाग पर कैसे आ जाता है ? यह बात सच है कि गृह विभाग के किसी अफसर को चाहे छोटा हो अथवा बड़ा का यह कार्य है तो वह निन्दनीय है। उसके ऊपर यह डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में किसी को गोली नहीं मारी जा सकती। उसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि महात्मा गांधी को मारने वाला व्यक्ति वहीं पकड़ा गया, लेकिन ३ वर्ष के मुकदमें के बाद उसको फांसी की सजा हुई। डेमोक्रेसी में यह होता है कि पहले पकड़िये, फिर जांच करिये और उसके बाद सजा दीजिये। शराफत हुसैन साहब ने जो कहा उससे तो मेरे ऊंचा यह इम्प्रेशन पड़ा कि शायद उनका आक्षेप यह है कि हमारी पुलिस ने उनसे यह कार्य कराया।

उन्होंने एक बात और कही। बहुत से लोग नजरबन्द हैं। अनुचित न हो तो एक बात और कह दूं कि उन नजरबन्दों में भी हमारा एक रिश्तेदार है और नजदीक का रिश्तेदार है। लेकिन उसको वारन्ट द्वारा बन्द करने में मुझे कोई ग्लानि नहीं हुई। देश उस रिश्तेदारी से भी ऊंचा है। अगर उससे यह आशंका हुई कि देश के प्रति एक नागरिक को जो करना चाहिये

वह वैसा नहीं कर रहा है और हमारे पास ऐसा सबूत था तो हमने उसे बन्द कर दिया। इसमें मैं समझता हूं कि न मै दोषी हूं और न किसी से क्षमा-याचना कर सकता हूं। वह आज भी प्रमाण चाहते हैं। इन सब चीजों का यह प्रमाण नहीं है कि जब चीन ने हमारे ऊपर हमला किया तो उसके मुंह से इतनी आवाज न निकले कि चीन आक्रमणकारी है और आज डेमोक्रेसी का फायदा उठा कर वह आदमी यह कहे कि नहीं आप हम पर मुकदमा चलाइये। अगर मुकदमा ही चलाना था तो डी० आई० आर०, प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट और एमर्जेंसी की क्या जरूरत थी? जब तक शासन की बागडोर इधर के लोगों के हाथों में है तब तक अगर हम अपनी जगह मुतमईन हो जाते हैं और समझ लेते हैं कि फलां का बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है तो बिना रु रियायत के जितने दिन तक होगा उसको जेल में रखेंगे। इसमें किसी को कोई सन्देह नहीं रहना चाहिये। इसमें हम किसी से समझौता भी नहीं कर सकते। मैं इतना ही उत्तर इस संबंध में उधर के बैठने वालों को दे सकता हूं।

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)––

ये कम्युनिस्ट सरकार से कब से नाराज हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह––

कम्युनिस्ट ही क्या, हमसे सभी को नाखुश रहना चाहिये। एक अभियुक्त की तरह से हम खड़े होते हैं।

करप्शन की बात कही गयी। अपराधों की संख्या बढ़ रही है, यह कहा गया। रिआर्गनाइजेशन पुलिस का किया गया। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इतने दिनों तक एक पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमीशन यहां बैठा हुआ था और उसने जो कुछ सुझाव दिये उन सभी को कार्य-रूप में परिणत किया जा रहा है। किसी दशा में आज तक यह संभव नहीं हुआ कि प्रत्येक आदमी के पीछे पुलिस लगाई जाय उसकी रक्षा के लिये। आज तक किसी देश में यह संभव नहीं हुआ। माननीय सदस्यों से इस भवन में, इस संसदीय प्रजातंत्र में इस बात से इन्कार करूं अथवा कोई बात छिपाऊं तो मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र के साथ मेरा विश्वासघात होगा। इसलिये मैंने अपनी पुस्तिका में भी छाप दिया कि अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है और उसका कारण भी जो समझ में आया वह बतलाया।

किसी माननीय सदस्य ने इंगलैन्ड की बात कही। इंग्लैन्ड में क्या होता है? आप जानते हैं कि इंग्लैन्ड में एक कत्ल हो जाता है। हर नागरिक अपना फर्ज समझता है कि पुलिस के यहां जा कर कहे कि इसको मैंने देखा है और इस प्रकार से कत्ल हुआ है। पुलिस को उसके लिये ढूंढ़ना नहीं पड़ता कि वह गवाह तलाश करती फिरे। यही नहीं, वहां फैक्ट के मामलों पर, वाक्यात के मामलों पर दोनों तरफ के वकील बहस करके आपस में यह मान लेते हैं कि वाक्यात की शहादत हमको नहीं चाहिये, कानून पर दोनों बहस करेंगे। अगर यह आवश्यक है और आवश्यक है कि अपराधों की संख्या में कमी हो, उसके लिये एक ही उपाय हो सकता है कि हमारा और आपका सहयोग पुलिस को मिले। आप लोगों को प्रोत्साहित करें और हम लोगों को प्रोत्साहित करें और वे बिना रू रियायत के हमारी मदद करें कि हम किस प्रकार से इस में कमी कर सकें तभी इस में कमी हो सकती है।

जैसा मैंने कल बतलाया और आज फिर दोहराता हूं कि जो विलेज डिफेन्स सोसाइटी बनी हैं उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया है। हम और आप मिल कर एक सम्मिलित प्रयत्न करें तभी जनतंत्र सफल हो सकता है और तभी भ्रष्टाचार बन्द हो सकता है। मुझे तो यह भी करना पड़ा कि ऐसे लोग जिनकी हिस्ट्रीशीट खुली थी असेम्बली के मेम्बर हो गये, उनका सम्मान रखने के लिये यह किया कि जब तक इस सदन के वह सदस्य हैं उनकी हिस्ट्रीशीट न रखी जाय। लेकिन उसकी वजह से अपराध बढ़ें तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस के लिये सारे समाज की जिम्मेदारी है और यह सामाजिक दोष है। इस सामाजिक दोष से मुक्ति तभी मिल सकती है जब समाज उस के प्रति जागरूक होता जाय।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

करप्शन की बात भी वही है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि करप्शन बढ़ रहा है। हो सकता है कि उसका माप दंड आपके पास हो, लेकिन बार-बार यह कहना कि करप्शन बढ़ रहा है यह भी एक संयम की बात नहीं होती। बार-बार भ्रष्टाचार कहने से हमको भले ही संतोष हो जाय, हम यह समझ लें कि हमने एक बात कह दी, बात सच भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसके कहने से अगर वह मर्ज बढ़ता ही है तो उसको न कहना ही ठीक है। इसलिये इस सब के लिये एक सम्मिलित प्रयत्न होना चाहिये और उस सम्मिलित प्रयत्न के द्वारा ही इस में कमी हो सकती है। जैसा मैंने पहले कहा, और अब कह रहा हूं, पुलिस के रास्ते में बड़ी मुश्किलात हैं। वही पुरानी कैफियत हो सकती है लेकिन जैसा भानुप्रताप सिंह जी ने कहा, वह गलत है। उसका प्रोत्साहन सरकार की ओर से नहीं होता। उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है।

लेकिन जैसा कि मैंने कहा अगर हम लोग सभी अपने-अपने स्थान पर यह समझें कि उधर के बैठने वालों की जिम्मेदारी कम नहीं है तो मैं समझता हूं कि इस से मुक्ति मिल सकती है। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह अनुदान ज्यों का त्यों पास किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या १४--पुलिस के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४--पुलिस के अन्तर्गत १६,४६,२९,७०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६--राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६--राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय के अन्तर्गत ३,४९,८४,५०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कटौती का प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव इस विचार से या इस आधार पर मैं पेश नहीं कर रहा हूं कि देश की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, अथवा देश की सुरक्षा के लिये रुपया खर्च नहीं करना चाहिये। वरन् इसका कारण यह है कि इस देश की सुरक्षा के लिये जितनी सरकार को महत्ता देना चाहिये। वह महत्ता यह सरकार अपनी दलबन्दी की दलदल में पड़ कर नहीं दे रही है तथा फूट व ऐश में पड़ कर इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार अपने देश के सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। मान्यवर, मुझे याद आ रहा है कि नवाबों के जमाने में जब अंग्रेज हमला करते हुये चला आ रहा था उस समय वे लोग सोचते थे कि क्या अंग्रेज इंसानियत से इतना गिर जायगा कि वह हम पर, हमारे महलसरा पर हमला कर कब्जा कर लेगा।

यही विचार आज इस सरकार में है। चीन जो हमारा बड़ा दुश्मन है, जिसने हमारे देश की हजारों वर्गमील जमीन अपने कब्जे में कर रखी है, उससे यह सरकार समझौते द्वारा बात करने की बात सोचती है। वास्तविकता यह होनी चाहिये कि हमको वह भूमि जो चीनियों ने अपने कब्जे में कर रखी है, अपनी ताकत से, अपना उत्पादन और शक्ति बढ़ाकर शक्ति से पुनः अपने कब्जे में करनी चाहिये। आज दुःख है कि आजाद होने पर सरकार देश की सुरक्षा का प्रश्न भूल गई थी और अब भी इतना नुकसान उठाने पर भी शान्ति की व्यवस्था को ध्यान में रख कर ही सरकार चल रही है, देश की सुरक्षा को महत्व नहीं दे रही है। मान्यवर, जैसे सत्य और असत्य दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है इसी तरह से स्वतंत्रता और रक्षा आपस में एक दूसरे से विलग नहीं किये जा सकते। स्वतंत्र होने के बाद सुरक्षा के लिये आपको आवश्यक नीतियां अपनानी चाहिये थीं और उसके लिये आपको व्यवस्था करनी थी। लेकिन खेद है कि हम इस तरफ जागरूक नहीं रहे और आज भी हम उस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहें हैं। सन् १९६२ के आक्रमण के बाद हमने सुरक्षा की दिशा में काम करने आरम्भ किये हैं, लेकिन सरकार का ध्यान अब भी उधर नहीं है। आप देखें कि १९६३–६४ में इस सुरक्षा के बजट पर ७,०९,३२,१०० रुपया रखा गया, १९६४–६५ में ३,४८,१७,६०० रुपया रखा गया और अब ३,४९,८४,५०० रुपया मांगा जा रहा है। प्रदेश में पी० आर० डी० का फोर्स पहले से चल रहा था। आपने होमगार्ड की नयी स्कीम दी जिसमें दो वर्ष में अब तक १,१९९ कंपनियां संगठित हुई हैं। जिसमें अब तक १,३१,८९० वालन्टियर भर्ती किये गये। मान्यवर, १९६३–६४ में १,२४० का हमारा लक्ष्य था और उसमें से १,१०५ कम्पनियां गतवर्ष संगठित की गयी थी। जिसमें केवल २७,१९० होमगार्ड्स को प्रशिक्षित किया, लेकिन इस बार पुस्तिका में हमने देखा कि कुल १,१९९ कंपनियों का संगठन हुआ है जब कि गतवर्ष १,१०५ का हो चुका था और पूरे वर्ष में सरकार केवल ९४ कंपनियों को संगठित कर पायी है। यह कार्य बहुत ही असंतोषजनक है तथा होमगार्ड्स की भर्ती १९६३–६४ में १,२१,५०५ की हुई थी और इस वर्ष १०,३४० की भर्ती हुई। इस वर्ष भर्ती भी कम हुई है। जहां तक ट्रेनिंग देने का प्रश्न है दो वर्ष के दौरान में २५९ कंपनियों को ट्रेनिंग दी गयी जब कि १९६३–६४ में २४७ कम्पनियों को ट्रेनिंग दी गयी थी। इस वर्ष केवल १२ कम्पनियों को ट्रेनिंग दी गयी। गत दो वर्षों में सरकार द्वारा १०,५७,४९,७०० रुपया खर्च किया गया जिसमें प्राप्ति ३० प्रतिशत रही। इससे स्पष्ट है कि सरकार हमारे सुरक्षा के प्रश्न पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है और धन का अपव्यय दिखाई पड़ रहा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि धन का जो गलत खर्च हुआ है उसके लिये वह जांच करावें।

जहां तक देश की आन्तरिक सुरक्षा का प्रश्न है इस प्रदेश में १ लाख २५ हजार ३४४ ग्रामवासी हैं। २१ हजार गांव हैं। इनमें यदि प्रति गांव एक होमगार्ड का प्रबन्ध किया गया होता तो इस प्रदेश की सुरक्षा का प्रबन्ध किसी हद तक ठीक हो सकता था और प्रदेश के गांवों की कुल संख्या के हिसाब से पुलिस के अलावा जो होमगार्ड्स की संख्या है उसपर एक गांव पर एक होमगार्ड आता है और अगर यह प्रबन्ध ठीक होता तो जैसा कि मंत्री जी ने पुलिस बजट पेश करते वक्त कहा था कि सन् ६३ से ६४ में जरायम के आंकड़े बढ़ गये जैसे डकैती १,८३५ से बढ़कर २,५८१, लूट २,१९४ से बढ़कर २,५८१, दंगे ५,९९७ से बढ़कर ६,००४, और सेंध ३५,४१४ से बढ़कर ४१,५८० हो गई। मतलब यह है कि इतने जरायम गांवों में हुये। यह हो सकता है जैसा मंत्री जी ने पुलिस बजट पर कहा था कि इन घटनाओं को सही-सही लिखने का परिणाम है, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि सुरक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है। होमगार्ड, पी० आर० डी० और विलेज वालंटियर फोर्स का काम अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। होमगार्ड्स की ३० प्रतिशत कामयाबी बहुत कम है। होमगार्ड्स का प्रबन्ध अच्छा नहीं है तथा उनके लिये अभी वर्दी इत्यादि का उचित प्रबन्ध नहीं है। जिसकी बहुत जरूरत है।

यह बात सही है कि हमारा प्रदेश भारत में सब से बड़ा प्रदेश है और वह देश की उत्तरी सीमा से लगा हुआ है, इसलिये हमारे सूबे की सरकार की विशेष जिम्मेदारी है और हमें अधिक से अधिक प्रयास सबल सुरक्षा का करना चाहिये। यह बार्डर की सुरक्षा का विषय केन्द्रीय सरकार का

[श्री रामअधार कनौजिया]

अवश्य है लेकिन हमें बहुत दुख है कि हमारा आन्तरिक सुरक्षा का प्रबन्ध अभी बहुत कम है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुल्क को डर बाहर से कम, अन्दर से ज्यादा होता है, हमें अपनी आन्तरिक सुरक्षा अच्छे ढंग से करनी चाहिये। देश अपनी कमजोरी से गिर जाता है, फूट से गिर जाता है, और इस का प्रमाण यह है कि अंग्रेजों ने या अन्य विदेशियों ने, अपनी ताकत के बल पर अपने इस देश को नहीं लिया था बल्कि उन्होंने सदा हमारी कमजोरियों और फूट से ही लाभ उठाया। इस ओर भी सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। किसी देश में यदि कोई व्यक्ति विशेष भाषा, धर्म या किसी विचारधारा के आधार पर देश की एकता की बुनियाद पर आघात करता है तो वह देश का सब से बड़ा दुश्मन है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भाषा के आधार पर मुल्क में भेदभाव फैलाते हैं और दूसरे वह हैं धर्म के नाम पर जो कहते हैं कि भारत केवल हमारा ही है और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना संबंध दूसरों से जोड़ते हैं और सरकार के हां में हां मिलाते हैं तथा इस देश की नीति से अपना संबंध नहीं जोड़ते। हमें ऐसे तत्वों पर कड़ी से कड़ी नजर रखनी चाहिये और उन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि हम सारे प्रदेश के लिये होमगार्डस का प्रबन्ध करना चाहते हैं, वह देश के कल्याण और सुरक्षा का कार्य है, लेकिन हमारी प्रगति अभी इस दिशा में बहुत कम है। इस का कारण यह भी है कि जिस वक्त होमगार्डस का संगठन किया गया तो श्री लहरी साहब ने आदेश जारी किये कि दलगत वालंटियर्स, पी० आर० डी० के जो हलका सरदार हैं उन को होमगार्ड में ज्यादा प्रिफरेंस दिया जाय। तो इसका परिणाम यह हुआ कि हमारी पी० आर० डी० की संस्था के जो कार्यकर्ता थे वे होमगार्ड्स में चले आये। नतीजा यह हुआ कि पी० आर० डी० नाम मात्र अपनी जगह पर रह गयी। विलेज वालंटियर फोर्स का भी कोई अस्तित्व नहीं रह गया। स्टेट लेविल पर तो एक गठन है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में २ ब्रान्चेज हो जाती हैं। जिससे संगठन ठीक नहीं चल रहा है--देखा गया है कि विलेज वालंटियर में जो जवान हैं वे ही पी० आर० डी० में दर्ज हैं और अन्त में वही होम गार्ड में हैं। यूं तो संगठन तीन हैं परन्तु आदमी एक ही है। कठिनाई दूर करने के लिये मेरा सुझाव है तथा मेरा यह निवेदन है कि पी० आर० डी० और होमगार्डस को मर्ज करके, एक संगठन बना देना चाहिये ताकि सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके।

जहां तक होम गार्ड्स की ट्रेनिंग हुई है, हमारी प्रगति बहुत कम है। धन भी कम है और धन का अपव्यय हुआ है। गत वर्ष मैंने कहा था कि १९६३ में पयागपुर जिला बहराइच ट्रेनिंग में राशन की गड़बड़ी हुयी थी, ट्रेनिंग में ९ हजार रुपये खर्च किये गये थे। खेद है कि उसके एकाउंट का आज तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ। होमगार्डस में हमारे अशिक्षित फौज के रिटायर्ड आदमी अधिकारी बना दिये गये हैं। वे एकाउन्ट नहीं रख सकते हैं। तीसरी चीज होम गार्ड्स में यह भी देखा गया है कि दफ्तर के क्लर्कस को भी परमिशन दे दी गयी है और वहां पर उन्हें क्लास वन सर्विसेज दे दी गयी है। नतीजा यह है कि अपने दफ्तरों में ५ बजे तक काम करने के पश्चात् जब उनमें काम करने की शक्ति नहीं रह जाती है तो होमगार्ड के दफ्तर में आते हैं दूसरी बात यह देखी गयी है कि उनमें और अन्य व्यक्तियों में जो बाहर से रिक्रूट करके आते हैं उनमें काम में व्यवहार में तालमेल नहीं रहता है। इसलिये क्लर्कों को होम गार्ड्स में शामिल होने की परमिशन नहीं होनी चाहिये। एक निश्चित प्लान बनाकर पी० आर० डी० और होम गार्ड्स को एक संस्था में मर्ज कर देना चाहिये और हर गांव में व्यवस्थित ढंग से इसको चालू किया जाय तो मैं आशा करता हूं कि इससे देश की सुरक्षा में अवश्य मदद मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का पेश करता हूं।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने का अवसर दिया। आज जो होम गार्ड्स का अनुदान माननीय मंत्री जी ने सदन में उपस्थित किया है,

उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ यह दरख्वास्त है कि इतने अच्छे अनुदान पर भी कटौती का प्रस्ताव लाया गया है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूं। यह महत्वपूर्ण अनुदान है और इसमें जितनी ज्यादा मुनासिब रकम लगा सकें, लगावें। उसकी वजह यह है कि महज यह एक ऐसा जरिया है कि जिससे अपने उत्तर प्रदेश को ऊंचा उठा सकते हैं, बहादुर बन सकते हैं और अपनी नसल को बहादुर बना सकते हैं। यही नहीं, बल्कि इसके जरिये हम दुनिया में अपने आप को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। सुरक्षा दो तरह से होती है। एक अन्दरूनी और एक बैरूनी। अन्दरूनी सुरक्षा को भी हमें देखना है। हमारा यह फर्ज हो जाता है कि इसे कायम रखा जाय। इसके लिये हमें होम गार्ड्स को न जाने किस वक्त इस्तेमाल करना पड़े। क्योंकि कांग्रेस के मुखालिफ लोग मौके मौके पर कहीं पर ये लोग आन्दोलन पैदा कर देते हैं, कहीं हड़ताल कराते हैं, कहीं मजदूरों को उकसाते हैं और कहीं बच्चों को उकसाते हैं जिनको इन चीजों से अलग रखना चाहिये, ये लोग अपनी नस्ल को खराब करते हैं और डिसिप्लिन खराब करके यह लोग मुल्क में खराब वातावरण पैदा करते हैं जिससे दुनिया में हमारा सिर नीचा हो जाता है। इस वास्ते उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि होम गार्ड्स पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये जिससे यह तरक्की कर सके और आगे बढ़ सके।

श्रीमन्, होम गार्डस किस लिये होते हैं, इसको सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के एक तरफ तो चीन की सीमा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा है। आये दिन इसी पर रोजाना हाउस में बहस होती रहती है। इसलिये इसके ऊपर सब से ज्यादा अनुदान रखना चाहिये और जो बोर्डर के इलाके हैं, उनके ऊपर पूरी तवज्जह दी जानी चाहिये।

श्रीमन्, इसी के साथ-साथ एक अर्ज और करना चाहता हूं, वह यह है कि होम गार्ड्स किस तरह से मजबूत हो सकता है। हमारे एजूकेशन मिनिस्टर ने एन० सी० सी० की ट्रेनिंग चालू की है। उसके लिये यह होना चाहिये कि हाई स्कूल एक्जामिनेशन में इसका भी एक पर्चा होना चाहिये। इसकी वजह से हमारे बच्चे मिलिटरी ट्रेनिंग की तरफ अपना ध्यान देंगे। अगर यह चीज एजूकेशन मिनिस्टर साहब यहां चालू कर देंगे तो हमारा देश अपने आप मिलिटेराइज हो जायगा और हमें जरूरत नहीं होगी कि हम किसी तरह की भर्ती करें। बच्चे अपने आप आगे आयेंगे और वह मुल्क को बचाने के लिये अपनी जान देने के लिये तैयार रहेंगे।

हमारे जो ग्रामीण होम गार्ड्स हैं उनको वर्दी नहीं दी जाती है। जो ट्रेनिंग में जाते हैं उनको वर्दी दी जाती है और वह भी सिर्फ एक शर्ट और एक पेंट दिया जाता है। किस तरह से वह एक वर्दी में अपना काम चला सकता है? वह अपनी वर्दी साफ कैसे रख सकता है? इस सिलसिले में मेरी माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त है कि वह इसके तरफ अपना ध्यान दें और उनको पूरी वर्दी दी जाय जिससे वे अपनी ड्रेस ठीक रख सकें। वैसे तो उनको ३,४ कमीजें मिलनी चाहिये। लेकिन इतनी न सही, कम से कम दो कमीजें जरूर मिलनी चाहिये।

मुझे यह भी अर्ज करना है कि हमारे मुल्क में यह चीज पनप रही है कि कहीं चोरियां हो रही हैं, कहीं डकैतियां पड़ रही हैं, कहीं आग लगती हैं और कहीं बेईमानी होती है। इन चीजों को रोकना चाहिये और इसके लिये होम गार्ड्स को वसीअ अख्त्यारात दिये जाने चाहिये। इसी के साथ साथ कम्यूनल लोग ऐसी चीजें क्रियेट कर देते हैं जिससे शासन में गड़बड़ी हो जाती है। कहीं कम्यूनल बात हो जाती है तो हमें बड़ी हानि उठानी पड़ती है। हम प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात सोचें, इसके बजाय हमें इन बातों की ओर लग जाना पड़ता है। इसमें मुकामी नुकसान होता है और लोगों के जान-माल का नुकसान होता है। जो आदमी तरक्की करना चाहता है वह उलझन में पड़ जाता है। इन चीजों की रोकथाम के लिये कानून में ऐसी दफायें होनी चाहिये जिनकी रू से होम गार्ड्स इसमें दखल दे सकें।

[श्री सईद अहमद]

श्रीमन्, मेरे खयाल से इससे महत्वपूर्ण अनुदान और कोई नहीं आयेगा लेकिन इस पर भी कुछ लोग आलोचना करते हैं, महज इसलिये कि वे चाहते हैं कि हम हाउस में कुछ न कुछ बोलें और गवर्नमेंट की आलोचना करें जिससे अखबार में उनका नाम आये और जनता में यह बात फैले कि फलां आदमी ने यह कहा। इस अनुदान पर कटौती के बजाय और रकम रखी जानी चाहिये थी जिससे यह तरक्की करे और बढ़े। आज हमारे देश पर चीन के हमले का खतरा है, पाकिस्तान के हमले होने का खतरा है। तो फिर विरोध करने का क्या सवाल है? एक अच्छी चीज गवनमेंट लेकर चली तो उसमें आप सबको सहयोग देना चाहिये न कि उसका विरोध करना चाहिये और खुले दिल से कहना चाहिये कि वह चीज अच्छी है।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में कटौती के प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मुझे खेद है कि जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने पुलिस अनुदान पेश करते हुये अपना दृष्टिकोण उक्त संबंध में दिया, उसी प्रकार सिविल डिफेन्स का बजट पेश करते हुये नहीं किया। उन्होंने यह उचित नहीं समझा किइस बजट पर भी संक्षेप में अपना दृष्टिकोण सदन को देते। क्योंकि माननीय मंत्री जी अपना डिपार्टमेंट तो पुलिस को समझते हैं और सिविल डिफेंस से ऊपरी संबंध रखते हैं, क्योंकि वह आ गया है इस लिये निभा रहे हैं। मंत्रीजी जी का व्यवहार इस विभाग के साथ स्टेप-मदरली है। अभी मेरे पहले जो एक माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने एक चीज ऐसी कही कि यह बड़ा आवश्यक बजट है, हमें उसमें ज्यादा पैसा देना चाहिये, मैं उनके इस भाव से सहमत हूं कि यह हमारी सब प्रकार की सुरक्षा से संबंधित है और हमें इस पर ज्यादा सहायता देनी चाहिये। चाहे हमें इस डिपार्टमेंट पर अधिक बजट अन्य विभागों में कटौती करके ही क्यों न पूरा करना पड़े। लेकिन उनका यह कहना कि जो लोग कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हैं वह सिर्फ इसलिये बोलते हैं कि उन्हें बोलने का अवसर मिल जाय और उनका नाम अखबार में निकल जाये यह बात नितान्त गलत है। यह उन्हीं लोगों के साथ ठीक हो सकता है, कौन उधर का सदस्य कटौती के प्रस्ताव पर बोलता है। सिवाय इसके कि जो मंत्री जी ने पेश किया है उसे उसी तरह मान लिया। केवल हां हजूरी करना उनका धंधा है और यही करते हैं, इसीलिये बोलते हैं—

श्री सईद अहमद—

मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि इस अनुदान को ज्यादा पैसा मिलना चाहिये।

श्री शिवेन्द्रप्रताप—

हां हां, मैं भी वही कह रहा हूं। सिविल डिफेंस पर पेश अनुदान के समय एक कमी खासकर महसूस की जाती है जिसके ऊपर इधर और उधर दोनों तरफ के सदस्यों का ध्यान जाता है। दोनों ओर से यह कहा जाता है कि हाई आफिशियल्स जैसे डाइरेक्टर्स, कमाण्डर्स जो हैं, यदि वह सम्भव हो सके तो आर्मी के हों। इसका कारण यह है कि मैं किसी व्यक्तिगत आदमी के खिलाफ नहीं हूं। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट पुलिस के अन्डर में है, लेकिन इसमें यह सभीने कहा कि इसमें मिलिटरी के आफिसर्स ज्यादा योग्यता के साथ काम कर सकते हैं। मैंने पिछली बार भी इसे कहा था और इस बार भी कहता हूं कि हमारे सीतापुर में एक कमाण्डर निकाला गया। मैंने उस समय माननीय मंत्री जी से कहा था कि आप एक कमाण्डर को निकाल रहे हैं और आप अपने पार्टी के किसी आदमी को यहां लायेंगे और उसको अपने पोलिटिकल इन्टेरेस्ट के लिये इस्तेमाल करोगे। इस सम्बन्ध में मैंने सुचेताजी को भी पत्र लिखा। पिछले समय माननीय मंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा चूंकि वह एक एलेक्शन आ गया था, इसलिये आवश्यक था कि उन्हें हटाया जाय, लेकिन अब जो रखा गया है वह एलेक्शन ही नहीं लड़ा है बल्कि वह परिषद् का उपाध्यक्ष भी है। तो जब इलेक्शन में आने वाले को हटाया जाता है और उपाध्यक्ष को बने रहने दिया

जाता है, यह कहाँ तक उचित है ? हां फर्क इतना है कि वह विरोध से लड़ा था और यह उनकी पार्टी से लड़ा है, इसलिये यह रहना चाहिये ।

श्रीमन्, इस बजट में ६३ पोस्टें रखी गयी हैं, २५०-८०० के स्केल में। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौन सी जगह है, जिसमें यह इतना बड़ा ग्रेड इतनी पोस्टों के लिये रखा गया है। इतना ही नहीं, होमगार्ड्स का बिल पास हुये ३ वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसके लिये रूल्स नहीं बनाये गये हैं। यह तो है होमगार्ड्स स्कीम के प्रति आपकी तत्परता। पता नहीं कब तक रूल्स बने। शायद तब तक एमरजेंसी रहेगी या नहीं। मेरा ख्याल है बनेगा जरूर।

दूसरी बात, मान्यवर, एक पोस्ट अभी एडवरटाइज की गयी है बी० ओ०, होमगार्ड्स की, ९०० जगहें हैं, जैसे पी० आर० डी० में बी० ओ० होते हैं वैसे ही इसमें भी रहेंगे। लेकिन उनकी ड्यूटी कुछ नहीं है। उनको महीना में एक या दो दिन आफिस में आकर कुछ करना है, शेष दिन कुछ काम नहीं। अब इस पर यह दलील दी जा सकती है कि उनका यह काम है कि वह घूम-घूम कर लोगों में इस भावना का प्रचार करें और पब्लिक ओपिनियन जाग्रत करें और लोग इसमें भर्ती हों और देश रक्षा में लगें। लेकिन इससे हमारा वास्तविक उद्देश्य नहीं पूरा होता है। जो हमारा होमगार्ड्स का उद्देश्य था कि हम नागरिकों की एक संस्था बनायें जो सेकेंड लाईन आफ दी डिफेंस की तरह संकटकालीन स्थिति में खड़ी हो सके और आन्तरिक सुरक्षा के कार्य कर सके। लेकिन उनका कार्य इस दिशा में नहीं हो रहा है। आपके होमगार्ड्स के जो केम्पस रहते हैं उससे भी कोई विशेष लाभ नहीं होता है, उसमें केवल राइफल की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन वह भी वास्तविक मानों में नहीं, क्योंकि आप के यहां जो रायफल हैं वह डमी हैं। इसके साथ-साथ केवल राइफिल ट्रेनिंग न होकर दूसरे टेकनिकल ट्रेनिंग्ज जैसे वायरलेस या आग बुझाने की ट्रेनिंग वह भी होनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि वालन्टियर होमगार्ड्स के पुलिस के साथ लगाये गये इसलिये कि उनकी ट्रेनिंग चलती रहे। लेकिन उसी के साथ-साथ आफिसर्स की ट्रेनिंग के लिये पुलिस के साथ नहीं लगाया गया। समझ में नहीं आता कि उनको क्यों नहीं लगाया गया जब कि वालन्टियर्स को लगाया गया।

इसमें ज्यादा सरकारी नौकर रखे गये, क्लैरिकल स्टाफ के लोग ज्यादा हो गये, बाहर के जनता के आदमी कम आये। होता यह है कि वे ४ बजे तक तो आफिस में रहते हैं और उसके बाद परेड में आते हैं और उससे थोड़ी परेशानी होती है। तो सरकार को चाहिये कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट को तो रखे ही लेकिन यह प्रयत्न भी करे कि ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोग उसमें आवें।

इसमें बहुत से रैंक्स हैं। कमान्डर, कम्पनी कमान्डर, सेकन्ड इन कमान्ड आदि। एक बात यहां पर कहता हूं कि ब्लाक स्तर पर बटालियन के सेकन्ड इन कमान्ड का आनरेरियम डिपार्टमेंट ने खत्म कर दिया लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में सेकन्ड इन कमान्ड होता है उसको मिलता है। किसी व्यक्ति को यह कहना कि वह बगैर आनरेरियम काम करे तो वह ज्यादा समय नहीं दे पाता है। मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान करेंगे और उनको भी आनरेरियम देना शुरू करेंगे।

इसके साथ ही यह लिखा गया है कि होम गार्ड्स ने बहुत अच्छा काम किया, त्योहारों पर और उत्सवों पर अच्छा प्रबन्ध किया। लेकिन बनाते वक्त होमगार्ड्स के विषय में जो सोचा गया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इस प्रान्त के अन्दर ६ हजार से ज्यादा पाकिस्तानी रह रहे हैं, यह मेरी निश्चित सूचना है। माननीय मंत्री जी को भी मालूम है। दुनिया में यहां की यह एक अद्वितीय मिसाल है कि जहां पर हजारों, लाखों लोग विसा लेकर रह रहे हैं, दूसरे मुल्क में क्या यह हो सकता है ? क्या फ्रांस में इजाजत है कि ५ हजार आदमी इस तरह से दूसरे मुल्क के रहें ? क्या किसी मुल्क में ऐसा है ? लेकिन यहां है। उसी के साथ

[श्री शिवेन्द्रप्रताप]

साथ यह भी निश्चित है कि हमारी सीक्रेट से सीक्रेट इन्फार्मेशन जो सिक्योरिटी से सम्बन्धित है वह लीक होती है। कुछ अराष्ट्रीय तत्व हमारे प्रदेश में ऐसे हैं जो खबरे भेजते रहते हैं। हमें बाद में पता चलता है, लेकिन पाकिस्तान रेडियो से पहले प्रसारित हो जाता है। लेकिन इसके खिलाफ होमगार्ड ने कोई कदम नहीं उठाया। पुलिस तो ओवरवर्क्ड है, एक सब-इंस्पेक्टर को सौ-सौ, दो-दो सौ केसेज रोज देखने पड़ते हैं लेकिन सिविल डिफेन्स बनाया इसीलिये गया था कि वह इन अराष्ट्रीय तत्वों को देखे। अभी कुछ दिन हुये, एक बयान मुख्य मंत्री जी ने दिया कि चाइनीज गुड्स हमारे यहां खुले नहीं बिकते हैं। मैं तो उन दिनों था नहीं लेकिन गृह मंत्री जी हजरतगंज की किसी दूकान से चाइनीज लाइटर, सिगरेट केस, घड़ियां वगैरह खरीद सकते हैं। एक नहीं हजारों चीजें, सिल्क सूट्स, ट्रांजिस्टर हजरतगंज और अमीनाबाद में खुले आम बिकता है। गृह मंत्री जी हमारे साथ आज चलें दस, बीस, पचास चीजें चाहे जितने खरीदवा दूं। न जाने कितना स्मगिलग गुड्स हमारे यहां हमारे प्रदेश में आ रहा है बार्डर से आ रहा है। लेकिन सिविल डिफेन्स ने उस सिलसिले में कोई कार्य नहीं किया है। वह कहते हैं कि यह तो पुलिस का काम है।

मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन कहना आवश्यक है इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस पर कम से कम अपना स्टेपमदरली ट्रीटमेंट खत्म करें। अगर २४ घंटे में से २ घंटे भी माननीय मंत्री जी इस ओर दे दिया करें तो बड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है।

इसके कैम्प्स की क्या हालत है ? मैंने स्वयं २ ट्रेनिंग केम्प्स को देखा है। वहां ट्रेनिंग केम्प्स में १०० वालन्टियर्स दिखाते हैं, लेकिन ४०–५० से ज्यादा नहीं होते हैं। इस तरह से तनख्वाह बढ़ाकर दिखायी जाती है और उनके राशन वगैरह में घपला होता है। इस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिये। मैं नहीं कहता कि माननीय मंत्री जी कैम्प का जाकर निरीक्षण करें मगर कंट्रोल करना चाहिये। जो हमारी सुरक्षा के लिये पैसा है उसका इस तरह से अपव्यय नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, जितने सीमान्त के जिले हमारे प्रदेश के हैं उनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी सब से ज्यादा है और जो कुछ वहां पर खर्चा हो रहा है वह एक तरह से कहा जाय तो सब संकट समय का खर्चा है। चाहे सड़क का खर्चा हो, चाहे पुलिस विभाग का खर्चा हो, चाहे स्कूल बनाने का खर्चा हो, चाहे होमगार्ड या पी० आर० डी० या सिविल डिफेन्स का खर्चा हो वह सब संकट सम्बन्धी खर्चा है, लेकिन यह जो अनुदान है यह उस सब को कवर नहीं करता है। यह मद होम गार्ड, पी० आर० डी० और सिविल डिफेन्स को कवर करता है। सिविल डिफेन्स वहां केन्द्रीय सरकार द्वारा भी चलता है। मैं अपने मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वहां पर जिस तरह से होमगार्ड का काम चल रहा है और पी० आर० डी० का काम चल रहा है वह बहुत सराहनीय है। सीमान्त जिलों में किस तरह से कार्य हो रहा है मैं उस की डिटेल में जाना उचित नहीं समझता हूं। सिर्फ १, २ बातें उस सम्बन्ध में निवेदन कर देना चाहता हूं। वहां पर किस तरह से होमगार्ड या सिविल डिफेन्स या पी० आर० डी० का काम होना चाहिये उसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। और वे ये हैं सीमान्त जिलों के निवासियों को आप, जितने भी वहां के निवासी हैं। १८ साल से ४५ साल तकके लोग हैं उनको गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग दीजिये पुलिस का जो कुछ काम है वह होमगार्ड को करना पड़ेगा, यह भी हम मानते हैं, पी० आर० डी० को करना पड़ेगा और जो वालन्टियर एनरोल होंगे उनको भी करना पड़ेगा। यह उचित ही है कि होमगार्ड और पुलिस को पी० आर० डी० का काम सिखाया जाय लेकिन सब से ज्यादा जरूरी यह चीज है कि वहां पर होमगार्ड की जो ट्रेनिंग

चल रही है उनको गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग दी जाय। वह ट्रेनिंग उन लोगों को मिलेगी तो बहुत लाभ हो सकता है। सिर्फ पुरुषों को ही वह ट्रेनिंग न दी जाय बल्कि स्त्रियों को भी होमगार्ड की ट्रेनिंग, गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग दें। वहां पर जो यह सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है हम देखते हैं कि स्त्रियां भी उतनी ही अच्छी संख्या में पहुंचती हैं जितना कि पुरुष। जिस समय देश के ऊपर कोई संकट इस तरफ से आयेगा तो गुरिल्ला वारफेयर की अगर हमने ट्रेनिंग दी गई हमें तो वह सुरक्षा का काम ज्यादा अच्छी तरह से कर सकेगी।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं बिना संकोच और बिना किसी संशय के कि वहां पर सब को आर्म्स दीजिये। मुझे यह देख कर दुख होता है कि जब कोई बन्दूक के लिये लाइसेन्स की दरख्वास्त देता है, तो वह पटवारी या तहसीलदार के यहां भेजी जाती है। वहां पर मैं जानता हूं कि छोटे कर्मचारी लोग उस से आशा करते हैं कि कुछ प्राप्त हो। तब उस की सिफारिश करते हैं। वहां पर यह बात उचित नहीं है। आप वहां पर हर निवासी को जो भी चाहता हो, उस को आर्म्स का लाइसेन्स फ्रीली दें। बिना किसी संकोच के उनको लाइसेंस दिया जाय। स्त्रियों को भी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाय। स्त्रियां नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने के लिये तैयार हैं, लेकिन अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं है कि वहां पर स्त्रियों को नर्सिंग और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मिल सके। इसलिये मन्त्री जी से प्रार्थना है कि आप सीमान्त जिलों में इसका प्रबन्ध करने के लिये ध्यान दें। यह कहना भी उचित ही है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को जन सुरक्षा का काम वहां करना पड़ता है मगर उसके लिये एक बात जरूरी है और वह यह है कि अगर और पुलिस को जनता का सहयोग न हो, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, यह देखा जाता है तो काम नहीं चलेगा। वह जरूर होना चाहिए तभी अपराध कम होंगे और तभी अपराधी लोगों का कनविक्शन होगा जब पुलिस और जनता का सहयोग होगा। एक दृष्टान्त है मान लीजिये आम सड़क में किसी का कत्ल हुआ है और लोग चारों तरफ खड़े हैं और कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। इसकी क्या वजह है कि वह उन को अलग करने के लिये नहीं जाते हैं जिनमें झगड़ा है? लोगों का कहना है कि अगर किसी के हाथ में छूरा हो और हम उसको पकड़ने के लिये कोशिश करें तो पकड़ने वाले और जिसके हाथ में छुरा है उस को दोनों को चोट आ सकती है पुलिस वाले रेस्क्यू करने वाले को भी पकड़ लेंगे। यह अविश्वास नहीं रहना चाहिये। यह हो सकता है कि जनता का इसमें कसूर है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं कि अगर कर्मचारी कहता है कि उसको जनता का सहयोग नहीं है तो कर्मचारी अलग कर दिया जाता है। वहां यह समझा जाता है कि कर्मचारी वही है जो अपने कर्त्तव्य का इस तरह से पालन करे और उसकी दिनचर्या ऐसी हो कि वह जनता को विश्वास दिला सके अपने प्रति। इसलिए सीमान्त जिलों में आप खास कर ऐसी पुलिस भेजें जो जनता का सहयोग प्राप्त कर सके, जिनके बारे में आप कोई शिकायत सुनने न पायें।

साथ में मैं प्रार्थना करूंगा कि वहां पर ऐसी नजर रखें कि कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो दुश्मन के साथ मिल कर कार्य कर रहा हो। मंत्री जी ने कहा लेकिन यह ठीक है बहुत कम ऐसे लोग होंगे और जो होंगे वह पुलिस की डायरी में दर्ज होंगे, इसलिये इसी कारण सबको आर्म्स लाइसेन्स नहीं दिया जाता है ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जिलों में पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के दफ्तर के इनको मालूम करने है, जैसा कि पिथौरागढ़ में, चमोली में, उत्तरकाशी में है। उनसे मालूम हो सकता है कि कौन-सा ऐसा चरित्र का आदमी है। अगर पुलिस डायरी में प्रार्थी का नाम नहीं है तो उस को फौरन आर्म लाइसेंस देना चाहए।

साथ में असंतोष न बढ़ने पाये, यह भी जरूरी है। जिसके हृदय में असंतोष रहता है उससे सुरक्षा का खतरा पैदा हो सकता है। शिक्षा या पुलिस के मामले में या सड़कों के बनाने में लोगों को असंतोष नहीं होना चाहिये। वहां की अर्थ व्यवस्था सुधारने के लिये केन्द्रीय सरकार बहुत कुछ कर रही है। ऐसे समय जब कि दुश्मन हमारे सामने खड़ा हुआ है कोई भूखा नहीं नहीं रहना चाहिये, क्योंकि भूखा आदमी सब कुछ कर सकता है। वैसे तो बहुत कुछ काम इस विषय में हो रहे हैं। चाहे किसी डिपार्टमेंट के आफिसर भेजे जायं, यह ध्यान रहे कि

[श्री कृष्णसिंह]

वह जनता से मिल कर काम करे। पहाड़ के लोगों का यह चरित्र है कि जब वह समझते हैं कि फलां अफसर हमको नीची निगाह से देख रहा है तो वह उस बात को दिल में छिपा कर रखते हैं। नेफ़ा में मैं ऐज ए स्काउट रहा हूं। चाहे आर्मी के, पुलिस के या ऐडमिनिस्ट्रेशन के अंग्रेज कर्मचारी रहे वहां के लोगों से हिल-मिल कर रहे, उनके त्योहारों में शरीक होते थे और उनके साथ खाना खाते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह जरूर है कि कुछ हद तक लोग ऐसे पहुंचे जो कहते हैं कि हम हिन्दू धर्म के मानने वाले हैं, दूसरे वैसे हैं। इसी वजह से कुछ संकट पैदा हो गया। तो जो अफसर भेजे जायं उनके द्वारा ऐसा अवसर न आना चाहिए कि सीमान्त के लोग यह समझें कि वह हमको नीचा समझते हैं, हमारे रस्म-रिवाज को नीचा समझते हैं या हमारे काम करने के तरीकों को नीचा समझते हैं। इससे आपको होशियार रहना चाहिये कि वहां आपस में कोई खाई पैदा न हो।

*श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख होता है जब मैं इस आदरणीय सदन से अपनी आदत के खिलाफ कुछ कहने की बात सोचता हूं। मुझे तकलीफ उस दिन से है जिस दिन से इस बजट को पेश करने वाले माननीय गृह मन्त्री जी द्वारा इस आदरणीय सदन में...

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहिये, जिससे फिर कुछ गड़बड़ी हो। विषय पर ही कृपया बोलिये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

जब माननीय गृह मन्त्री जी यहां पर ऐसी बातें करते हैं, जो नौजवान यहां पर अपनी कुरबानी कर के यहां आये हैं और विरोधी दल में बैठे हैं, उनके लिये एक बुजुर्ग आदमी द्वारा और ऐसे आदमी द्वारा, जो इससे पहले शिक्षा विभाग तथा वित्त विभाग के मंत्री का पद भी सम्भाल चुका हो, अगर ऐसे शब्द निकाले कि बाहर चलकर देखेंगे, यह तो उस दिन कहा, और जो आज हुआ उसे देख कर, मुझे बड़ा दुख होता है। हम नागरिक सुरक्षा के बजट पर विचार कर रहे हैं, जिनके हाथों में सुरक्षा का भार दे रहे हैं और इतना रुपया दे रहे हैं सुरक्षा के नाम पर, उनके द्वारा जब हमारी रक्षा यहां पर नहीं हो सकती है तो पता नहीं बाहर क्या सुरक्षा हो पायेगी और इस प्रदेश का भविष्य में क्या होगा? मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा, हो सकता है हमारी तरफ बैठने वाले या आपकी तरफ बैठने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जायं, मगर आप जैसे आदमी के लिये ऐसे शब्दों का प्रयोग शोभा नहीं देता। जहां तक बाहर निकलने की बात कही गयी है, मैं आप को (गृह मंत्री को) चैलेन्ज करता हूं, जहां आप कहें, जौनपुर में कहें वहां हजारों आदमियों की मीटिंग में, मैं चल कर कह सकता हूं। लेकिन इस तरह से यहां बैठ कर इस आदरणीय सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आज मैंने सुना, गाली-गुफ्ता भी हुई.....

श्री उपाध्यक्ष—

कोई ऐसी बात कृपया न कहिये जिससे इधर या उधर कोई गर्मी हो, गर्मी नहीं आनी चाहिये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

श्रीमन्, जहां तक नागरिक सुरक्षा तथा होमगार्ड्स का संबंध है, इस सम्बन्ध में मैं इतना कहना चाहूंगा कि यह बिलकुल बेकार है। पार्टीबन्दी के नाम पर इसको चलाया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के हमले से अपनी रक्षा के खयाल से अगर होमगार्ड्स में भर्ती होती तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ठीक था, मगर उनका उपयोग, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव में किया जाता है। मेरे यहां खुले आम होमगार्ड्स के लोगों ने चुनाव में जाकर, डंडा लेकर, प्रचार किया। मैं आपके द्वारा, इस आदरणीय सदन में, माननीय गृह मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि मैंने उनसे उनके कमरे में भी जाकर इस चीज को कहा, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो मैं चाहूंगा कि सुरक्षा समिति के नाम पर पार्टीबन्दी जो है उसको हटाया जाय।

इस समिति का उद्देश्य भी आज बिलकुल ग़लत है। उद्देश्य पहले तो बिलकुल ठीक था। लेकिन नागरिकों के आधार पर यह नहीं आ रही है, पार्टी के आधार पर आ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न आन्दोलन जब चल रहा था तो एक जुलूस निकला था। उस जलूस के निकलने पर इस नगर सुरक्षा समिति के वालंटियर्स ने जो होमगार्ड कहे जाते हैं, उन्होंने उन वालंटियर्स पर जो कि निहत्थे थे, लाठी चलायी। यह नगर सुरक्षा समिति और उसके वालंटियर्स का काम नहीं है, न होमगार्ड्स का काम है। मैं चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, शीघ्र से शीघ्र इस समिति की रूपरेखा बदलनी चाहिए। इसमें जो भर्ती होती है, वह बिलकुल पार्टी लाइन पर होती है। इसमें वही लोग हैं जो पोलिटिकल वर्कर्स हैं, कांग्रेस के आदमी हैं, वही इसमें रखे जाते हैं। कोई नागरिक इसमें नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाय। मैं यह भी चाहूंगा कि इस विभाग को पुलिस विभाग से बिलकुल अलग कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि इस प्रकार के शब्दों से क्यों चाहते हैं कि इस प्रकार का विध्वंस हो ?

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, कुछ देर पहले पर्वतीय अंचल से आये हुए, सीमांत अंचल के एक प्रहरी माननीय सदस्य ने अपना भाषण दिया। मैं उन की भावनाओं को और उनके सुझाव को बहुत सही समझता हूं। आज की स्थिति में उस सीमान्त अंचल की जनता को, वहां के नवजवानों को संगठित रूप से छापामार लड़ाई की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए क्योंकि आज के समय में किन्हीं दो महादेशों में या देशों में युद्ध होने के बाद पिछली कतार, फ्रन्ट के पीछे जो जनता होती है, वह उसका प्रतिरोध कर सके यह मुख्य अंग हो जाता है देश की रक्षा और उसकी सुरक्षा का। इतिहास हमको इस बात का सबक सिखाता है। इसलिए इस सुझाव पर सरकार को बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मान्यवर, चीन के आक्रमण से हमारे देश में सुरक्षा का प्रश्न इतने बड़े रूप में पैदा हुआ। जिस रूप में आज हम उस पर विचार कर रहे हैं। चीन के आक्रमण से देश में जो अभूतपूर्व जागृति और जागरण पैदा हुआ जो देशभक्ति की अद्वितीय लहर प्रवाहित हुई, हम सब उससे भलीभांति परिचित हैं। हमें वह दिन भूला हुआ नहीं है। चीन के आक्रमण की सार्वजनिक निन्दा हमारे देश के कोने-कोने से हुई। मेरा अपना विचार है कि चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर के दोहरा अक्षम्य और ऐतिहासिक अपराध किया था। एक तो अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन की सूची की मान्यताओं को, जो सन् १९६० ई० में मास्को में ८१ देशों के अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट सम्मेलन में स्वीकृत की गई थीं, उसके विरुद्ध जाकर उसने एक अपराध किया। किसी कम्युनिस्ट देश के लिये किसी भी अपने पड़ोसी पर, किसी भी शान्तिप्रिय देश पर, किसी भी तटस्थ और गैर-जानिबदार मुल्क पर हमला करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरे, शान्त भारत के ऊपर, पंचशील पर दस्तखत किये हुए भारत के ऊपर, बान्दुंग सम्मेलन में शामिल हुए भारत के ऊपर एफ्रो-एशियाई मुल्कों की सतर्क एकता के पहरेदार भारत के ऊपर आक्रमण कर के उसने अक्षम्य अपराध किया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है अभिशाप वरदान हो गया, ब्लेसिंग इन डिसगाइज सिद्ध हुई। हमारे नेताओं को पता लग गया कि हिन्दुस्तान सो नहीं रहा था, ऊंघ रहा था। और ऊंघता हुआ भारत सिंह पुरुष की भांति उठकर खड़ा हो गया। राष्ट्र का परिचय मिल गया। एक स्वर से, एक भाव से देश की जनता ने उसका विरोध किया। मान्यवर ढ़ाई साल अभी नहीं बीते, उस ऐतिहासिक आक्रमण के, जिन्हें अभी ढाई साल नहीं बीते, लेकिन वह सारी हवा आज समाप्त हो गई क्यों? आज देश में फूट परस्ती के बीज और वातावरण चारों ओर दिखाई पड़ रहे हैं, उत्तर, दक्षिण,

[श्री झारखण्डेराय]

पूरब और पश्चिम, क्यों, ऐसी बात क्यों हुई ? मेरा अपना विचार है, मान्यवर, सुरक्षा का उत्पादन से गहरा सम्बन्ध है. केवल हथियारों के उत्पादन से ही नहीं, गोली-बारूद के उत्पादन से ही नहीं, बल्कि कृषि उत्पादन, अन्य औद्योगिक उत्पादन से सुरक्षा का गहरा संबंध है।

दूसरी बात सुरक्षा के लिये जनता में गहरा संतोष होना और शांतिका वातावरण होना चाहिए। पर्वतीय जनता में जरा सा भी असंतोष नहीं होना चाहिए। उस दृष्टिकोण से देश की सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्र में जनता को पूरा संतोष हो। भूखी और संतप्त जनता का बेटा तन्मय होकर रक्षा नहीं कर सकता। वह मजबूती और दृढ़ता से मोर्चा पर नहीं लड़ सकता। आज चारों ओर मंहगाई, टैक्स बढ़ती, शोषण, भ्रष्टाचार, से भयंकर असंतोष है। इसको रोकने के रास्ते में सरकार जितना कदम बढ़ा सके, वे कदम सुरक्षा में सहायक होंगे। बंगाल नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में इस बात को स्वीकार किया था कि इमर्जेन्सी का इस्तेमाल, भारत पर चीन के आक्रमण के समय, पूंजीपतियों ने बेहिसाब मुनाफा लिये जाने में उठाया। हमारे सर्वप्रिय राष्ट्र नेता और प्रधान मंत्री पं० नेहरू ने स्वीकार किया था कि देश के पूंजीपतियों ने अपना उचित अंशदान राष्ट्रीय सुरक्षा में नहीं दिया। माननीय कमलापति त्रिपाठी जी, गुप्ता जी, हुकुम सिंह जी, और हरगोविन्द सिंह जी आदि इन लोगों ने अपने भाषणों में जगह-जगह स्वीकार किया था कि पूंजीपतियों ने अपने अंशदान नहीं दिये। मान्यवर, सुरक्षा कोष के पैसे का हिसाब मैं जानना चाहूंगा। मुझे ऐसी शिकायतें मिली हैं कि सुरक्षा कोष का जो पैसा सरकार के हाथ में आया था, वह उचित तरीके से व्यय नहीं किया जा रहा है। उसमें काफी अपव्यय हो रहा है, मैं चाहूंगा कि एक बैलैंशीट पेश होना चाहिए कि वह कैसे और किन मदों में खर्च हो रहा है ? मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में मुझे खुद जानकारी है, धारचूला, जोलजीबी, जोशीमठ, पिपलीकोट, और गोचर आदि अनेक स्थानों पर फौजियों ने अच्छी कृषि योग्य जमीनों पर कब्जा कर लिया और अपने कैम्प गाड़ दिये हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उन कृषि योग्य जमीनों को उनके हाथ में न जाना चाहिए, जो पहाड़ी जमीनें हैं, जो कृषि लायक नहीं हैं, उन पर वे अपने कैम्प बनावें। उनके पास पैसा है, साधन हैं, उसको ठीक करके रह सकते हैं। इन चार-पांच जगहों पर जनता असंतुष्ट है। मैंने अपनी आंखों देखा है। इस विषय की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी अपने तरीके से भारत सरकार और सेना विभाग से बातचीत करके, लिखा-पढ़ी करके, इस असंतोष को उस पर्वतीय क्षेत्र से दूर करने की कोशिश करें। पी० आर० डी०, और होमगार्ड को एक में मर्ज कर दिया जाय। मिलिटरी और पुलिस के अलावा केवल एक डिपार्टमेंट आंतरिक सुरक्षा और मोर्चा के पीछे काम करने के लिए रहना चाहिए, जो कि किसी भी इमरजेंसी के समय देश की सुरक्षा कर सकें और मोर्चों के पीछे छापामार लड़ाई चला सकें।

मान्यवर, कारखाने बन्द हो जाते है, लाकआउट हो जाता है, लेकिन यह सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहती है। इन पूंजीपतियों को गिरफ्तार भी नहीं किया जाता, उनके खिलाफ डी० आई० आर० का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। सरकार उनको किसी तरह से भी विवश नहीं कर पाती है कि वे अपने कारखानों को खोलें ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। ऐसी स्थिति में यह सरकार लुंजपुंज बैठी रहती है और उसके लिये भी कानून की दुहाई देती है। इस इमर्जेसी के जमाने में उनके खिलाफ वह डी० आई० आर० का प्रयोग करने में अपने आपको असमर्थ पाती है। मान्यवर, यह तस्लीम करना पड़ेगा कि देश पर जब मुसीबत आयी थी तब हमारे वजीर आजम देश के सर्व प्रिय नेता पं० नेहरू ने इन पूंजीपतियों से अपील की थी तो इन करोड़ों को लूटने वाले, आदमखोरों ने देश का साथ नहीं दिया, उस नेता की अपील का उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। इसके साथ ही अंग्रेजी राज्य के पुराने ५६८ चाटुकार भूतपूर्व देशी नरेश कुत्तों से भी उस हस्ती ने अपील की कि अपनी एक अरब के फारेन एक्सचेंज का एक अंश हमें दे दीजिये ताकि हम उसको सुरक्षा के काम में लगा सकें और उसके बदले में उन्हें नोट देने को कहा था, क्योंकि हम हथियारों के लिये भीख नहीं मांगना

चाहते, हम उस विदेशी मुद्रा और सोने के बदले में हथियार लेना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों ने अपनी एक अरब की विदेशी मुद्रा में से एक डबल भी नहीं दिया। इसके अलावा हमारे वजीर आजम ने उनसे यह भी अपील की कि ५ या १० फीसदी अपनी प्रिवी पर्स में से कटवा दें। लेकिन सिर्फ १५० देशी नरेशों ने ही इस कटौती को किया। सबसे बड़े हिन्दोस्तान के पुराने देशी नरेश, नवाब हैदराबाद ने तो कह दिया हम तो बहुत गरीब हैं। वह कितना गरीब है? ५० लाख की तो उसको पेंशन मिलती है, ५० लाख आमदनी की जायदाद उसके पास है। एक करोड़ की आमदनी वाला वजीर आजम को यह लिख कर भेजता है कि वह बहुत ही ज्यादा गरीब है। यह देखते हुए भी सरकार ने उसके साथ कोई सख्ती नहीं की। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिये था कि वह पूंजीपतियों से पैसा लेती। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह जनता में शांति बनाये रखे, सीमांत क्षेत्रों की जनता की विशेष परवाह करे जिससे हमारे उस अंचल में पहले अगर कोई मुसीबत आये तो वह बहादुरी से उसका मुकाबला कर सके।

भारत और चीन दोनों एशिया के महान देश हैं। खुदा न करे कि इन दोनों देशों में कभी कोई बड़ा संग्राम हो। इन दोनों देशों की सीमा की समस्याओं का सुलझाव युद्ध के द्वारा नहीं हो सकता है बल्कि वह तो शांति पूर्ण तरीकों से ही बातचीत से सुलझाई जा सकती है, शांतिपूर्ण ढंग से दोनों को एक सम्मानजनक रास्ता निकालना चाहिये। लेकिन इस रास्ते में भी चीन अब तक बाधक सिद्ध हुआ है। चीन ने कोलंबो प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। अगर वह उनको स्वीकार कर लेता तो अन्य राष्ट्रों के हस्तक्षेप से मामला निबट गया होता। लेकिन चीन ने हठधर्मी की। जहां तक चीन और भारत की जनता का संबंध है, वे एक दूसरे के भगवान गौतम बुद्ध जी के जमाने से मित्र रहे उनमें कोई किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है और न होनी ही चाहिये। दोनों का हित एक है। लेकिन चीन के वर्तमान शासक और नेताओं का दिमाग फिर गया है। वह ५६ हजार वर्ग मील का भारत का इलाका हड़पना चाहता है, १५ लाख वर्ग मील सोवियट यूनियन की वह मांगता है। और २५ हजार वर्गमील जमीन मंगोलिया की मांग रहा है। सोवियत यूनियन और मंगोलिया कम्युनिस्ट देश हैं। मान्यवर, चीन के नेतागण पथभ्रष्ट हो गये हैं। फिर भी हमें शांतिपूर्ण वातावरण पैदा करना है। तटस्थ गुटनिरपेक्ष, सहअस्तित्व की भावना आज देशों के पारस्परिक संबंध की आधार शिला है और हमारे देश का इस दिशा में एक महान इतिहास और देन रहा है। सारे देश की राजनीति और इस सीमा समस्या को रख भारत के विवेकपूर्ण कदम उठाने पर ही का निर्भर करता है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन बातों का खयाल रखे। जनता में शांति बनाये रखने, उस पर टैक्स का अधिक बोझ लादने और विशेष कर सीमांत अंचलों में जनता की सुविधाओं का अधिक ध्यान रखने का उपाय करे। सरकार को वह तमाम उपाय करना चाहिये जिससे प्रदेश और देश की एकता कायम रहे ताकि बाहरी हमले की दिशा में सारा देश एक होकर खड़ा हो जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत अनुदान है, मैं उसका समर्थन करता हूं। जहां तक इस अनुदान का सम्बन्ध है, यह अनुदान हमारे देश और प्रदेश के लिये बहुत ही आवश्यकीय अनुदान है, यदि सही तरीके से जो मकसद इसके अन्दर निहित है, उसकी आकांक्षा के अनुसार कार्य किया जाय। मैं ऐसा समझता हूं कि जिस समय राष्ट्रीय संकट की बात कही गयी और जिस समय मुल्क पर राष्ट्रीय संकट हुआ, उस समय हमारे देश के निर्माताओं ने, हमारे देश के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने जो योजनायें बनायीं—अपने देश की सुरक्षा के लिये, अपने देश को ऊंचा उठाने के लिये—कि देश के अन्दर जो खेती में काम करने वाले लोग हैं, जो कल-कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे फ्रंट पर लड़ने वाले जवान हैं, उनकी कैसे सुरक्षा की जाय। इसी चिन्ता और मन्तव्य को लेकर राष्ट्रीय-सुरक्षा की भावना सारे देश में जगायी गयी। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक राष्ट्रीय संकट का प्रश्न है वह

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

आज भी हमारी सरहदों पर ज्यों का त्यों विराजमान है चीन जैसे मुल्क ने हमारी १,१०० वर्गमील जमीन पर अपनी फौजें सामने खड़ीं कीं। जो हमारे लिये हमेशा खतरे की घंटी दिखलाई देता है। जिससे हमें अपने देश की सुरक्षा के लिये हर तरीके से तैयार होना है और देश को तैयार करना है और अपने को आत्म-निर्भर होना है। श्रीमन्, जब मैं यह कहता हूं तो आपसे उम्मीद करता और सरकार से भी चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जो विभिन्न यकीदें आपने अपने सामने रखे है उनको पूर्ण करें, उस लक्ष्य को पूर्ण करें। केवल भाषण देने से ही देश की सुरक्षा नहीं हो सकती।

जिस समय द्वितीय महायुद्ध हुआ उस समय दुनिया के सामने कुछ ऐसी कल्पनायें थीं, कुछ ऐसी व्यवस्थायें थीं जिससे दुनिया के अन्दर इतने बड़े महायुद्ध को टालने की बात हो सकी। मैं समझता हूं कि उन कल्पनाओं और विकल्पों को जो सरकार ने बनायें हों, अपने सामने रखना चाहिये। केवल सुरक्षा का नाम कह कर अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा करना चाहते हैं और राष्ट्रीय संकट को हल करना चाहते है तो मेरा केवल इतना ही कहना है कि इससे हमारा मकसद पूरा नहीं हो जायेगा। श्रीमन्, अगर आप अपनी सुरक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों पर दृष्टिपात करें तो मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जितनी तीव्र गति राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्यों में आनी चाहिये आज उतनी तीव्र गति से हम आगे नहीं बढ़े है। यह हमारी कमी है जिसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान जाना जरूरी है। मैं ऐसा समझता हूं कि जहां तक हमारी सरहदों का सवाल है, मैं आपसे कहना चाहता हूं और इसलिये कहना चाहता हूं कि समय कम है और मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे देश व प्रदेश में राष्ट्रीय संकट पहले से ज्यादा है और बहुत गहराई तक विद्यमान है। हमारे देश के अन्दर तो दुश्मन पैदा है ही, लेकिन बाहर के भी दुश्मन बड़ी गहरी निगाह हमारे ऊपर डाले हुए है। उन से भी हमें सावधान रहना है। अभी चीन के रक्षा मंत्री मार्शल चेनयी, ने जो बयान दिया है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था मैंने इसी सदन में कहा था कि चीन हमारी सीमा के अन्दर हमारे दोस्तों से मिलकर हमारे बार्डर के नकशे ले रहा है और एक स्थिति पैदा कर रहा है। उस समय केन्द्र में श्री कृष्णमेनन रक्षा मंत्री थे, उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चन्द दिन के बाद जब चीन के रक्षा मंत्री ने बयान दिया और कहा कि हमारे पास भारत की सीमा के नकशे मौजूद है तब बात खुल गई। आज स्थिति ऐसी है कि देश की सीमा पर ऐसे तत्व मौजूद है जो अच्छी तरह से तमाम गतिविधियां देख रहे है, इस पर सचेत होने की जरूरत है और सरकार को ध्यान देना चाहिये और वास्तविक सुरक्षा के कदम उठाने चाहिये। हमारा जिला पड़ोस के देश नेपाल से मिला हुआ है, उधर से हमारे यहां फाउन्टेन पेन, शेविंग सेट्स, १६ रुपए गज सूटिंग कपड़े ऊनी, आकर चीन की बिकती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी व गृह मंत्री जी से कहुंगा कि बहुत से लोग चाहें वे कलकारखाने वाले हों या कहीं भी काम करते हों सस्ती सामान वहां का खरीदते है और उनका उपभोग कर रहे हैं, ५ रुपए का फाउन्टेपेन ५१ रुपए के शेफर्ड पेन और पार्कर के मुकाबले का आकर बिकता है। इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारी जनता पर पड़ता है और खास कर उस अवस्था में जब कि यहां चीजों की कीमतें इधर बहुत ऊंची हो गई हैं। हमारा किसान पढ़ा लिखा नहीं है इससे उसके दिल में यह भावना पैदा हो सकती है कि चीन सस्ती चीजें पैदा कर रहा है और अगर वह आक्रमण करता है जो ८० प्रतिशत हमारी जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है उसके दिल में क्या भावना पैदा होगी?

(इस समय ४ बज कर २२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुए।)

इस भावना के पीछे जो चीज छिपी है उससे हमें देखना होगा और उसका निराकरण करना होगा। हमें इस ओर ध्यान देना होगा कि सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय संगठन क्या काम कर रहे हैं। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि यह एक बड़े संकट की घड़ी है और देश को बचाने के लिये प्रदेश के बचाने के लिये हमें सभी उचित व्यवस्था फौरन करनी होगी क्योंकि आज हम एक

वालकोनों पर बैठे है जो न जाने कब धधक उठे। हमें सख्त कदम उठाने होंगे ताकि यह राष्ट्रीय संकट टल सके और उसका मुकाबला किया जा सके। कल कारखानों में, खेतों में उत्पादन के क्षेत्र में और फ्रन्ट में सभी जगह हमें व्यवस्था करना है और साथ ही हमें सीमा पर लड़ने वाले जवानों के परिवारों की भी व्यवस्था करना है और उन्हें सुविधा देना है। वह आज हतोत्साहित होते है जब सरकार उनको वह सुखन्सुविधा नहीं दे पाती जो उन्हें देना चाहिये। जो लोग पहाड़ में और बर्फ में जान की बाजी लगाये है उनकी ओर विशेषकर हमारा ध्यान जाना चाहिये इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि सरकार मेरे सुझावों पर गौर करेगी।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के समक्ष राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय के अन्तर्गत ३,४९,८४,५०० रुपये की मांग पेश की है। यह धनराशि ज्यादा नहीं है। कटौती का प्रस्ताव इसलिये पेश किया जाता है कि सदन में सरकार की नीतियों और वर्तमान गतिविधियों पर आलोचना की जा सके, ऐसी एक परम्परा आलोचना करने के लिये चली आती है जिसका हम पालन करते है। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्बन्ध है इससे सदन का कोई भी सदस्य इन्कार नहीं कर सकता कि यह आवश्यक नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हमारे देश के ऊपर संकट है। अवश्य है किन्तु जितना संकट है उसका वास्तव में हमारे हृदयों पर, हमारे विचारों पर, हमारे व्यतिगत जीवन पर और हमारे आचरण पर प्रभाव नहीं है। इस सदन की उपस्थित इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कितना राष्ट्र संकट हम लोग महसूस करते हैं। उधर के बैठने वाले जो ट्रेजरी बेंचेज के लोग है उनकी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ इधर के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिये।

श्रीमन्, यहां पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रीय संकट के लिये, हमने इस अनुदान में हवाई हमले से बचने के लिये ४२ लाख ६८ हजार रुपया की धनराशि रखी है। आप कहते हैं कि खतरे के समय हवाई हमले से बचने के लिये जनता को सिखाने का प्रयत्न किया गया है। सवाल यह है कि इसमें सिविल डिफेंस के बड़े-बड़े अधिकारी जनता में जाते है, मेरा उनकी नीयत पर, ईमानदारी पर या चरित्र पर हमला करने का मतलब नहीं है लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि इस मद को देखते हुए खास तौर से प्रैक्टीकल तरीके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और न कोई खास प्रयत्न किया जा रहा है। और न पिछले वर्षों में उचित मात्रा में किया हो गया है यह धन व्यर्थ व्यय हो जाता है।

होम गार्ड्स की भर्ती के सिलसिले में माननीय सदस्य मोहिले जी ने बतलाया है कि इसमें कांग्रेस के वे राजनीतिज्ञ जो फुटपाथ पर हैं यानी जो और किसी जगह पर नहीं लग पाये है, उनके लिये यह विभाग खोला गया है। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि बिना किसी राजनीतिक भेद भाव के इसमें भर्ती होना चाहिये। अगर जनसंघ या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी या किसी भी राजनैतिक पार्टी का कोई आदमी है और नौजवान है तथा योग्य है तो उसको लिया जाना चाहिये। इसमें इस तरह की कोई दूषित भावना नहीं होनी चाहिये। कि यह अमुक पार्टी का है, इसलिये इसको न लिया जाय। मैं समझता हूं कि बिना किसी भेदभाव के भरती का कार्य होना चाहिये।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश सीमावर्ती प्रदेश है और इसमें अन्तर्राष्ट्रीय विषय को लेकर माननीय झारखंडे राय जी और माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी ने काफी कहा है। लेकिन इतना मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में चीन का आदमी नहीं रह सकता है और न रहता है। हमारे प्रदेश के पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध नहीं हैं। पाकिस्तान ने चीन से सैनिक संधि की है, जिसने पानी का विवाद खड़ा किया और और जिससे हमारा काश्मीर का विवाद जारी है उसके लोग हमारे यहां आते है और उधर के बैठने वालों में हमारे माननीय अली जहीर साहब है जो न्याय मंत्री भी है। उनके सगे भाई

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

सज्जाद जहीर साहब साम्यवादी हैं। वे पाकिस्तान में रहे हैं और अयूब की सरकार बनने के बाद वे यहां पर आये और उनको यहां पर नागरिक मान लिया गया। लेकिन माननीय राहत मौलाई साहब जब कुछ कहते हैं तो आवाजें आती हैं कि ये देशद्रोही हैं। मैं समझता हूं कि आप मुसलमान को मंत्री बना सकते हैं, वाइस प्रेसीडेंट बना सकते हैं। लेकिन अगर हम रिपब्लिक मौलाई साहब को अपना नेता मानते हैं तो यहां पर कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। हम कहते हैं कि वहां के मंत्री या प्रदेश के बड़े-बड़े जमींदार या अधिकारी पाकिस्तान के एजेंट रहे हैं। अगर यहां पर कोई घटना हो जायें जिसमें पाकिस्तान के स्वाभिमान पर चोट लगती हो तो एक घंटे बाद ही वह करांची रेडियो स्टेशन से ब्रोडकास्ट होती है। मौलाई साहब फोन नहीं करते हैं बल्कि यहां पर ही लोगों के यहां ट्रांसजिस्टर्स लगे हुये हैं ट्रानजिस्ट करते हैं। यहां से वह लोग जो मंत्रियों के साथ रहते हैं या यहां के बड़े-बड़े लोग हैं, उनकी जांच क्यों नहीं की जाती ?

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत अनुदान का जो कटौती का प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं। सुरक्षा हमारी जो है, वह दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तो सैनिक सुरक्षा, जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार पर है और दूसरी हमारी आन्तरिक सुरक्षा, जो इस प्रदेश से संबंधित है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। चूंकि बाह्य सुरक्षा पर यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला, इसलिये मैं आन्तरिक सुरक्षा के बारे में ही निवेदन करूंगा। श्रीमन्, आज हमारी आन्तरिक सुरक्षा को दो प्रकार का खतरा पैदा हो गया है। एक तो यह है कि जिसको माननीय मुख्य मंत्री ने भी स्वीकार किया कि विदेशों से सामान आता है, उसका यहां तस्कर व्यापार होता है। माननीय नरसिंह नारायण पाण्डेय जी ने भी उसे कहा। वह तस्कर व्यापार दो मकसद से होता है। इसके दो उद्देश्य हैं, एक मन्तव्य तो श्रीमन्, यह है कि कुछ लोग स्मगलर हैं, तस्कर व्यापारी हैं, जिनका चरित्र इतना गया गुजरा है कि यदि उनकी माता का बाल अधिक दाम पर उन्हें बेचने को मिले तो वह भी नोचकर बेच देंगे। एक तो यह है। तो वह किसकी देन है ? वह है अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेजियत की देन। जिनके मस्तिष्क में भारतीयता का कोई ध्यान नहीं है। जो पतली मोहरी का पैन्ट पहन कर इधर उधर घुमा करते हैं। और दूसरे हैं जो यहां तो अपने को साबित करना चाहते हैं कि हम देश भक्त हैं, लेकिन हमारे दुश्मनों से मिलकर हमारे देश की आर्थिक सुरक्षा का सन्तुलन बिगाड़ना चाहते हैं। उसको बिगाड़ने का प्रयत्न इसलिये करते हैं श्रीमन्, कि जिस देश में तस्कर का माल आता है उस देश की आर्थिक सुदृढ़ता और सुरक्षा निर्बल हो जाती है, और ऐसा करने का उद्देश्य यही होता है कि उस देश की आर्थिक स्थिति वहां का आर्थिक संतुलन डांवाडोल हो सके। अभी आपके सामने माननीय सदस्य झारखंडे राय जी ने कहा कि चीन हमलावर है और उसने बड़ा गलत काम किया और साथ ही यह भी कह दिया कि वह महान राष्ट्र है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके दल के कुछ लोग आज हमारे यहां रह कर हमारे मित्र राष्ट्रों से, जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं हमारा सम्बन्ध बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह मेरा सीधा चार्ज है। श्रीमन्, जैसे हमारे यहां कम्युनिस्ट पार्टी है, वैसे ही नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी है और उस पार्टी के नेता हैं कोई श्री तुलसीलाल आमात्य। उनका वाराणसी में हेडक्वार्टर है ...

एक सदस्य—

नेता नहीं कार्यकर्त्ता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

नहीं वह नेता है, उनके कार्यकर्त्ता हैं पुष्पलाल। उनका काम क्या है ? जब मैं यह कहता हूं। नेपाल के लिये यह दम भरा जाता है कि नेपाल से हमारी दोस्ती रहनी चाहिये, यह स्थिति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, क्योंकि नैपाल हमारी सीमा पर स्थित है। एक बार नैपाल कांग्रेस को प्रश्रय देकर बाध्य किया था कि वह चीन की गोद में खुद कूद जाय, भगवान की दया से थोड़ी-सी बाधा आयी और वह पूरी तरह से चीन की गोद में नहीं जा सका और इस बार भी यह प्रयास किया जा रहा है, यह जानबूझ कर किया जा रहा है।

जिन दो आदमियों के नाम मैंने लिये थे गोदौ लिया चौमुहानी में जो कम्यूनिस्ट पार्टी का दफ्तर है नित्यप्रति जाते हैं उनका वहां उठना बैठना रहता है। जितने नैपाली छात्र हैं उनके अन्दर ये प्रचार करते हैं कि नेपाल में जाकर महाराजा महेन्द्र के खिलाफ आन्दोलन शुरू करो क्योंकि वह एक सामन्ती राजा है और वहां कोई आन्दोलन होना चाहिये। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, दो मिनट मुझे अधिक दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

दो मिनट आपके हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

नहीं उसके अतिरिक्त दो मिनट।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, आप बोलिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन् कड़ाघाट, गोरखपुर में जहां अवकाश प्राप्त नैपाली गुरखा सैनिक रहते हैं और जो भरती का केन्द्र भी है वहां यह पुष्पलाल महोदय प्रेम से प्रचार करते रहते हैं। नेपाली कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, और हमारी सरकार सुरक्षा के नाम पर केवल होमगार्डस की रचना करके उसमें कुछ आदमियों को लगाकरके संतोष कर लेती है। इस होमगार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। इन चीजों को देखने की आवश्यकता है कि यह लोग यहां कैसे बने हुये हैं। इतना ही नहीं श्रीमन् हमारे कृष्ण मेनन साहब ने केरल के चुनाव में जानबूझकर इसका प्रयास किया कि वहां कम्यूनिस्ट पार्टी जीत जाय। उन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंका और कांग्रस के निकले रक्त से चाइना की कम्यूनिस्ट पार्टी को सींचा है जिसका प्रचार आज चीन में चाऊ और उनके मानसपुत्र अयूब और अयूब के मानसपुत्र भुट्टो, चाऊ के पुत्र और चाऊ के पोते तीनों चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं कि भारतवर्ष आज चीन के पक्ष में है केवल थोड़े से मंत्री लोग हैं जो अपने को बचाने के लिये चीन का विरोध करते हैं, वरना उस प्रकार से चीनी कम्यूनिस्ट कैसे जीत जाते। माननीय झारखंडे राय की पार्टी जो रूस की समर्थक है वह भी हार गयी और कांग्रेस भी हार गयी और लाल चीन वाले कम्यूनिस्ट जीते। और इनके साथ मेनन साहब शरीक थे। (लाल बत्ती होने पर) एक मिनट और, श्रीमन्,।

होमगार्ड् के लिये जो रुपया रखा गया है वह किसीकाम में नहीं आ रहा है, यह तो बेकार के लिये एक संस्था बनी हुई है और उसपर रुपया फिजूल खर्च किया जा रहा है। उसमें ऐसे लोगों को लगाया गया है जिनके पास कुछ काम नहीं है केवल तन्ख्वा लेना काम है। मैंने अपनी आंखों देखा है, उस पर सारा रुपया बेकार जा रहा है। सरकार अगर चाहे तो सुरक्षा के रुपये में से थोड़ा सा सी० आई० डी० को और दे दें जिससे यह जो पंचमांगी आज हमारे बीच में घुसकर काम कर रहे हैं और जो हमारी रीढ़ तोड़ रहे हैं उनको पकड़कर बन्द किया जाय वरना इस होमगार्ड से कोई भला नहीं निकलता। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सरकार जो कुछ करना चाहती है वह उचित तरीके से करके दिखला दें।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्....

श्री राधेश्याम शर्मा(जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे समय देने का वादा किया था ।

श्री अधिष्ठाता—

(माननीय गृह मंत्री से) अभी कटमोशन वाले का हो जाने दीजिये ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

और मेरा क्या हुआ, श्रीमन् ?

श्री अधिष्ठाता—

अब समय नहीं है, आप फिर बोल लीजियेगा ।

श्री रामआधार कनौजिया—

श्रीमन्, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया । जहां तक देश की सुरक्षा का संबंध है हर एक माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण माना है । जैसा मैंने कटौती का प्रस्ताव करते समय भी कहा था कि मेरी मन्शा कटौती का प्रस्ताव पेश करने की नहीं थी लेकिन चूंकि सुरक्षा कार्यों में प्रगति बहुत शून्य है और जब हमारे देश की सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर है और वह सुरक्षा के कार्य की जिम्मेदारी इस संस्था पर सौंपी गयी थी जो अब नाममात्र की संस्था कागजों में रह गयी, इसलिये मुझे विवश होकर कटौती का प्रस्ताव पेश करना पड़ा । सन् १९६३ में हमारी प्रगति सन्तोषजनक रही और ६४ में हमने ११० जवानों की सिर्फ ९४ कम्पनी ही आर्गनाइज्ड की थी और उसमें ट्रेनिंग सिर्फ पूरे वर्ष में १२ कम्पनियों को दी यानी १,२३६ होमगार्ड को ट्रेनिंग हमने १२ महीने में दी । और उन पर खर्चा हमने करीब ३ करोड़ से अधिक किया । ऐसी स्थिति में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को इतना छोटा सा काम करके यह कहा जाय कि हमने सुरक्षा का काम कर दिया मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं । मैं ऐसा समझता हूं कि मुल्क में ज्यादातर खतरा बाहरी खतरा नहीं होता, अन्दरूनी खतरा अधिक होता है । अन्दरूनी खतरे से बचने के लिये यह जरूरी है कि हमारे अन्दर एकता पैदा हो। इस बात को चारो तरफ हर व्यक्ति देख रहा है और अखबार द्वारा भी समझ रहा है कि आज हमारी सरकार में आपसी मतभेद पड़ गया है जिससे देश के कार्य में एक बहुत बड़ी रूकावट पड़ रही है । मैं समझता हूं देश की सुरक्षा को बड़ा स्थान देना जरूरी है । इस आपसी झगड़े को छोड़कर सुधार की तरफ ध्यान दिया जाय । मंत्री महोदय ने गतवर्ष ६३–६४ में ३५ शहरी स्थानों की तरफ ध्यान दिया था । उसके बाद ६४–६५ में केवल शहरी स्थानों की तरफ ध्यान दिया गया । देहातों की तरफ कागजों पर ध्यान देकर काम किया गया है परन्तु वास्तविक उसकी प्रगति कम हुई है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि केवल शहरों की तरफ ध्यान न देकर व केवल शहरों की तरक्की न करके देहातों की तरफ भी ध्यान दिया जाय जहां ८० प्रतिशत जनता रहती है । देहातों की तरफ निगाह न करके अगर केवल शहरों की तरफ ध्यान दिया जायगा तो मैं समझता हूं कि देश की सुरक्षा के लिये यह अच्छा कदम नहीं होगा । देहात में किसानों का मनोबल ऊंचा करने के लिए, देहात में कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए ध्यान देना निहायत जरूरी है । ऐसा काम न किया जाय जिससे उन लोगों का मनोबल नीचा हो । सरकार केवल ऐसा काम करे जिससे कृषि की पैदावार बढ़ाने के काम में कृषकों को प्रोत्साहन मिल सके ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन् मैं माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस अनुदान संबंधी सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला । जैसा कुंवर श्रीपालसिंह जी ने कहा कि सुरक्षा के दो अंग हैं एक का संबंध केन्द्र से और दूसरे का संबंध प्रान्त से है यह बात पूर्णतया सही नहीं है । प्रान्त से संबंध हो सकता है लेकिन जो अनुदान हमने सदन के सामने प्रस्तुत किया है

उससे और उन चीजों से संबंध नहीं है जिनके प्रति यहां लोगों ने प्रकाश डालने का प्रयत्न किया। यह बात सही है अपनी जगह पर कि चीन के आक्रमण के बाद देश की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है। हम यह समझते थे कि यदि हम अपने देश के निर्माण कार्यों में ही लगे रहें और दुनिया के किसी अन्य देश पर आक्रमण करने की बात न सोचें और दुनियां में शान्ति स्थापित करने का ही प्रयत्न करते रहें तो मुमकिन नहीं है कि कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण करे लेकिन चाइना के आक्रमण ने यह सिद्ध कर दिया कि सब सद्भावनाओं के होते हुये भी अकारण अपनी नीतियों के अनुकूल कोई दूसरा देश किसी दूसरे शान्ति, प्रिय देश पर आक्रमण कर सकता है। यह एक सबक भी हमारे लिया हुआ। अब तो चाहे हमारी विकास योजनायें चलें या न चलें, चाहे देश गरीबी से बढ़ता चला जाय या धनवान बने, यदि हमको अपने देश की रक्षा करना है तो यह आवश्यक है कि हम अपने को आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से और सैनिक दृष्टि से मजबूत रखें। यू श्रीमन् चीन के पेट में हांगकांग, और फारमूसा है। यह मैं भी हम जानते हैं कि किस तरह से वह रूस की इतनी जमीन पर कब्जा किये बैठा है लेकिन उसकी हिम्मत उन लोगों से लड़ने की नहीं पड़ रही है। वह हमको कमजोर समझता है चूंकि हम जनतंत्र-वादी हैं, हमारे यहां वैसा नियन्त्रण नहीं हो सकता जैसा कि उनके यहां है। इसी कारण उसने हमारे ऊपर आक्रमण किया। इसलिये हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम जनता को ऐसी शिक्षा देते रहें कि यदि कभी हमारे ऊपर आक्रमण हो जाय तो जनता घबरा न जाय, अस्त-व्यस्त न हो जाय। इस अनुदान का संबंध केवल इसी बात से है इससे परे आन्तरिक सुरक्षा या सैनिक सुरक्षा से इसका संबंध नहीं है।

हमारे यहां पहले प्रान्तीय रक्षा दल का निर्माण हुआ था और वह उस समय हुआ था जब हिन्दुस्तान में और किसी जगह नहीं हुआ था। उसके बाद जब यह चीन का संकट उपस्थित हुआ तो फिर सेन्टर ने हमसे कहा कि प्रान्तीय रक्षा दल को तोड़ कर होम गार्ड्स की व्यवस्था की जाय। सदन के बाहर और इस सदन में भी इस बात की मांग की गयी कि पहले जो प्रान्तीय रक्षा दल जिस प्रकार था उसी प्रकार वह बना रहे। परन्तु सेन्टर नें होम गार्डस् को ही मान्यता दी और होमगार्ड्स की कितनी संख्या रहें, इसको भी सेंन्टर सें निश्चित किया गया। सारे देश में इसका निर्माण किया गया। तो जो यह अनुदान प्रस्तुत है यह उसी के लिए हैं।

हमारे यहां के लिये १,२४० कम्पनियों का निर्माण होना था हम १,२०१ बना पाये हैं ३९ बनाना है। औरतों की भरती ५,११५ होनी थी। उसमें से १,३९७ हो चुकी हैं। शहरी होमगार्ड्स की संख्या १६,१३२ है, जिसमें १४७ कम्पनीज शहरों में, २८,८७८ होम-गार्डस् देहातों में हैं, इसमें २६३ कम्पनीज हैं। जिनको शुरू की ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

सबसे पहले हमारे सामने इनकी यूनीफार्म का मसला आया। पहले हमने सोचा कि खाकी कपड़े की वह हो, लेकिन फिर केन्द्रीय सरकार ने यह कहा कि इस कपड़े तथा इस रंग की हो इसलिये इसमें भी देर हुई। हम जितनी संख्या में आर्म्स चाहते हैं वे भी हमें पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पाते। यह होमगार्डस् हमने संकटकालीन स्थिति में बनाये थे। अब हम हर जिले के लिये एक स्टाफ आफीसर रखने जा रहे हैं। उसको हम ट्रेनिंग देंगे और जो दिक्कत माननीय सदस्यों को इस समय दिखाई दे रही हैं, वे हम आशा करते हैं, उनसे दूर हो जायेंगी। यह मैं मानता हूं कि कुछ स्थानों पर गड़बड़ है। हम वहां के हिसाबों की जांच करा रहे हैं और कहीं-कहीं पर लोगों पर मुकदमा भी चला रहे हैं। इसलिये जब हमारे स्टाफ आफीसर पहुंच जायेंगे ये गड़बड़ियां भी दूर हो जायेंगी।

श्री झारखण्डेराय--

पी० आर० डी० और होम गार्ड्स के मर्जर की बात कही गयी थी, उसके बारे में माननीय मंत्रीजी का क्या खयाल है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैंने पहले ही बतलाया था कि इस बात का प्रयत्न किया गया था, लेकिन होमगार्ड्स को प्रान्तीय रक्षा दल की संज्ञा नहीं दी जा सकती और इस होम गार्ड्स को हम तोड़ना भी नहीं चाहते हैं। इसलिये होम गार्ड्स जिस तरह का संगठन है, वह है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६-राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय के अन्तर्गत ३,४९,८४,५०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१० मार्च, १९६५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४० पर]

जिलों का नाम		१९६२–६३		१९६३–६४	
		पुरुष नसबन्दी	महिला वंध्यकरण	पुरुष की	महिला संख्या
१		२	३	४	५
१—अल्मोड़ा	..	११	२	१२	३
२—आगरा	..	२९६	२६४	१७६	२७६
३—अलीगढ़	..	४६	..	४३	१०
४—इलाहाबाद	..	४९	३२०	१७	३७६
५—आजमगढ़	..	१४	४	५५	१
६—बहराइच	..	१७	१६	१६	१४
७—बलिया	..	२०	१६	६०	३
८—बाराबंकी	..	१	२०	२६	१०
९—बस्ती	..	६	१५	२१	४
१०—बदायूं	..	५८	४४	६०	२२
११—बांदा	..	२०	२	६	..
१२—बुलन्दशहर	..	४८	१३	४५९	..
१३—बरेली	..	१८५	९१	१५६	५०
१४—बिजनौर	..	१५८	९	१२४	..
१५—देहरादून	..	८८	१०८	१२४	७३
१६—देवरिया	..	४२	६	९४	११
१७—एटा	..	१९	१०	९२	९
१८—इटावा	..	२४	..	६१	..
१९—फर्रूखाबाद	..	६३	७८	१०१	२
२०—फैजाबाद	..	१४	५४	६२	५
२१—फतेहपुर	..	३	८	१८	१३
२२—गोरखपुर	..	२०२	१४७	९३	१५३
२३—गोंडा	..	१२	४	२३	..
२४—गाजीपुर	..	१३	४	१४२	८
२५—हरदोई	..	२६	४	५९	६
२६—हमीरपुर	..	२१	२	४२	..
२७—झांसी	..	५२	१८	४५	४
२८—जालौन	..	३	७	६	८
२९—जौनपुर	..	९३	१५	२३०	..
३०—कानपुर	..	२९०	४७	२३१	१०४
३१—लखनऊ	..	२९८	३२६	४७९	२२८
३२—खीरी	..	३२	..	८६	..
३३—मेरठ	..	९३	३	२६८	४०

जिले का नाम	१९६२–६३		१९६३–६४	
	पुरुष	महिला नसबन्दी	पुरुष वंध्यकरण की	महिला संख्या
१	२	३	४	५
३४—मिर्जापुर ..	६२	२१	१४०	२०
३५—मथुरा ..	४६	..	११४	..
३६—मैनपुरी ..	२९	२	५७	२
३७—मुरादाबाद ..	७८	४९	१०२	६७
३८—मुजफ्फरनगर ..	१६	३	१२६	६
३९—पीलीभीत ..	१७	१२	४१	५
४०—प्रतापगढ़ ..	५	१	४२	६
४१—पौड़ीगढ़वाल ..	१२	३	१५	४
४२—नैनीताल ..	३७	२४	५९	२२
४३—रामपुर ..	५१	३०	११०	११
४४—रायबरेली ..	६०	२९	१८९	३४
४५—सहारनपुर ..	४८	३६	११७	४३
४६—शाजहांपुर ..	६	२	४१	६
४७—सुल्तानपुर ..	१०	२	१२	१
४८—सीतापुर ..	४४	७	२६५	१
४९—उन्नाव ..	४२	४	२४२	६
५०—बाराणसी ..	६५	२८८	२४२	३०९
५१—पिथौरागढ़ ..	२	..	११	१
५२—टेहरीगढ़वाल ..	२२	..	२	..
५३—उत्तरकाशी ..	..	..	३	१
५४—चमोली ..	..	..	..	..

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १४७ पर)

क्षेत्र समिति रेवती के प्रमुख श्री बच्चा पाठक ने वर्ष ६३–६४ में कुल रुपया ७८–३७ पैसा यात्रा भत्ता के मद में लिया है। उनके दौरे का विवरण निम्नांकित है।

माह		तिथि	दौरा स्थान
नवम्बर ६३	..	१७–१–६३	रैवती से हुसेनाबाद हुसेनाबाद सेविसौली विश्राम बिसौली
		१८–११–६३	विसौली से रेवती
		२३–११–६३	रेवती से गोपालनगर विश्राम गोपालनगर
		२४–११–६३	गोपालनगर से रेवती
			यात्रा, भत्ता रु० २१.००
दिसम्बर ६३	..	१२–१२–६३	रेवती से कुसौरी कला विश्राम कुसौरी कला।
		१३–१२–६३	कुसौरी कला सें भोजछपरा विश्राम भोजछपरा।
		१४–१२–६३	भोजइपरा से रेवती
		२३–१२–६३	रेवती मे मुनछपरा विश्राम मुनछपरा।
		२४–१२–६३	मुनछपरा से मानसिंह छपरा भानसिंह छपरा से रेवती।
			यात्रा भता रु० २०.४४
जनवरी, ६४	..	११–१–६४	रेंवती से बिनहां, विनहां से उदहां विश्राम उदहां
		१२–१–६४	उदहां से रेवती
		२७–१–६४	रेंवती से गोपालनगर विश्राम गोपालनगर
		२८–१–६४	गोपालनगर से रेवती
			यात्रा भत्ता रु० १९.३१
फरवरी, ६४	..	४–२–६४	रेवती से गोपालनगर गोपालनगर से रेवती
		१९–२–६४	रेंवती से हुसेनाबाद हुसेनाबाद से सिगहीं विश्राम सिंगहीं।
		२१–२–६४	सिंगही से रेवती
			यात्रा भत्ता रु० १७–६३
			कुल योग रु० ७८.३७

अनुभव प्रदर्शन संस्था

क्षेत्र समिति बेलहरी के प्रमुख द्वारा मुबलिग ३८७-३० पैसा यात्रा भत्ता के मद में लिया गया। उनके दौरे का निम्न विवरण है:—

क्रमांक	माह		नाम स्थान जहां का दौरा किया है
१	मई १९६३	..	राहुआं, पंचरूखिया, दिधार, मलीकपुरा, मंझौया समस्थमाह, विगेंही, दुबर्ली।
२	जून १९६३	..	पियरोंटा, गंगापुर, नारायणपुर, बेलहारी, बुबाबेल, बयुआपुरे, पाइस सोनवानी, हासनगर, राजपुर, रधुरा, रामनगर, चैनछपरा सुल्तानपुर, रिकनीछपरा, दुघला, पंचरुखिया, विगही।
३	जुलाई १९६३	..	समरथमाह, मलीकपुरा, पिपुरोटा, रोहआं गंगापुर दुधला, दाधार, रिकनी छपरा, विगहा।
४	अगस्त १९६३	..	रिकमीछपरा, पंचरूखिया, मंझाया, नारायनपुर, बिगही, समरथपाह, रोहुआ, गंगापुर।
५	सितम्बर १९६३	..	दुधला, मलिकपुरा, दिवार, पंवरूखिया, रिकनीछपरा, पियरोटा, बिगही।

क्षेत्र समिति मुरली छपरा के प्रमुख ने आर्थिक वर्ष १९६३-६४ में यात्रिक भत्ता के मद में कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने खंड विकास अधिकारी के साथ निम्नलिखित स्थानों का दौरा किया।

क्रम सं०	माह		स्थान
१	अप्रैल १९६३	..	सोनवबरसा, मुरलीछपरा, कोड़हरा उपरावार मुरार पट्टी।
२	मई १९६३	..	मुरार पट्टी, मुर लीछपरा, रानीगंज,
३	जून १९६३	..	सोनवरसा, मुरलीछपरा।
४	जुलाई १९६३	.	मुरलीछपरा।
५	अगस्त १९६३	..	चांददीयर, कोडहाजोबरार तथा कोठहराउपरवार
६	सितम्बर १९६३	..	रामपुर को उहरा, ख्वासपुर महानीचांददौयर, कोड़हरावरार।
७	अक्तूबर १९६३	..	ग्राम सभा सोनवरसा।
८	नवम्बर १९६३	..	कोहहरानीवरार, चांद[illegible], [illegible] आरा, मुरारपट्टी, कर्णछपरा।
९	दिसम्बर १९६३	..	इब्राहीमाबाद, धनुषयज्ञ का मेंला कोटवा।
१०	जनवरी १९६४	..	जूनियर हाई स्कूल, डोबटी।
११	फरवरी १९६४	..	महाबीजोददौयर, कोडहरानोबरार, इब्राहीमाबाद, नौबरार, चांददीयर, इब्राहीमाबाद उपरवार, जैप्रकाशनगर, जूनियर हाई स्कूल टोकटी बाबू का डेंरा।
१२	मार्च १९६४	..	ग्राम सभा रामपुर, भगवानपुर, सोनबरसा, दलनछपरा।

नत्थी 'ग'

(देखिये तरांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५४ पर)

क्रमांक	नाम समिति		सरमाया
१	प्र० उपभोक्ता सहकारी समिति वार्ड नं० १	..	६,०७५
२	प्र० उपभोक्ता सहकारी समिति वार्ड नं० २	..	६,९३०
३	प्र० उपभोक्ता सहकारी समिति वार्ड नं० ३	..	८,५००
४	प्र० उपभोक्ता सहकारी समिति वार्ड नं० ४	..	६,२२०
५	प्र० उपभोक्ता सहकारी समिति वार्ड नं० ५	..	६.२८०
६	प्र० उपभोक्ता सहकारी समिति वार्ड नं० ६	..	६,८२०
७	प्र० उपभोक्ता सहकारी समिति वार्ड नं० ७	..	५,६६०
८	प्र० उपभोक्ता सहकारी समिति वार्ड नं० ८	..	५.८८०
९	प्र० उपभोक्ता सहकारी समिति वार्ड नं० ९	..	५,४००
१०	प्र० उपभोक्ता सहकारी समिति वार्ड नं० १०	..	६,३३१
११	प्र० उपभोक्ता सहकारी समिति वार्ड नं० ११	..	५,२७३
१२	प्र० उपभोक्ता सहकारी समिति वार्ड नं० १२	..	५,७८०
१३	प्र० उपभोक्ता सहकारी समिति वार्ड नं० १३	..	५,८५९
१४	प्र० उपभोक्ता सहकारी समिति वार्ड नं० १४	..	६,२००
१५	प्र० उपभोक्ता सहकारी समिति वार्ड नं० १५	..	६,०५०
१६	थोक केंन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि०	..	६५,९००

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १—एल० ए०—१९६५—८६२ ।